के.वि.वि.आ.

वार्षिक रिपोर्ट

2008-09

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2008-09

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तीसरी तथा चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001.

फोन नं.: +91-11-23353503, फैक्स : +91-11-23753923

वेबसाइटः www.cercind.gov.in

अध्यक्ष का कथन

आयोग ने अपने अस्तित्व का एक दशक पूर्ण कर लिया है । हम रणनीतिक लक्ष्यों में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं । प्रारंभिक वर्षों में, सरकार द्वारा विनियमन से स्वतंत्र विनियमन की ओर संपरिवर्तन तथा लागत आधारित विनियमन हेतु ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया था। अब निजी सेक्टर द्वारा बृहत् निवेश को सुकर बनाने तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जा रहा है । यह रणनीतिगत बदलाव विद्युत अधिनियम, 2003 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

उत्पादन और पारेषण उपयोगिताओं के लिए लागत जमा टैरिफ संरचना को दक्ष संनियमों और मापदंडों पर आधारित विनियमों के दर्शन को ध्यान में रखते हुए, परिशोधित किया गया है । तथापि, आयोग की गतिविधियों का मुख्य जोर पर्याप्त ग्रिड आवर्धन, ग्रिड तक सुकरणीय गैर-विभेदकारी निर्बाध पहुंच तथा ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करके विद्युत बाजार के विकास पर है । जबकि अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संबंधी विनियमों को निरंतर सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है । अब आयोग मध्यकालिक और दीर्घकालिक पहुंच पर कार्य कर रहा है । ग्रिड आवर्धन और ग्रिड पहुंच से संबंधित मुद्दों पर समन्वय मंच पर भी गहन विमर्श हो रहा है, जिसमें केंद्रीय सरकार समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पणधारियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं ।

आयोग ने अननुसूचित अंतर-विनिमय (यू.आई.) तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का बृहत् कार्य भी पूर्ण कर लिया है । अब यह प्रमुख रूप से ग्रिड अनुशासन का प्रवर्तन करने के लिए प्रयोग हो रहा है तथा विद्युत के व्यापार के तरीके में प्रतीत होने वाले यू.आई. के पूर्ववर्ती विपयन को दूर किया गया है।

आयोग, सेक्टर में और अधिक निवेश को सुकर बनाने के लिए तथा विद्युत ,टोकरी में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को मुख्य धारा में लाने हेतु भी कई पहलें कर रहा है ।

विद्युत की निरंतर कमी की स्थिति में प्रतिस्पर्धात्मक अल्पकालिक विद्युत बाजार विकसित करना एक मुख्य चुनौती के रूप में उभर रहा हैं । एक तरफ बाजार को नए निवेश आकर्षित करने के एक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है, वही अल्पकालिक व्यापार में विद्युत की कीमतों में वृद्धि आयोग के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं । हमने पिछले वर्ष के दौरान इस मुद्दे पर परामर्श पूर्ण किया तथा हम निरंतर स्थिति पर नजर रख रहे हैं ।

अनेक राज्य सरकारों के अभिकरणों द्वारा पैदा की जा रही बाधाओं के कारण अल्पकालिक अवधि के बाजारों में विद्युत का प्रवाह निर्बंधित हो रहा है । कुछ राज्य सरकारों ने अन्य राज्यों को विद्युत के प्रवाह को रोकने वाले वैधानिक आदेश तक जारी कर दिए हैं । इन कठिनाइयों को विनियामकों द्वारा एक सीमा तक ही हल किया जा सकता हैं । इसलिए, आयोग ने केंद्र सरकार को इन मुद्दों को कानूनी रूप से और राज्यों के साथ परामर्श के द्वारा भी हल करने का सुझाव दिया है ।

विद्युत अधिनियम में यथा उल्लिखित आयोग की सलाहकारी अधिकारिता का अवलंब लेते हुए, आयोग ने केंद्रीय सरकार को अनेक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए ।

आयोग के वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त संगठनात्मक संसाधनों की अपेक्षा है । आयोग ने शुल्क के ढांचे को पुनरीक्षित किया जिससे कि वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्रीय सरकार पर निर्भरता को उत्तरोत्तर रूप से समाप्त किया जा सके । प्रतिनियुक्ति पर कुशल व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में खोजना कठिन सिद्ध हो रहा है । जबकि आयोग बाजार से जरुरी विशेाज्ञता का उपार्जन कर रहा है, यह अपने निस्तारण पर पर्याप्त कुशल मानव संसाधन रखने की दृटि से अपने कर्मचारिवृंद संबंधी विनियमों का भी पुनर्विलोकन कर रहा है । हमने पणधारियों का आयोग के साथ सरल और दक्ष अंतरप्रस्थ स्थापित करने के लिए एक विस्तृत विनियामक सूचना प्रबंधन तंत्र (आर.आई.एम.एस.) को क्रियान्वित करने का भी निर्णय लिया है । इससे आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली की दक्षता को भी बढ़ाने की आशा की जाती है ।

जबकि निवेशक और विकासकर्ता विद्युत सेक्टर के बारे में आशान्वित हैं, मुख्य चुनौती राज्यों को प्रतिस्पर्धा और गैर-विभेदकारी निर्बाध पहुंच में निहित विद्युत सेक्टर में सुधार को प्रबलता से लागू करने की आवश्यकता के बारे में समझाना है ।

डा. प्रमोद देव

विषय सूची

1.	आयोग	1
	अधिदेश	2
	आज्ञापक कृत्य	2
	सलाहकारी कृत्य	2
2.	मिशन विवरण	3
3.	आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	5
	डा. प्रमोद देव,	7
	श्री भानू भूषण	8
	श्री राकेश नाथ	9
	श्री आर. कृष्णामूर्ति	10
	श्री एस. जयरमन	11
	श्री वी.एस. वर्मा	12
4.	पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन	14
	1. विद्युत बाजार	14
	2. वर्ष 2008-09 के दौरान जारी प्रमुख विनियम	14
	i. 2009-14 के लिए टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें विनियम	14
	ii. अननुसूचित अंतरविनिमय (यू आई) प्रभार विनियम, 2009	15
	iii. व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें विनियम, 2009	16
	3. निर्बाध पहुंच तथा ग्रिड अनुशासन	16
	4. सरकार को कानूनी सलाह	17
	5. नई पहलें	17
	i. थर्मल ऊर्जा केन्द्र तथा पारेषण तत्वों के लिए पूंजी लागत के बैंचमार्क विकसित करना तथा परियोजनाओं की पूंजी लागत के डाटा आधार का सृजन	17
	ii. पारेषण कीमत	17
	iii. समन्वयक फोरम का प्रचालनीकरण	18
	iv. प्रतिस्पर्धा मार्ग के माध्यम से पारेषण सेवाओं की उपाप्ति संबंधी सशक्त समिति	18
	v. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन के लिए टैरिफ के नियतन के लिए संनियम	19

6. अन्य क्रियाकलाप 19
i. केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) 19
ii. विनियामक मंच (एफओआर) 20
iii. भारतीय विनियामक मंच (एफओआईआर) 20
iv. अवसंरचना विनियम के लिए दक्षिण एशिया मंच (साफिर) 20
5. उपभोक्ताओं के फायदों के लिए विनियामक प्रक्रिया के निष्कर्ष तथा सेक्टर का विकास 21
1. उपभोक्ताओं को फायदे 21
i. टैरिफ विनियम 21
ii. निर्बाध पहुंच 22
iii. ग्रिड अनुशासन 22
2. सेक्टर का विकास 22
i. टैरिफ विनियम 22
ii. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना 23
iii. बाजार विकास 23
6. विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियां 24
1. विनियमों के लिए प्रक्रिया 24
2. याचिकाओं संबंधी आदेशों के लिए प्रक्रिया 25
3. टैरिफ अवधारण की प्रक्रिया तथा सिद्धांत 25
7. वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए क्रियाकलाप 28
7.1 विधिक कार्यवाहियां 28
7.2 वर्ष 2008-09 में जारी प्रमुख विनियम 28
1. वर्ष 2009-14 के लिए टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें विनियम 28
2. अननुसूचित अंतर-विनिमय (यूआई) प्रभार विनियम, 2009 30
3. व्यापार अनुज्ञप्ति तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें विनियम, 2009 : 32
7.3 विद्युत बाजार : व्यापार, पावर एक्सचेंज तथा निर्बाध पहुंच 32
1. विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार 32
2. पावर एक्सचेंज 35
3. बाजार मानीटरिंग प्रकोष्ठ (एमएमसी) 37
4. अंतर-राज्यिक निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना 42
5. बोली मूल्यांकन तथा संदाय प्रयोजन के लिए वृद्धि कारक तथा अन्य पैरामीटरों की अधिसूचना 45
6. 'अल्प-कालिक बिक्री/व्यापार में विद्युत की कीमत को नियंत्रित करने के उपाय' संबंधी आदेश 46

7.4	टैरिफ अवधारण	47
	1. थर्मल उत्पादन	47
	2. हाइड्रो उत्पादन	49
	3. पारेषण	50
7.5	वर्ष के दौरान अन्य क्रियाकलाप	55
	1. केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएस)	55
	2. विनियामक मंच के क्रियाकलाप (एफओआर)	57
	3. सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/आदान-प्रदान कार्यक्रम	58
7.6	भारत सरकार को सलाह	58
	1. निःशुल्क ऊर्जा की बिक्री की कीमत के विनियमन के लिए पर्याप्त कानूनी तंत्र	58
	2. निर्बाध पहुंच का प्रचालन करना	59
8.	वर्ष (2008-09) के दौरान जारी अधिसूचनाएं	60
9.	2009-10 के लिए कार्यवृत्त	61
10.	लेखाओं का वार्षिक विवरण	62
11.	आयोग का मानव संसाधन	63
उपाबंध		65
1.	केविविआ के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति	67
2.	एनटीपीसी के उत्पादन केंद्रों की 31.03.2009 को संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	99
3.	एनएलसी के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	101
4.	एनएलसी टीपीएस स्टेज - I तथा II की 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार	102
5.	डीवीसी के उत्पादन केंद्रों की 31.3.2009 को संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	103
6.	निपको के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	104
7.	हाइड्रो उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	105
8.	केविविआ की परिधि के अधीन हाइड्रो केंद्रों का संमिश्रित टैरिफ	107
9.	उन सेमिनार/सम्मेलन/आदान-प्रदान कार्यक्रमों का ब्यौरा जिनमें आयोग के अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने भाग लिया (भारत के बाहर)	108
10.	उन कार्यक्रमों का ब्यौरा, जिनमें आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया (भारत में)	109
11.	आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारिवृंद के ई-मेल तथा फोन नम्बर	110
12.	संगठनात्मक चार्ट	112

सारणी की सूचियां

सारणी 1	2008-09 के दौरान जारी व्यापार अनुज्ञप्तियां	33
सारणी 2	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा	34
सारणी 3	भारित औसत कीमत तथा व्यापार मार्जिन	35
सारणी 4	पावर एक्सचेंजों द्वारा संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत	35
सारणी 5	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा	37
सारणी 6	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत	39
सारणी 7	विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा (एमयू)	40
सारणी 8	विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)	41
सारणी 9	नाफ्था झाकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक केन्द्र का 2004–09 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार	49
सारणी 10	रंगानदी एचई केन्द्र (निपको)के लिए 2002–04 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार	50
सारणी 11	रंगानदी एचई केन्द्र (निपको) के लिए 2004–09 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार	50
सारणी 12	वर्ष (2008–09) के दौरान जारी अधिसूचनाएं	60
सारणी 13	31 मार्च, 2009 को आयोग में स्वीकृत/भरे गए/रिक्त पद	63
सारणी 14	2009-09 के दौरान भर्ती	64
सारणी 15	केविविआ के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति	67
सारणी 16	2008-09 के दौरान निपटाई गई याचिकाओं के ब्यौरे	67
सारणी 17	एनटीपीसी के उत्पादन केंद्रों की 31.3.2009 को संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	99
सारणी 18	एनएलसी के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	101
सारणी 19	एनएलसी के टीपीएस स्टेज –I का 01.04.2004 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार	102

सारणी 20	एनएलसी के टीपीएस स्टेज –II का 01.04.2004 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार	102
सारणी 21	डीवीसी के उत्पादन केंद्रों की 31.3.2009 को संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	103
सारणी 22	निपको के उत्पादन केंदों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	104
सारणी 23	हाइड्रो उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	105
सारणी 24	केविविआ की परिधि के अधीन हाइड्रो केंद्रों का संमिश्रित टैरिफ	107
सारणी 25	उन सेमिनार/सम्मेलन/आदान-प्रदान कार्यक्रम (भारत से बाहर) का ब्यौरा जिनमें आयोग के अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने भाग लिया	108
सारणी 26	ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिनमें आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया (भारत में)	109
सारणी 27	आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारिवृंद के ई-मेल तथा फोन नंबर	110

आकृतियों की सूची

आकृति 1	विनियम बनाने की प्रक्रिया	24
आकृति 2	अननुसूचित अंतर–विनिमय प्रभार	30
आकृति 3	नया यूआई विक्टर तथा पूर्व यूआई विक्टर की तुलना	31
आकृति 4	पावर एक्सचेंजों द्वारा संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा	36
आकृति 5	पावर एक्सचेंजों द्वारा संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत	36
आकृति 6	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा	38
आकृति 7	कुल विद्युत उत्पादन में व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत	38
आकृति 8	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत	39
आकृति 9	अगस्त, 08 - मार्च, 09 के दौरान विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहार	40
आकृति 10	विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की कीमत	42
आकृति 11	व्यापारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत	42
आकृति 12	31.3.2008 को केविविआ का संगठनात्मक चार्ट	112

1 - आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक से ही रही है। 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद पवार की अध्यक्षता वाली ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति ने "पब्लिक और निजी उपयोगिताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र वृत्तिक टैरिफ बोर्डों का गठन" की सिफारिश की थी । समिति ने यह भी दोहराया था कि "टैरिफ बोर्ड प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने वाले मामले में वृत्तिक वाद की उच्च अवस्था को उनके साथ लाने में समर्थ होंगे"।

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया । सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऊर्जा के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया ।

इस प्रकार, केन्द्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को अधिनियमित किया गया था ।

1998 का अधिनियम टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था । अधिनियम ने सहायिकियों आदि के बारे में, विद्युत टैरिफ पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया । इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, जुलाई, 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन किया । चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है ।

आयोग न्यायिक-कल्प स्वरूप में कार्य करता है । इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं । इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं । स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो । यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विधाओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है । अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं ।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उत्तरदायित्व में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि की है । विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन केवल टैरिफ नियतन की शक्तियां ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में विहित थी । 2003 की नई विधि के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ नियतन की शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जैसे अन्तर-राज्यिक पारेषण, अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामस्वरूप अनुज्ञप्ति में संशोधन करने, उसे निलंबित और प्रत्याहृत करने की शक्तियां, अनुज्ञप्तिधारियों के लिए निष्पादन मानक बनाकर और उनका पालन सुनिश्चित करते हुए विनियमित करने की शक्तियां, आदि ।

अधिदेश

जैसा विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा न्यस्त है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :--

आज्ञापक कृत्य :

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना ;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों से भिन्न उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में प्रवेश करती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है ;

(ग) विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को विनियमित करना ;

(घ) विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना ;

(ङ) व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतरराज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना ;

(च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संबंधित विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा माध्यस्थम् के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना ;

(छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उद्गृहीत करना ;

(ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना ;

(झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना ;

(ञ) विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार मार्जिन नियत करना ;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं ।

सलाहकारी कृत्य : केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित पर सलाह देनाः

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति को बनाने ;

(ii) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता का संवर्धन करना ;

(iii) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन ; और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय ।

2 - मिशन विवरण

1. मिशन

आयोग विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देता है, उपभोक्ता के हितों की संरक्षा करता है तथा विद्युत क्षेत्र में विनिधान को बढ़ावा देता है । इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का मिशन -

- एक कारगर टैरिफ निर्धारण तंत्र को तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेाण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययिता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा,
- भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेाण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबन्धन में सुधार करना,
- अन्तर-राज्यिक पारेाण में खुली पहुँच को सुकर बनाने, अंतर-राज्यिक व्यापार को सुकर बनाने के लए एक बाजार संरचना के सृजन द्वारा विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना,

II. मार्गदर्शक सिद्धांत

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता हैः

- सभी पणधारियों (स्टॉक होल्डरों) के प्रति, पारदर्शी और निर्पक्षीय रहते हुए उपभोक्ता और प्रदायकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण,
- पक्षकारों को सुने जाने का पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में साम्य बना रहना,
- एक ओर विचारों में संगत रहते हुए विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत सेक्टर में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना,
- यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासम्भव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों,
- विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत सेक्टर में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना,
- विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना ।

3. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

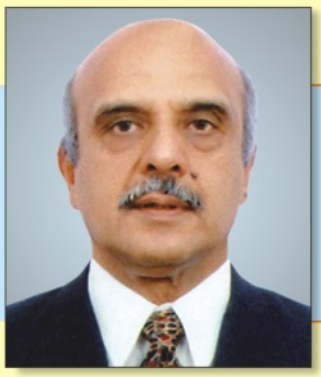

डॉ. प्रमोद देव

अध्यक्ष

(9 जून 2008 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

डॉ. प्रमोद देव ने 9 जून, 2008 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया । डॉ. प्रमोद देव भारत में विद्युत विनियामक में लंबे समय से जुड़े हुए हैं । डॉ. देव ने 29 अप्रैल 2002 को एमईआरसी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा 11 फरवरी, 2005 को वहां अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए ।

भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डॉ. देव ने अवसंरचना अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की है तथा इन्होंने ऊर्जा नीति तथा अर्थशास्त्र में पोस्ट-डाक्टरेट अनुसंधान किया है । वे ऊर्जा योजना, ऊर्जा प्रबंधन तथा विनियामक पद्धति संबंधी तीन पुस्तकों के सह-लेखक भी हैं ।

डॉ. देव के पास भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) का 30 वर्षों का अनुभव है जिसमें 20 वर्ष का अनुभव ऊर्जा क्षेत्र में नीति तथा परियोजना स्तर दोनों में है । इन्होंने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग तथा यूएनईपी तथा एआईटी जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में कार्य किया है ।

इनका महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग में राज्य विद्युत सुधार विधेयक, 2000 के प्रारूपण में प्रमुख योगदान था । इस अवधि के दौरान, इनके पास पर्यावरण विभाग का समवर्ती प्रभार भी था ।

इन्होंने पांच वर्ष तक डेनमार्क में अवस्थित ऊर्जा, जलवायु तथा संपोषित विकास (यूआरसी) संबंधी यूएनईपी रिसोई केन्द्र में ज्येष्ठ ऊर्जा अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया । इन्होंने इस केन्द्र की ओर से जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क कंवेशन में प्रभावी रूप से प्रत्युत्तर देने के लिए मिश्र, जार्डन तथा मलेशिया हेतु वैश्विक पर्यावरण सुविधा क्षमता निर्माण प्रस्तावों के विकास पर यूएनडीपी के लिए कार्य किया है । डॉ0 देव के सभी ऊर्जा पर्यावरण परियोजनाओं तथा जलवायु परिवर्तन प्रशमन अध्ययनों में व्यापक रूप से ऊर्जा क्षेत्र सुधार, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विकल्प सम्मिलित रहे।

डॉ0 देव क्रमशः, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता का संवर्धन करने के लिए स्थापित राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के ऊर्जा संस्थानों, अर्थात् महाराष्ट्र इनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी (1986-88) ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (1989-1993) के संप्रवर्तक निदेशक रहे । अंततः इस केन्द्र को ब्यूरो आफ इनर्जी एफिशिएंसी (बीईई), जो एक कानूनी निकाय है के रूप में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन उन्नत किया गया ।

इन्होंने 1993 में विश्व बैंक में अल्प-कालिक परामर्शक के रूप में तथा वर्ष 1985 से 1986 तक एशियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, बैंकाक में अनुसंधान इंजीनियर के रूप में कार्य किया ।

डॉ. देव को पवन ऊर्जा के प्रसार में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विश्व बैंक ऊर्जा संगम से विश्व पवन ऊर्जा अवार्ड 2005 से सम्मानित किया गया । भारतीय औद्योगिक परिसंध (सीटू) ने वर्ष 2006 के लिए "विख्यात व्यक्तित्व-ऊर्जा प्रबंधन" नामक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनका चयन किया ।

श्री भानु भूषण

सदस्य

(फरवरी, 2004 से फरवरी 2009 तक)

श्री भानु भूषण ने 4 फरवरी, 2004 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया । इन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी (आनर्स) डिग्री प्राप्त की है । इन्होंने 1966 में स्नातक करते ही रेनूसागर पावर कंपनी लिमिटेड, केंद्रीय जल और ऊर्जा आयोग, भारतीय ऊर्जा परियोजना परिसंघ, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, डेजइन (नई दिल्ली) प्रा. लि. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन और पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कार्य किया ।

अपने लंबे कैरियर में श्री भूषण ने थर्मल और संयुक्त साइकल ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन का विशेष अध्ययन किया और भारत में अधिकांश प्रशस्त ऊर्जा संयंत्रों की इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इन संयंत्रों ने, किसी भी प्रकार की डिजाइन से संबंधित समस्याओं के बिना कम से कम तकनीकी बातों में उनकी व्यक्तिगत अन्तर्ग्रस्तता के कारण उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया ।

इन्होंने 1991 में पीजीसीआईएल में इसके प्रारंभ से कार्यभार ग्रहण किया और 1997 में इन्होंने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पित कार्य के कारण इसके निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार ग्रहण किया । उनके उत्तरदायित्वों में पीजीसीआईएल का देशव्यापी ई एच वी नेटवर्क (99% से अधिक की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए) के ओ एंड एम व्ययों का पर्यवेक्षण और पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों का प्रचालन करना सम्मिलित है । वे उपलब्धता आधारित टैरिफ के संबंध में, अभिस्वीकृत प्राधिकारी हैं और फ्रिक्वेंसी लिंक्ड भार प्रेषण और अनुसूचित विनियम के लिए टैरिफ तथा रिएक्टिव ऊर्जा की वोलटता-लिंक्ड कीमत की विचारधारा के प्रजनक हैं । इनकी ग्रिड पैरामीटरों में सुधार करने, उत्कृष्टता के अनुसार उत्पादन को समर्थ बनाने तथा ऊर्जा व्यापार के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए 2002-03 के दौरान विश्व बैंक द्वारा सराहना की गई तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया तथा भारत में अंतरराज्यिक स्तर पर कार्यान्वित किया गया ।

इन्होंने भारतीय विद्युत ग्रिड कोड से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं और अंतर-उपयोगिता आदान-प्रदान के लिए विशेष ऊर्जा मीटरों के स्वदेशी अभिवर्धन को विनिर्दिष्ट किया और उनका मार्गदर्शन किया ।

इन्होंने 1993-94 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसीसी द्वारा थोक ऊर्जा टैरिफ संबंधी एडीबी वित्तपोषित अध्ययन का समन्वय किया । वे संकर गुरू स्वामी समिति के सदस्य-सचिव थे और विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1998, जिसमें पारेषण को एक पृथक् क्रियाकलाप के रूप में मान्यता दी गई, को अंतिम रूप देने में अंतर्वलित थे । इन्होंने उस सीबीआईपी समिति की अध्यक्षता भी की जिसने ईएचवी संरक्षण संबंधी सिफारिशों को विरचित किया । वे आईईई के ज्येष्ठ सदस्य हैं तथा सीआईजीआरई और उसकी अध्ययन समिति के सदस्य हैं । ऊर्जा प्रणाली के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्हें 1996 के लिए सीबीआईपी डायमंड जुबली पी एम आहलूवालिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी आई जी आर ई के प्रशासनिक परिषद ने वर्ष 2004 में श्री भानु भूषण को सुविख्यात सदस्य पद की उपाधि से नवाजा। श्री भानु भूषण को दिसम्बर 2004 में चेन्नई में हुए विद्युत प्रणाली सम्मेलन में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने अनेक तकनीकी लेख लिखे हैं और एकीकृत ग्रिड प्रचालन, उनके समाधान, अंतर-उपयोगिता टैरिफ, ऊर्जा क्षेत्र सुधार आदि की समस्याओं पर असंख्य व्याख्यान दिए हैं ।

श्री राकेश नाथ

अध्यक्ष, के.वि.प्रा. तथा सदस्य - पदेन के.वि.वि.आ.
(अक्तूबर, 2005 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री राकेश नाथ की अक्तूबर , 2005 में अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के रूप में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 3 नवम्बर, 2005 में एन.पी.सी.आई.एल के बोर्ड पर नियुक्त किया गया था ।

श्री राकेश नाथ, अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, अक्तूबर, 2005 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (पदेन) हैं। उनके पास विभिन्न संगठनों, अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड में विभिन्न हैसियत में ऊर्जा क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है । उनके पास ऊष्मीय और जलविद्युत केंद्रों, पारेषण प्रणाली के प्रचालन तथा रखरखाव, नहर प्रणाली के रखरखाव, जल प्रदाय का विनियमन, वृहत्त अन्तरसंयोजित क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिडों के प्रचालन में नाना प्रकार का अनुभव है ।

श्री राकेश नाथ को वर्ष 2001 में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और वे भाखड़ा ब्यास हाइड्रो केन्द्र, जिसकी संस्थापित 2866 मेगावाट की है और जो उत्तरी क्षेत्र में वृहत्त हाइड्रो कांप्लेक्स है, के प्रशासन, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी थे । इनकी पदावधि के दौरान, बी.वी.एम.बी. में काफी अधिक उत्पादन हुआ तथा सारवान् रूप से संयत्रों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है वर्ष 2000-01 के दौरान पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में अपनी पदावधि के दौरान देश के कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष ऊर्जा के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण संव्यवहार आरंभ किए और ट्रेडिंग कारपोरेशन को लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में परिवर्तित किया । इन्होंने पाकिस्तान के साथ ऊर्जा के विद्युत के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व के सदस्य के रूप में नवम्बर, 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया तथा सितम्बर, 2001 में इंडो नेपाल ऊर्जा व्यापार का संवर्धन करने के लिए भारतीय दल के सदस्य के रूप में काठमांडू का दौरा किया । इन्होंने जनवरी/फरवरी, 1999 में नई दिल्ली में पाकिस्तान सरकार के साथ बात चीत में भाग लिया ।

श्री राकेश नाथ देश के दो वृहत्त क्षेत्रीय ग्रिड अर्थात एनआरईबी और डब्ल्यू.आर.ई.बी. के सदस्य-सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड फेल होने पर जांच करने तथा उपाचारात्मक उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अन्य विभिन्न समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं । वे अन्तर-क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी समूह के संयोजक थे जिसने देश के बाहर अन्तर-क्षेत्रीय ऊर्जा अन्तरण की संरचना के लिए एक रास्ता तैयार किया ।

श्री राकेश नाथ ने 1984 में यू.के. तथा 1993 में स्वीडन में ऊर्जा प्रणाली प्रचालन तथा नियंत्रण के पाठ्यक्रमों में भाग लिया । इन्होंने सितम्बर, 2002 में अवसादन संबंधी विशेषज्ञ समिति, वृहत्त डाम संबंधी अन्तरराष्ट्रीय समिति की कार्यवाहियों में सदस्य के रूप में भाग लिया । उन्हें अगस्त, 2003 में बुफैलो, यू.एस.ए. में हुए जल ऊर्जा संबंधी अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नियुक्त किया था ।

श्री आर. कृष्णामूर्ति

सदस्य

(मई 2007 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री आर. कृष्णामूर्ति ने 10 मई, 2007 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद भार ग्रहण किया । इसके पूर्व वे फरवरी, 2005 से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य थे । श्री कृष्णामूर्ति के पास ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है । इन्होंने 30 वर्ष से अधिक ऊर्जा क्षेत्र में कार्य किया । पावर फाइनेंस कारपोरेशन में 16 वर्ष से अधिक की पदावधि के दौरान विभिन्न पदों, जिसमें निदेशक (वित्त तथा वित्तीय प्रचालन) भी सम्मिलित है, पर रहने के पश्चात् वे जनवरी 2006 में पावर फाइनेंस पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए । इसके पूर्व इन्होंने लगभग 10 वर्ष तक नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्य किया है । इन्होंने कुछ समय तक नागपुर में मिनरल एक्स - फ्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में भी कार्य किया । इन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत 1970 में भारतीय संपरीक्षा तथा लेखा विभाग में अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक) के पद से की ।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन में अपने कैरियर के दौरान, इकाई मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन आदि के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् इन्होंने प्राइवेट सेक्टर ऊर्जा उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने में सहायता दी थी । ये राज्य ऊर्जा उपयोगिताओं के संस्थागत विकास से भी जुड़े हुए थे तथा इन्होंने राज्य ऊर्जा क्षेत्र के सूधार तथा पुनर्संरचना प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया । इन्हें देश में सर्वोच्च 10 पीएसयू में से एक होने के लिए सितम्बर, 2004 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री से उत्कृष्टता के लिए स्कोप पुरस्कार से सम्मानित किया गया । वे भारत सरकार के एपीडीआरपी (प्रख्यापित ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम) के अधीन राज्य विनिर्दिष्ट सुधार संबंधी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित दीपक पारिख समिति के सदस्य थे । ये परियोजना प्रबंधन संस्थान, एनटीपीसी, नोएडा के सलाहकार परिषद् के सदस्य भी थे ।

इन्होंने दिल्ली और उसके आस-पास विभिन्न संस्थानों के संकाय का दौरा किया है । इन्हें वित्त परियोजना मूल्यांकन, वित्तीय विश्लेषण, लागत इंजीनियरिंग, निधि प्रबंधन, विदेशी मुद्रा सुधार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, संसाधन संग्रहण, विश्लेषण तथा तुलनपत्र का निर्वचन, मूल्यांकन प्रक्रिया, पूंजी व्यय विनिश्चय, लेखांकन, कर योजना तथा ऐसे ही वित्तीय मामलों में काफी अनुभव है ।

श्री कृष्णामूर्ति दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में दो टैरिफ आदेशों से जुड़े हुए थे तथा "दविविआ प्रदाय कोड तथा निष्पादन मानक संबंधी विनियम को अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अपनी पदावधि के दौरान जारी किया । ये अप्रैल, 2007 के पश्चात् आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु-वर्षीय टैरिफ के विनियम में अन्तर्वलित थे । अपनी पदावधि के दौरान इन्होंने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से तथा वितरण कंपनियों को अन्य से ऊर्जा के आबंटन को अंतिम रूप दिया तथा 1 अप्रैल, 2007 से दिल्ली में अन्तरा-राज्यिक एबीटी को आरंभ किया था ।

ये भारत के लागत तथा संकर्म लेखा संस्थान के अध्येता सदस्य है तथा इन्होंने कंपनी सचिव संस्थान की मध्यवर्ती परीक्षा भी पूरी की है । इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीएसी (गणित) में स्नातक किया है । आयोग के सदस्य के रूप में श्री आर. कृष्णामूर्ति पारेषण में टैरिफ बोली पद्धति द्वारा निजी निवेश लाने के लिए गठित ''सशक्त समिति'' के अध्यक्ष भी हैं ।

श्री एस. जयरमन

सदस्य
(11 सितम्बर, 2008 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री जयरमन ने मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की है तथा ये भारतीय लागत तथा लेखा संकर्म संस्थान के अध्येता सदस्य है । 11 मई, 1948 को जन्मे श्री जयरमन के पास सरकार तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में 35 वर्ष का अनुभव हैं तथा इन्होंने वित्त और प्रबंधन, दोनों में अनेक प्रकार के कार्य किए हैं जिनमें से 20 वर्ष तक इन्होंने बोर्ड स्तर का कार्य किया ।

इन्होंने नालको में अपना ज्येष्ठ स्तर का पद धारण किया जहां इन्होंने विभिन्न हैसियत से अनेक सफलतापूर्वक कार्य किए जिससे 40 वर्ष की युवावस्था में 1988 में एमईसीएल (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी) के निदेशक (वित्त) के लिए इनका मार्ग प्रशस्त हो गया । उसके पश्चात् इन्होंने वर्ष 1993 में निदेशक (वित्त) के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी में पदभार ग्रहण किया । इन्होंने 1998 में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा तत्पश्चात् उन्हें 1.7.2002 से 31.5.2008 तक नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

उच्च प्रबंधन दल के भाग के रूप में, वे भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए परियोजनाओं के लिए हर प्रकार के मार्गदर्शन तथा सहायता देते हुए पर्याप्त लक्ष्य तथा योजना बनाने में सहबद्ध रहे । इन्होंने दीर्घ-कालिक कारपोरेट योजना, विस्तृत विनिधान योजना, वार्षिक योजना आदि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की ।

इनके पास औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निगमित स्तरों का बेहतर ज्ञान है । इनके पास वृहत् खनन तथा ऊर्जा परियोजनाओं को तैयार करने तथा सफलतापूर्वक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में काफी अनुभव रहा है । इनके पास वृहद संगठन का प्रशासन करने का काफी लंबा अनुभव है ।

इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में विख्यात संस्थान, मैनेजमेंट कालेज, हिंले थोमस, हिनले द्वारा संचालित रणनीति प्रबंधन कालेज में भाग लिया । इन्होंने वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन लेखांकन, विदेशी मुद्रा, डब्ल्यूटीओ आदि से संबंधित विषयों पर अपने कैरियर के प्रारंभ में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया ।

इन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका, फ्रांस, जापान, मारीशस, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, हांगकांग, जर्मनी सम्मिलित हैं ।

श्री वी एस वर्मा

सदस्य

(23 फरवरी, 2009 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री वी एस वर्मा देश में थर्मल ऊर्जा तथा उत्पादन क्षमता के लिए योजना के क्षेत्र में एक सुविदित विशेषज्ञ हैं । श्री वर्मा ने वर्ष 1971 में आईआईटी रूड़की (तत्कालीन रूड़की विश्वविद्यालय) से यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक किया तथा इन्होंने वर्ष 1975 में रूड़की से एप्लाइड थर्मोसाइंज इन यांत्रिक इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की । इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बीएससी भी की तथा जो अब एफआईई के नाम से ज्ञात है । इन्होंने 23 फरवरी 2005 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया । श्री वर्मा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (योजना) तथा भारत सरकार के पदेन अपर-सचिव के पद पर थे । श्री वर्मा थोड़े समय के लिए सीईए में सदस्य (हाइड्रो) के पद पर भी रहे । इससे पूर्व, ये तीन वर्ष के लिए ब्यूरो आफ इनर्जी एफिशियएंसी के महानिदेशक भी रहे ।

श्री वर्मा 1971 बैच के केंद्रीय पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज से संबंधित है । सीईए में विभिन्न विरचनाओं में ऊर्जा क्षेत्र में 36 वर्ष के लंबे अनुभव में से, श्री वर्मा ने योजना, परियोजना, संनिर्माण, पर्यवेक्षण, प्रचालन मानीटरिंग, मानव संसाधन विकास, ग्रिड प्रचालन, संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण तथा अन्य नीति पहलुओं में व्यापक तथा मूल्यवान अनुभव अर्जित किया । ऊर्जा की योजना, भार भविष्यवाणी, संरक्षण तथा दक्षता, राष्ट्रीय विद्युत योजना, सीडीएम, बेसलाइन डाटा आदि सदस्य (योजना) के रूप में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी । श्री वर्मा ने ऊर्जा क्षेत्र में ईंधन प्रबंधन, आर एंड डी तथा आई टी के क्षेत्र में कार्य किया । श्री वर्मा ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण, मानक तथा लेवलिंग तथा ऊर्जा दक्षता का संवर्धन करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की ।

श्री वर्मा ने सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों की अध्यक्षता की जिसमें नेशनल मिशन आफ इंहैंड्स इनर्जी इफिसिएंसी के अधीन जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना संबंधी कार्यकारी समूह, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए कार्रवाई योजना की विरचना के लिए कार्यदल, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के पुगा जियो थर्मल क्षेत्रों में जियो-थर्मल आधारित संभावित ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन करने के लिए एमएन-आरई द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, ग्यारहवीं योजना के लिए ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान तथा विकास का कार्यकारी समूह, 17वीं ऊर्जा सर्वेक्षण समिति तथा अन्य,

योजना आयोग द्वारा गठित ग्यारहवीं योजना के लिए ऊर्जा संबंधी कार्यकारी समूह का सदस्य-सचिव, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घोषित 50,000 मेगावाट हाइड्रो ऊर्जा में एक अग्रिम भूमिका अदा की । इन्होंने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में सीओ 2 बेसलाईन डाटा के प्रकाशन तथा प्रचालन की दक्षता को अनुकूल बनाने के लिए देश में थर्मल ऊर्जा केन्द्रों की मैपिंग की भी अगुवाई की ।

श्री वर्मा योजना आयोग द्वारा गठित ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं तथा इनके नेतृत्व में व्यापक अनुसंधान तथा विकास परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई । श्री वर्मा ने विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए यूके, यूएसए, यूएसएस तथा जर्मनी का दौरा किया । इन्होंने ऊर्जा संबंधी विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों तथा कार्यशालाओं में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित 50 से अधिक तकनीकी पेपरों को प्रकाशित तथा उन्हें प्रस्तुत किया । श्री वर्मा उत्पादन तथा पारेषण क्षमताओं के अनुकूलतम, ऊर्जा अंतर-राज्यिक तथा अंतर-राज्यिक विनिमय, उत्पादन अनुसूचीकरण तथा लेखांकन आदि से संबंधित पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड में ऊर्जा प्रणाली मानीटरिंग तथा ग्रिड प्रचालन के लिए उत्तरदायी रहे । श्री वर्मा ने दो वर्ष तक पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट तथा हाट लाइन ट्रेनिंग सेंटर पर मानव संसाधन प्रबंधन विकास तथा प्रणाली प्रबंधन का संचालन किया । श्री वर्मा को केन्द्रीय सिंचाई तथा ऊर्जा बोर्ड तथा भोपाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आजीवनकाल उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

श्री वर्मा सीपीआरआई, एनपीटीआई, सीडब्ल्यूईटी, डीवीसी आदि जैसे विभिन्न संस्थानों के शासकीय परिषद/निदेशक बोर्ड में भी रहे हैं ।

4 - पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन

1. विद्युत बाजार

विद्युत में व्यापार एक अनुज्ञप्त क्रियाकलाप के रूप में वर्ष 2003 से मान्य है । एक वर्ष से अधिक हो चुका है जब पावर एक्सचेंजों ने प्रचालन प्रारम्भ कर दिया था । इंडियन पावर एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज आफ इंडिया लि. नामक दो एक्सचेंज हैं । ये एक्सचेंज मुख्यतः अगले दिन के संव्यवहारों के लिए प्लेटफार्म प्रदान कर रहे हैं ।

सीईआरसी में अगस्त, 2008 में एक बाजार मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ (एमएमसी) स्थापित किया गया । यह प्रकोष्ठ बाजार में अल्प-अवधि के संव्यवहारों को मॉनिटर करता है और बाजार में होने वाले विभिन्न संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है । मुख्य रूप से रिपोर्ट का उद्देश्य (i) विद्युत के अल्प-अवधि संव्यवहारों की मात्रा और कीमत के रूझानों का विश्लेषण; (ii) बाजार में व्यापारियों के मध्य प्रतियोगिता का विश्लेषण; और (iii) सभी सुसंगत बाजार सूचना प्रकटन/पारेषित करना होता है ।

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा 2008-09 की अवधि के दौरान कुल विद्युत उत्पादन का 3.57% थी ।

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत 7.29 रु./केडब्ल्यूएच और 7.60 रु./केडब्ल्यूएच थी । ये सभी अल्प-अवधि संव्यवहार हैं ।

2. वर्ष 2008-09 में जारी प्रमुख विनियम

I. 2009-14 के लिए टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें विनियम

अन्तर-राज्यिक स्तर पर उत्पादन और पारेषण के टैरिफ का विनियमन, आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण अधिदेश है । अपनी स्थापना के समय से ही आयोग उत्पादन और पारेषण के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ सिद्धांतों को अपनाता रहा है । ऐसा प्रथम टैरिफ विनियम तीन वर्षों, अर्थात 2001-04 की नियंत्रण अवधि के लिए जारी किया गया था । तत्पश्चात्, आयोग ने पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि विनिर्दिष्ट की और 2004-09 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ जारी किया । दूसरी नियंत्रण अवधि की समाप्ति के पूर्व, अब आयोग ने नियंत्रण अवधि 2009-14 के लिए निबंधन और शर्तें जारी की हैं ।

आयोग, लागत प्लस किंतु कार्य-निष्पादन से जुड़े टैरिफ सिद्धांतों पर आधारित अपनी अधिकारिता के अधीन उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों का टैरिफ विनियमित कर रहा है । टैरिफ अवधारण प्रक्रिया का आरंभिक बिंदु पूंजी लागत है । आयोग द्वारा पूंजी लागत का अनुमोदन प्रज्ञावान जांच के बाद किया जाता है । आयोग प्रचालन के ऐसे विभिन्न मानदंडों को भी अधिसूचित करता है जो उत्पादन कंपनी या पारेषण कंपनी के लिए लागत की वसूली से जुड़े हैं । 2009-14 के विनियम पूर्व विनियमों से कई मायनों में बहुत अलग हैं । आयोग ने पूर्व की कर रिटर्न के मुकाबले में कर पूर्व रिटर्न के दृष्टिकोण को अपनाया है । पूर्व के अनुसार अब हितधिकारियों पर उत्पादन या पारेषण कंपनियों के

आय-कर दायित्वों का बोझ नहीं पड़ेगा । सीईआरसी की विनियामक की दार्शनिकता दक्ष अभिलाभों को प्रोत्साहित करना और सुधार को आवधिक रूप से हितधिकारियों तक पहुँचाना रही है । उसी दार्शनिकता को इस नियंत्रण अवधि के लिए भी अपनाया गया है । प्रचालन के मापदंडों को कड़ा किया गया है जबकि साथ ही विकासकर्ताओं के लिए दक्षता अभिलाभों हेतु छूट दी गई है । अनंतिम टैरिफ की पूर्व पद्धति को वृहत विनियामक निश्चितता लाने के साथ ही समाप्त कर दिया गया है ।

II. अननुसूचित अन्तर–विनिमय (यूआई) प्रभार विनियम, 2009

आयोग ने उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) की संकल्पना प्रारम्भ की है जिसके प्राथमिकतः दो संघटक हैं, अर्थात नियत लागत और परिवर्तनीय लागत । नियत लागत, आयोग द्वारा अवधारित मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर वसूल किए जाने के लिए अनुज्ञात की जाती है जबकि परिवर्तनीय प्रभारों की वसूली आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ऊष्मा दर, सहायक उपभोग आदि के संबंध में केन्द्र की दक्षता जैसे प्रचालन मानदंड प्राप्त करने से संयोजित होती है । ईंधन की लागत को, जो यूटीलिटी के नियंत्रण से बाहर है, उपेक्षित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है । हाइड्रो केन्द्रों के मामले में, ईंधन का कोई संघटक नहीं होता और एएफसी को में क्षमता प्रभार और परिवर्तनीय प्रभार में बांट लिया जाता है । हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए क्षमता प्रभारों की पूर्ण वसूली, मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) के तत्समानी लक्ष्य उपलब्धता प्राप्त करने से संयोजित है ।

जहां उत्पादक को उपलब्धता की घोषणा करने की स्वतंत्रता है, वहीं प्रेषण साधारणतया योग्यता आदेश सिद्धांतों पर आधारित भार प्रेषण केंद्रों द्वारा नियंत्रित होता है । भार प्रेषण केन्द्र, प्रेषण के लिए उत्पादक को एक समय-सूची देता है और ऊर्जा प्रभार अनुसूचित ऊर्जा के आधार पर संदेय होता है । तथापि, वास्तव में, कोई उत्पादक और वस्तुतः क्रेता भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए क्रमशः उत्पादन समय-सूची या निकासी समय-सूची से विचलित हो सकता हैं । इस विचलन को अननुसूचित विनिमय (यू आई) तंत्र के नाम से ज्ञात तंत्र के माध्यम से हिसाब में लिया जाता है । आयोग यू आई प्रभार नियत करता है जो ग्रिड आवृत्ति से जुड़े होते हैं । साधारण सिद्धांत यह है कि यदि आवृत्ति कम होगी (अधिक मांग या प्रदाय की कमी होने पर) तो यू आई प्रभार उच्चतर होगा । इसका उद्देश्य, आवृत्ति की अनुज्ञात रेंज के परे अधिक निकासी को हतोत्साहित करने का संकेत देना है क्योंकि इससे ग्रिड सुरक्षा को संकट हो सकता है ।

पूर्व में, यूआई प्रभार टैरिफ की शर्तों और निबंधनों संबंधी विनियमों का भाग थे । इस वर्ष, आयोग ने यू आई प्रभारों पर पृथक विनियम जारी किए हैं । आयोग ने, यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि यू आई विद्युत के व्यापार का मार्ग नहीं है, पहली बार अनुज्ञेय प्रचालन रेंज के भीतर ग्रिड से अधिक ग्रहण के लिए सीमाएं विनिर्दिष्ट कीं हैं । वह इस दार्शनिकता के अनुरूप है कि यूआई का मुख्य प्रयोजन ग्रिड अनुशासन को प्रवृत्त करना और अनाशयित यू आई का विनिमय के लिए दरों के नियतन का उपबंध करना है। इस कदम से वितरण

उपयोगिताओं को विद्युत की योजनाबद्ध उपाप्ति के लिए सशक्त संकेत दिया जाएगा जिससे विनिवेशकर्ता के लिए नए ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

III. **व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें विनियम, 2009**

आयोग ने 2004 में व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तें जारी की थीं और समय की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर, उसमें संशोधन किए । वर्ष 2009 में, आयोग ने इस संबंध में, विनियमों को पुनरीक्षित किया और विद्युत व्यापार की चालू कीमत, विद्युत व्यापार कारबार की द्रवता अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए शर्तों को कड़ा करके समेकित विनियम जारी किए । यह सुनिश्चित करने का आशय भी था कि बाजार में व्यापार कारबार करने की आशा करने वाले केवल संजीदा लोग ही शेष रहें ।

3. निर्बाध-पहुंच और ग्रिड अनुशासन

I. निर्बाध पहुंच से इंकारः

आयोग ने निर्बाध-पहुँच की युक्ति में अन्तवर्लित मामलों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की । कर्नाटक के मामले में, अधिनियम की धारा 11 के अधीन जारी राज्य सरकार द्वारा निदेश के आधार पर एसएलडीसी ने निर्बाध-पहुंच से इंकार किया था । आयोग ने 22 जनवरी 2008 के अपने आदेश में यह संप्रेक्षित किया कि प्रवृत्त किसी कानूनी उपबंध को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 11 के अधीन निदेश जारी नहीं किया जा सकता और निर्बाध-पहुँच प्रदान करने के लिए केपीटीसीएल को निदेश दिया । कर्नाटक सरकार ने तारीख 21.01.2009 के आयोग के आदेश को खंडित करने के लिए उत्प्रेषण रिट या निदेश की ईप्सा करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने, आयोग के आदेश पर रोक लगाते हुए, 26 जनवरी 2009 को एक अंतरिम आदेश जारी किया । आयोग यह मामला लड़ रहा है ।

II. ग्रिड अनुशासनहीनताः

आयोग ने ग्रिड से अतिग्रहण के संबंध में ग्रिड अनुशासनहीनता वाले तथा यू आई बकाया के संदाय में अतिक्रमण वाले मामलों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की । आयोग ने भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) के अन-नुपालन के लिए एपी ट्रांसको, केपीटीसीएल, केरल एसईबी, टीएनएबी और यूपीपीसीएल पर शास्ति अधिरोपित की ।

मांग और प्रदाय में बड़े अंतर का प्रमुख कारण राज्यों द्वारा समुचित योजना का अभाव है । संबंधित राज्य उपयोगिताओं से यह अपेक्षित है कि वे पहले से यह योजना बनाएं कि वे उपभोक्ता भार को ग्रिड से अतिग्रहण के बिना कैसे पूरा करेंगे । आईईजीसी ने इस दायित्व को स्पष्टतया सभी राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एलएलडीसी)/राज्य पारेषण उपयोगिताओं (एसटीयू) पर रखा है । पारिवार्षिक समस्या पर काबू पाने के लिए इस खंड का अनुपालन आवश्यक है । अतः, आयोग ने सभी राज्य पारेषण उपयोगिताओं को भार को पूरा करने की योजना के संबंध में आंकड़े आवधिक रूप से आयोग को भेजने का निदेश दिया ।

आयोग ने फायदाग्राहियों द्वारा यू आई बकाया का

संदाय न किए जाने के मामलों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और यूपीपीसीएल तथा जेएण्डके, पीडीडी जैसी उपयोगिताओं पर अधिनियम की धारा 142 के अधीन शास्ति अधिरोपित की ।

4. सरकार को कानूनी सलाह

वर्ष 2009-10 के दौरान आयोग ने, विद्युत सेक्टर के समक्ष आने वाले जटिल मुद्दों, मुख्यतः विनिर्दिष्ट रूप से निर्बाध पहुंच के मुद्दों पर भारत सरकार को कानूनी सलाह दी । यद्यपि, आयोग ने निर्बाध पहुंच से इंकार और एसएलडीसी द्वारा निर्बाध पहुँच प्रदान करने को गैर-निर्पक्षीय भूमिका के अभिकथित मामलों के विरूद्ध आदेश पारित किए किंतु यह महसूस किया कि इन मुद्दों की जड़ें कल्पना किए जाने से अधिक गहरी हैं । अतः, आयोग ने, अधिनियम के अधीन अधिकारों के दुरूपयोग के उदाहरणों को दर्शाते हुए और उसके बुरे प्रभावों पर नियंत्रण के लिए तथा निर्बाध पहुंच को प्रचालित करने के उपायों के लिए भारत सरकार को कानूनी सलाह दी ।

5. नई पहलें

I. थर्मल ऊर्जा केन्द्रों और पारेषण तत्वों के लिए पूंजी लागत के बैंचमार्क विकसित करना और परियोजनाओं की पूंजी लागत के आंकड़ा आधार का सृजन

उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ को लागत प्लस दृष्टिकोण के आधार पर विनियमित किया जाता है और पूंजी लागत प्लस टैरिफ का आधार है । आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक वस्तुनिष्ठ प्रज्ञावान जांच और संवीक्षा के पश्चात् निकाली गई पूंजी लागत के आधार पर टैरिफ की गणना की जाए लागत के अनुमोदन के लिए बैंचमार्क विकसित करने की शुरूआत की है। अतः आयोग ने 2009-14 के लिए टैरिफ विनियमों में उत्पादन और पारेषण के लिए पूंजी लागत बैंचमार्क विकसित करने हेतु उपबंध किया जिसे भविष्य में उत्पादकों और पारेषण कंपनियों द्वारा दर्शित की गई पूंजी लागत के विवेकी जांच के लिए उपयोग किया जा सकेगा । आयोग यह अभ्यास प्रारम्भ कर चुका है और आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बैंचमार्क सृजित किए जा रहे हैं ।

II. पारेषण कीमतीकरण

आयोग ने, भारत में अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए कीमतीकरण तंत्र पर एक एप्रोच पेपर निकाला हैं । विभिन्न नेटवर्क उपभोक्ताओं के मध्य पारेषण प्रभारों के आबंटन का वर्तमान तंत्र प्रादेशिक डाक टिकट रीति पर आधारित है । डाक टिकट तब अधिक कारगर होता है जब विचारण में भौगोलिक क्षेत्र/विद्युत नेटवर्क आनुपातिक रूप में छोटा हो, प्रवाह सरल हो और अन्तरवर्ती/वैद्युतीय संसंप्त क्षेत्रों के लिए बड़ी बाध्यताओं (समानान्तर प्रवाहों) का कारण ने बनते हों और आर्थिक दक्षता पर सरलता तथा सामाजिक ग्राहयता को पूर्विक्ता दी जाती है । निर्बाध पहुँच और विद्युत के व्यापार के कारण अधिक अन्तर-राज्यिक और अन्तर प्रादेशिक प्रवाहों से देश भर में प्रवाह पैटर्न में परिवर्तन आया है । परिवर्तित दृश्य लेख में, प्रादेशिक डाक टिकट रीति पारेषण प्रभारों से पेन मेंकिंग की समस्याओं से घिरी हुई है जो देश भर के आर्थिक व्यापार को बाधित करते हैं और इसलिए प्रतिस्पर्धा में तथा स्रोतों के कारगर उपयोग में बाधा डालती है । प्रस्तावित नई रीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति के मुख्य अधिदेशों को पूरा करती है, जिसके द्वारा यह

अपेक्षित है कि पारेषण कीमतें दूरी और दिशा संवेदी, थोक विद्युत पारेषण करारों से स्वतंत्र होनी चाहिए तथा प्रत्येक नेटवर्क उपभोक्ता पर लगाए गए चार्ज में नेटवर्क की उपयोगिता प्रतिबिंबित होनी चाहिए । प्रस्तावित रीति प्रणाली के"उपयोग" को दर्शाने वाले भार प्रवाह अध्ययन पर आधारित "मार्जिनल भागीदारी" (एम वी) रीति पर आधारित है । वर्तमान में परामर्श प्रक्रिया जारी है तथा प्रस्तावित रीति का और अधिक विश्लेषण किया जा रहा है ।

(iii) समन्वयन फोरम का प्रचालनीकरण

देश में विद्युत प्रणाली के अबाध और समन्वयित विकास के प्रयोजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में समन्वय फोरम सृजित करना अनुध्यात किया गया है । भारत सरकार ने इस समन्वय फोरम का गठन केविविआ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया । फोरम के अन्य सदस्यों में विद्युत मंत्रालय, सीईए, केन्द्रीय उत्पादन इकाईयां, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, प्राइवेट थर्मल और प्राइवेट हाइड्रो उत्पादन के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं ।

फोरम का अधिदेश हैः (i) विद्युत प्रणाली के विकास के लिए विनिवेश आकर्षित करने को सुकर बनाना, (ii) अन्तर-राज्यिक स्तर पर विद्युत ग्रिड के अबाध और विश्वसनीय प्रचालन को सुकर बनाना, (iii) उत्पादन कंपनियों के लिए ग्रिड की संयोजकता और पारेषण प्रणाली के लिए निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना, तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट विद्युत प्रणाली के किसी पहलू पर व्यापक मतैक्य प्राप्त करने के लिए बातचीत करना । फोरम ने वर्ष 2009 के दौरान कार्य करना प्रारम्भ कर दिया ।

वर्ष भर में फोरम ने अनेक मामलों पर चर्चा की जिनमें (i) अनुमोदन के लिए समय कम करते हुए दीर्ध-कालिक निर्बाध पहुँच को अन्तर-राज्यिक स्तर पर सुकर बनाना, (ii) अल्प-कालिक व्यापार के लिए राज्य उत्पादन इकाइयों तक अन्तर-राज्यिक प्रणाली पहुँच प्रदान करना, (iii) दीर्ध-कालिक निर्बाध-पहुँच (एसटीओए) के आधार पर अल्पकालिक निर्बाध–पहुँच का सुव्यवस्थीकरण, (iv) अन्तर-राज्यिक पारेषण की अन्तरण क्षमता का निर्धारण, (v) आई ई जी सी के अंतर्गत प्रचालन आवृत्ति बैंड को 49.5 एच जेड से 50.2 एच जेड तक कड़ा करना, और (vi) जेबी/एसपीवी मार्ग से आईपीपी की समर्थित पारेषण प्रणाली सम्मिलित हैं । इन मामलों में की गई चर्चा से महत्वपूर्ण मामलों में विनिश्चय लेने में सहायता मिली है और फोरम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सहायक हुए हैं ।

(iv) प्रतिस्पर्धा मार्ग के माध्यम से पारेषण सेवाएं उपाप्त करने संबंधी सशक्त समिति

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा पारेषण सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर आधारित टैरिफ के लिए ऊर्जा मंत्रालय के पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांतों में; (i) परियोजना की पहचान करने, (ii) बोली दस्तावेजों को तैयार करने को सुकर बनाने तथा उपयुक्त अभिकरण के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करने, (iii) बोलियों के मूल्यांकन को सुकर बनाने, (iv) विकासकर्ता तथा सबंद्ध उपयोगिताओं के बीच पारेषण सेवा करार को अंतिम रूप देने तथा उस पर हस्ताक्षर करने को सुकर बनाने, तथा (v) इस स्कीम के अधीन परियोजनाओं के विकास को सुकर बनाने के लिए, सशक्त समिति के कृत्य परिभाषित हैं ।

श्री आर. कृष्णमूर्ति, केविविआ, जिसमें केविप्रा, संबद्ध प्रादेशिक ऊर्जा समिति के प्रतिनिधि भी है, तथा वित्त में विशेषज्ञता वाले स्वतंत्र सदस्य भी है, की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया है। सशक्त समिति ने वर्ष में अनेक बैठकें की थी जिसमें प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया को सुकर बनाने तथा इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए आरईसी तथा पावर फाइनेन्स कारपोरेशन (पीएफसी) की एसपीवी के साथ अनेक बैठकें भी हैं। उत्तरी क्षेत्र द्वारा एनईआर-ईआर अधिशेष विद्युत के आयात को समर्थ बनाने के लिए पारेषण स्कीम के लिए बोली प्रक्रिया को पीएफसी की एसपीवी के माध्यम से पूरा कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, आरईसी के एसपीवी के माध्यम से दो पारेषण परियोजनाएं, अर्थात् नार्थ कर्णपारा पारेषण लाइन तथा तलचर-II पारेषण लाइन अंतिम प्रक्रम पर है । सशक्त समिति ने प्रतिस्पर्धा बोली मार्ग के माध्यम से चार अतिरिक्त परियोजनाओं की भी पहचान की है ।

(v) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन के लिए टैरिफ के नियतन के लिए संनियम

अधिनियम की धारा 61, केन्द्रीय आयोग को, विनियमों द्वारा उक्त धारा तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति के उपबंधों के अनुसार टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करती है । अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (ज) यह अनुबद्ध करती है कि टैरिफ का अवधारण करते समय, आयोग ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से सह-उत्पादन तथा उत्पादन के संवर्धन के पहलुओं द्वारा मार्गदर्शित होगा । टैरिफ नीति का खंड 6.4 आयोग को गैर-फर्म ऊर्जा

की कीमत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करने के लिए, विशेषकर गैर-पारंपरिक स्त्रोतों से, जब उपाप्ति प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की जाती है, जिम्मेदारी व्यस्त करता है । इन अधिदेशों को पूरा करने के लिए, संनियमों को बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है जिसे केविविआ द्वारा अधिनियम की धारा 79 को अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन के लिए टैरिफ का अवधारण करने के लिए लागू किया जा सकेगा । ये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 (क) के निबंधनों के अनुसार राज्य आयोगों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में होंगे ।

6. अन्य क्रियाकलाप

i. केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी):

वर्ष 2008-09 में, केन्द्रीय सलाहकार समिति की दो बैठकें हुई थीं । व्यापार विनियम, व्यापार मार्जिन, 2009-14 की अवधि के लिए केविविआ के टैरिफ

के निबंधन तथा शर्तें विनियम जैसे महत्वपूर्ण विनियमों पर विचार-विमर्श तथा चर्चा की गई थी । सीएसी ने "निर्बाध पहुंच का कार्यान्वयन" अर्थात् राज्य भार प्रेषण केंद्रों (एसएलडीसी) की स्वतंत्रता, निर्बाध-पहुंच को प्रचालित करने में राज्य सरकारों की भूमिका, निर्बाध-पहुंच को सुकर बनाने के लिए विनियामक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया ।

(ii) विनियामक मंच (एफओआर):

आयोग विनियामक मंच को सचिवालयीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिदेश के अनुसार, केविविआ का अध्यक्ष एफओआर का अध्यक्ष है जिसे, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत क्षेत्र में विनियम संबंधी अभिगम पर सहमति तथा एकरूपता बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।"एफओआर" के सचिवालय के रूप में, केविविआ ने विभिन्न जटिल मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए फोरम की सहायता की अर्थात् (i) एमवाईटी विरचना तथा वितरण मार्जिन, (ii) ईआरसी की स्टाफिंग, (iii) निर्बाध-पहुंच, (iv) कदाचार संहिता, (v) डीएसएम तथा ऊर्जा दक्षता, (vi) हानि कटौती रणनीतियां, (vii) नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नीतियां, (viii) उपभोक्ता हित की संरक्षा तथा (ix) मीटरिंग संबंधी मुद्दों ।

"एफओआर" ने इस अवधि के दौरान, जिसमें (i) "विद्युत सुधार तथा विनियम-दृक शक्ति तथा उपलब्धियों के बीच अवरोधों तथा दूरी पर ध्यान आकर्षित करने के साथ पिछले दस वर्ष के अनुभव का जटिल पुनर्विलोकन," (ii) "कार्य-निष्पादन मानक संबंधी माडल विनियम (एसओपी)"; (iii) "वितरण मार्जिन के लिए समुचित माडल तैयार करना"; और (iv) वितरण कारबार के लिए पूंजी लागत बैंचमार्क" सम्मिलित हैं, पर भी अध्ययन किया ।

(iii) भारतीय विनियामक मंच (एफओआईआर)

आयोग भारतीय विनियामक मंच को भी सचिवालयीय सेवा प्रदान करता है ।"एफओआईआर" की गतिविधियां साधारणतः एफओआर के साथ चलती है तथा एफओआईआर जिसमें न केवल अध्यक्ष हैं अपितु विनियामक आयोगों के सदस्य भी है, के सचिवालय के रूप में केविविआ मंच के लिए परिकल्पित कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करता है ।

(iv) अवसंरचना विनियम के लिए दक्षिण एशिया मंच (साफिर)

"साफिर" एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसे 1999 से विश्व बैंक/पीपीआईएएफ की सहायता से चलाया जा रहा है । पिछले वर्ष, "साफिर" की विषय-निर्वाचन समिति ने केविविआ से साफिर को तीन वर्ष की अवधि के लिए सचिवालयी सेवाएं प्रदान करने का अनुरोध किया । वर्ष के लिए गतिविधियां आरंभ करने की योजना बनाई गई थी । केविविआ ने पहचाने गए क्षेत्रों, विशेषकर अवसंरचना विनियम पर कोर पाठ्यक्रम, अवसंरचना संबंधी विनिधान सम्मेलन आयोजित करने, संबंधी गतिविधियां आरंभ की ।

5 - उपभोक्ताओं के फायदे के लिए विनियामक प्रक्रिया के निष्कर्ष तथा सेक्टर का विकास

1. उपभोक्ताओं को फायदा

केविविआ का एक मार्गदर्शक सिद्धांत समाज के हितों, जिसमें सभी पणधारियों के लिए शेष उचित, पारदर्शी तथा तटस्थता प्रदान करते समय उपभोक्ता हित तथा प्रदायकर्ता भी है, की संरक्षा करना है । इस संबंध में, आयोग ने उपभोक्ता हितों के सुरक्षोपाय के लिए निम्नलिखित पहल की है:-

I. टैरिफ विनियम

(i) पूर्व-कर रिटर्न आन ईक्विटी (आरओई) :

उपभोक्ताओं को यूआई अर्जन, प्रोत्साहन अर्जन तथा परियोजना के दक्षता लाभ पर आय-कर का वहन नहीं करना होगा । पूर्व-कर रिटर्न फायदाग्राहियों के आय-कर के ग्रासिंग-अप के भार को कम करेगा ।

(ii) अवक्षयण:

टैरिफ नीति के आधार पर, अवक्षयण के प्रति अग्रिम को हटाते समय, नई परियोजनाओं की ऋण बाध्यताओं के प्रति संदाय का ध्यान रखते हुए, अवक्षयण की दर को पुनः नियत किया गया है । तथापि, एक बार 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, शेष अवक्षयण के युक्तियुक्त टैरिफ को ध्यान में रखते हुए, शेष उपयोगी जीवन काल पर विस्तारित किया जाएगा ।

(iii) कठोर दक्षता संनियम:

केविविआ की विनियामक नीति दक्षता लाभ को प्रोत्साहित करना तथा फायदाग्राहियों को आवधिक रूप से फायदे देना है । तदनुसार, थर्मल ऊर्जा संयंत्रों के लिए नियत लागत की वसूली हेतु लक्ष्य उपलब्धता को 80% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया । स्टेशन हीट दर को जटिल बना दिया गया है । नई यूनिटों के लिए, डिजाइन हीट दर की बाबत केवल 6.5% का प्रचालन मार्जिन अनुज्ञात किया गया है । विनियम यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम अनुज्ञेय डिजाइन हीट दर का उपबंध करता है जिससे कि काम न करने वाली मशीनों को प्राप्त न किया जा सके ।

(iv) गौण तेल खपत पर बचत की भागीदारी:

गौण तेल खपत के लिए संनियमों को 2 मि.ली. प्रति यूनिट से घटाकर 1 मि.मी. प्रति यूनिट कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, गौण तेल खपत में बचत को फायदाग्राहियों के साथ 50:50 के अनुपात में बांटा जाना है ।

(v) पूंजी लागत बैंच मार्किंग:

टैरिफ नियतन को और अधिक महत्वपूर्ण तथा सरल बनाने के लिए, केविविआ ने थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं तथा पारेषण परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत बैंचमार्क को स्थापित करने का विनिश्चय किया है । अनंतिम टैरिफ के उपबंध को समाप्त कर दिया गया है तथा कंपनियां एक बार में ही अंतिम टैरिफ ले सकेंगी ।

(vi) मितव्ययिता मापमान

विस्तारण परियोजनाओं के प्रचालन में विकासकर्ताओं को उपलब्ध मितव्ययिता मापमान के लिए फायदाग्राहियों के साथ भागीदारी करनी होगी क्योंकि अनुज्ञेय ओ एंड एम व्यय को नई विस्तारण यूनिटों के लिए डि-स्केल्ड कर दिया गया है ।

II. निर्बाध-पहुंच

(i) आयोग ने क्रेताओं को अपने प्रदायकर्ता चुनने के विकल्प में समर्थ बनाने के लिए निर्बाध-पहुंच को सुकर किया है ।

(ii) आयोग ने निर्बाध पहुंच से इंकार करने वाले मामलों के विरूद्ध कढाई से कार्रवाई की । आयोग द्वारा पारित आदेशों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय-7 में "निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना" खंड में हैं ।

iii. ग्रिड अनुशासन

(i) आयोग ने ग्रिड के स्थायी तथा सुनिश्चित प्रचालन को सुकर किया है ।

(ii) आयोग ने ग्रिड अनुशासन का अतिलंधन करने वालों के विरूद्ध कढ़ाई से कार्रवाई की । आयोग द्वारा पारित आदेशों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय-7 में "पारेषण" उपखंड के "ग्रिड अनुशासन के लिए उपयोगिताओं के विरूद्ध कार्रवाई" शीर्षक में है ।

2. सेक्टर का विकास

केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, प्रदायकर्ताओं के हित उचित, पारदर्शी तथा तटस्थ होने चाहिए । इस संबंध में, आयोग ने प्रदायकर्ताओं/विकासकर्ताओं के हितों के सुरक्षोपाय के लिए निम्नलिखित पहल की हैः

(I) टैरिफ विनियम

(i) रिटर्न ऑन ईक्विटी (आरओई);

(क) रिटर्न ऑन ईक्विटी अनुज्ञात करने के लिए आधार दर को वर्तमान बाजार परिस्थिति में विनिवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से, 14% से बढ़ाकर 15.5% कर दिया गया है ।

(ख) रिटर्न आन ईक्विटी पूर्व-कर होगी जिसके लिए 15.5% की आधार दर को कंपनी के लिए लागू कर दर द्वारा योग किया जाएगा । यह विनिवेश प्रोत्साहन को प्रेरित करेगा क्योंकि कर-छूट का फायदा अब परियोजना विकासकर्ता को मिलेगा ।

(ii) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहनः

ऊर्जा की कमी की वर्तमान अवधि में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उन परियोजनाओं के लिए 0.5% की अतिरिक्त रिटर्न आफ ईक्विटी उपलब्ध होगी जो दी गई समय-सीमा के भीतर किए जाते हैं ।

(iii) प्रोत्साहन निपादन के लिए प्रचालन संनियमः

(क) टैरिफ विनियम में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर सम्यक् ध्यान दिया गया है । थर्मल ऊर्जा संयंत्रों का प्रचालन करने वाली कंपनियों के पास अब दो विकल्प होंगे । पहले विकल्प में, परियोजनाओं के मानकीय उपयोगी जीवनकाल के पूरा होने के पश्चात् प्रतिवर्ष प्रति मेगावाट के आधार पर विशेष भत्ते का दावा करते हैं तथा ऐसी परिस्थिति में उत्पादन कंपनी उपलब्धता तथा प्रचालनों के लिए नियत संनियमों के अनुसार परिदान के लिए बाध्य होंगे । दूसरा विकल्प व्यापक आरएंडएम के लिए है जिसे विस्तृत लागत फायदा विश्लेषण, जिसमें फायदाग्राहियों को दक्षता लाभ भी है, के आधार पर आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाना है ।

(ख) ऊर्जा संयंत्रों को उच्चतर उपलब्धता प्रोत्साहन देने के लिए, उत्पादन कंपनियों को उपलब्ध प्रोत्साहन अब संयंत्र भार कारक के बजाय घोषित उपलब्धता

के आधार पर उपलब्ध होगा जिससे उत्पादन बेहतर उपलब्धता घोषित कर सकें तथा वास्तविक अनुसूची उनके नियंत्रण में न हो ।

II प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

(i) व्यापार द्वारा निर्बाध पहुंच को सुकर बनानाः

ऊर्जा व्यापार वितरण उपयोगिताओं के साथ अधिशेष ऊर्जा के निपटान को सुकर बनाकर अधिकतम संसाधन में तथा अल्प-कालिक व्यस्ततम मांग को पूरा करने में सहायता करता है । केंद्रीय तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को क्रमशः अंतर-राज्यिक तथा अंतरा-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तियां प्रदान करने की शक्तियां हैं । केविविआ ने 43 अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तियां प्रदान की हैं जिनमें से 41 अनुज्ञप्तियां 31.3.2009 तक मौजूद हैं ।

ii. निर्बाध-पहुंच संव्यवहारः

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार संबंधी विनियमों के साथ अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच संबंधी विनियमों ने अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा के अंतरण को सुकर बनाया है । अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच संव्यवहार 2004-05 में 778 से बढ़कर 2006-07 में 5933 हो गया । 2007-08 के दौरान ऐसे संव्यवहारों की संख्या 2007-08 में 9560 तथा 2008-09 में (दिसम्बर 2008 तक) 9347 थी ।

III बाजार विकास

(i) अल्प-कालिक संव्यवहार :

कुल विद्युत उत्पादन में विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा में 2008-09 की अवधि के दौरान 6.55% से 8.57% तक का फेरफार था ।

(ii) पावर एक्सचेंजः

केविविआ ने पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं । पावर एक्सचेंजों को स्थापित करने के लिए दो आवेदनों का अनुमोदन किया । दो पावर एक्सचेंज, अर्थात् मैसर्स इंडियन इनर्जी एक्सचेंज लि. (आईईएक्स), नई दिल्ली तथा पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल) ने क्रमशः 27 जून 2008 तथा 27 अक्तूबर 2008 से अपना प्रचालन आरंभ कर दिया है । 2008-09 के दौरान पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा आईईएक्स में 2.62 बीयू तथा पीएक्सआई में 0.15 बीयू थी । अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों की कुल मात्रा 2008-09 के दौरान 24.69 बीयू थी ।

6 - विनियामक प्रक्रियाएं और कार्यवाहियां

केन्द्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है--

1. विनियमों को अधिसूचित करता है ;
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं के आदेश जारी करता है--
   - टैरिफ अवधारित करने
   - अनुज्ञप्ति जारी करने
   - याचिकाओं का पुनर्विलोकन और प्रकीर्ण याचिकाएं ।

1. विनियमों के लिए प्रक्रिया

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है, इसके साथ ही, उन मुद्दों पर, जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं । परामर्श पेपर कर्मचारिवृन्द स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है । परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों से टीका-टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है । टीका-टिप्पणियों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है । प्राप्त टीका-टिप्पणियों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार-विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किया जाता है । अधिनियम की अपेक्षा अनुसार, ड्राफ्ट विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका-टिप्पणी मंगाने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं । टीका-टिप्पणियों की प्राप्ति और उन पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है ।

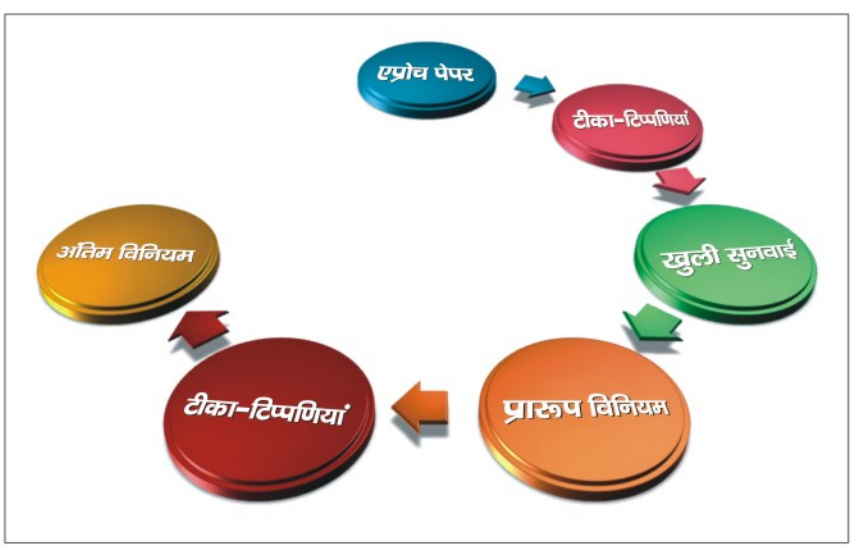

आकृति 1. विनियमों को बनाने की प्रक्रिया

2. याचिकाओं से संबंधित आदेश के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं --

- उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का अवधारण करने ;
- विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण और अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने ;

उपरोक्त के अलावा, आयोग के समक्ष निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं -

- प्रकीर्ण याचिकाएं
- पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं फाइल करते हैं और अपनी याचिकाओं की प्रति की सभी संबंधितों को तामील करते हैं । आवेदक से टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेवसाइड पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र में नोटिस देने की अपेक्षा की जाती है । तत्पश्चात्, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है और जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले के संबंध में बहस करते हैं । आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है । याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने के लिए या और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरुद्ध विधि के अधीन अनुज्ञात किया जाता है ।

3. टैरिफ अवधारण की प्रक्रिया और सिद्धान्त

के.वि.वि.आ. के सृजन के पूर्व, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात् एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., एन.एल.सी. और निपको का टैरिफ परियोजना विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जा रहा था । केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया । के.वि.वि.आ. को, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के अवधारण का कार्य सौंपा गया था । इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी । सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात् आयोग ने टैरिफ के निबंधनों और शर्तों को तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2001-04 के लिए मार्च, 2001 में उन्हें अधिसूचित किया । विद्युत अधिनियम 2003 (जो अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को निरसित करता है) के अधिनियमन के पश्चात् आयोग ने मार्च, 2004 में और पांच वर्ष की अवधि, अर्थात् 2004-09 के लिए नए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया । आयोग ने अब 2009-14 के लिए विनियम विनिर्दिष्ट किए हैं ।

टैरिफ समय-समय पर, यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार लागू किया जाता है । निबंधन और शर्तें वित्तीय सन्नियम और तकनीकी सन्नियम अन्तर्विष्ट करती हैं । टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आरंभिक बिन्दु होती है । इसे विनियमित टैरिफ कहना और अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक ।

थर्मल केन्द्रों के परिवर्तनीय प्रभार मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत परिवर्तन के लिए सही होते हैं ।

टैरिफ संगणना बहुत ही जटिल होती है क्योंकि टैरिफ में लाए जाने वाले विभिन्न तत्वों को पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है । प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधारित ईंधन कीमत और जी.सी.वी. तथा पर्याप्त प्रचालन के लागू सन्नियम पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न-भिन्न होता है । प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उपयोगिता दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और विक्रेता उपयोगिता से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं ।

थर्मल उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ में निम्नलिखित दो भाग सम्मिलित होते हैं--

(1) वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी)

(2) परिवर्तनीय प्रभार

वार्षिक नियत प्रभार में पांच तत्वों सम्मिलित हैं, अर्थात् ईक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज, अवक्षयण तथा अवक्षयण के प्रति अग्रिम, ओ. एंड एम. व्यय तथा कार्यकरण पूंजी पर ब्याज और इसकी संगणना आयोग द्वारा स्वीकृत प्रज्ञावान पूंजी व्यय के आधार पर की जाती है । यदि उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो आयोग टैरिफ आदेश में कारण देते हुए पूंजी व्यय को अननुज्ञात या सीमित कर सकता है । के.वि.वि.आ. द्वारा विनियमित सभी केन्द्रों को "आगे के दिन" की अनुसूचीकरण की प्रक्रिया का पालन करना होता है । और अपनी उपलब्धता की घोाणा "आगे के दिन" के आधार पर करनी होती है । केन्द्र की वार्षिक उपलब्धता वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए घोषित उपलब्धता का भारित औसत होता है । थर्मल केन्द्रों की दशा में, नियत प्रभारों की पूर्ण वसूली लक्ष्य उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए जुड़ी होती है । लक्ष्य उपलब्धता के स्तर से नीचे नियत प्रभारों की वसूली में आनुपातिक कटौती होगी । उत्पादन केन्द्रों के फायदाग्राहियों से ली गई विद्युत की मात्रा को ध्यान में रखे बिना एएफसी का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है ।

थर्मल केन्द्रों के लिए परिवर्तनीय प्रभार प्रचालन के सन्नियम के आधार पर संदेय होते हैं, अर्थात् हीट रेट के अनुसार केन्द्र दक्षता अर्थात्, हीट ऊर्जा इलैक्ट्रिकल ऊर्जा तथा सहायक ऊर्जा के एक यूनिट के उत्पादन, विनिर्दिट ईंधन तेल खपत तथा सहायक ऊर्जा खपत । ईंधन लागत की संगणना विनिर्दिट सन्नियमों के आधार पर तथा वास्तविक हीट मूल्य पर विचार करते हुए और एक मास से दूसरे मासिक आधार पर ईंधन की कीमत के आधार पर की जाती है । परिवर्तनीय प्रभार अनुसूचित उत्पादन के तत्स्थानी संदेय होते हैं । फायदाग्राही, परिवर्तनीय प्रभारों पर निर्भर रहते हुए, केन्द्र के मैरिट आदेश के आधार पर अपनी निकासी अनुसूची तैयार करते हैं ।

हाइड्रो केन्द्रों की दशा में, ईंधन संघटक नहीं होता है तथा एएफसी क्षमता प्रभार और परिवर्तनीय प्रभार में विभाजित होता है । हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए क्षमता प्रभारों की पूर्ण वसूली मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) के तत्स्थानी प्राप्त लक्ष्य उपलब्धता से जुड़ी होती है ।

के.वि.वि.आ. द्वारा विनियमित सभी अन्तर-राज्यिक उत्पादन का अनुसूचीकरण आगे के दिन के आधार पर अपने-अपने क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुसूचियों में किसी भी प्रकार के फेरफार को "अननुसूचित अंतर–विनिमय (यूआई)'' माना जाता है। वास्तविक समय फेरफार/अंतर परिवर्तन के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था यूआई दर नामक परिवर्तनीय फ्रिंक्वेंसी लिंक्ड रेट के माध्यम से की जाती है। भारत में एक विलक्षण तंत्र है तथा चक्रण रिजर्व के अभाव में ग्रिड अनुशासन को प्रभावित करने के लिए प्रवर्तित तथा प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करता है।

उपयोगिताएं, प्रोत्साहन सूत्र के अनुसार केद्र के कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन के हकदार भी होते हैं। पूर्व निर्धारित लक्ष्य से निम्न उपलब्धता प्रदान करने में असफल रहने पर आनुपातिक शास्ति उद्गृहीत की जाएगी।

पारेषण लाइन/उप-केन्द्र/पारेषण प्रणाली टैरिफ में लक्ष्य उपलब्धता से जुड़ा वार्षिक नियत प्रभार सम्मिलित होता है। पारेषण उपयोगिता लक्ष्य उपलब्धता से उच्चतर उपलब्धता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के भी हकदार होते हैं।

7 - वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए क्रियाकलाप

7.1 विधिक कार्यवाहियां

वर्ष 2008-09 के दौरान, 149 याचिकाएं, पिछले वर्ष, अर्थात् 2007-08 की थी । इसके अतिरिक्त, 196 याचिकाएं 1.4.2008 से 31.3.2009 के दौरान फाइल की गई थी । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 345 याचिकाएं थी । इनमें से 190 याचिकाओं का 2008-09 के दौरान निपटान किया गया था । 52 अंर्तवर्ती आवेदन प्राप्त हुए थे । जिनमें 50 आवेदनों का निपटान किया गया था । याचिकाओं का ब्यौरा **उपाबंध-1** में दिया गया है ।

आयोग

केविविआ में मामलों की सुनवाई

7.2 वर्ष 2008-09 में जारी प्रमुख विनियम

1. 2009-14 के लिए टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें विनियमः

आयोग ने तारीख 19 जनवरी, 2009 की अधिसूचना द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 जारी किये । इन विनियम को पणधारियों के साथ विस्तृत परामर्शक प्रक्रिया के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया तथा ये राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी होंगे । इन विनियमों का उद्देश्य देश में विद्युत अवसंरचना में वांछित अधिक विनिवेश को आकर्षित करना है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त लागत पर विद्युत प्राप्त हो । इस नए विनियम के निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण हैं :

1) वर्तमान बाजार शर्तों में विनिवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रिटर्न आफ ईक्विटी की आधार दर को 14% से बढ़ाकर 15.5% कर दिया गया है ।

2) विद्युत की कमी की वर्तमान अवधि में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उन परियोजनाओं के लिए 0.5% की अतिरिक्त रिटर्न आफ ईक्विटी उपलब्ध होगी जो दी गई समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाते हैं ।

3) रिटर्न आन ईक्विटी की दर में 15.5% की वृद्धि के अतिरिक्त, विनियम में ऊर्जा परियोजनाओं के विकास

को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपबंध अंतर्विट हैं । पहले दस वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान नए हाइड्रो ऊर्जा परियोजनाओं को हाइड्रोलाजिकल जोखिम से समुचित रूप से पृथक रखा गया है । शीघ्रता से परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, इन विनियमों में नए टैरिफ के अनुसार मुफ्त ऊर्जा तथा पुनर्वास लागत में वृद्धि अनुज्ञात की गई है ।

4) रिटर्न आन ईक्विटी पूर्व-कर होगी जिसके लिए 15.5% की आधार दर को कंपनी के लिए लागू कर दर द्वारा योग किया जाएगा । यह विनिवेश प्रोत्साहन को प्रेरित करेगा क्योंकि कर-छूट का फायदा अब परियोजना विकासकर्ता को मिलेगा । दूसरी ओर, उपभोक्ताओं को यूआई अर्जन, प्रोत्साहन अर्जन तथा परियोजनाओं के दक्षता लाभ पर आय कर देना होगा ।

5) टैरिफ नीति के आधार पर अग्रिम के प्रति अवक्षयण को हटाने के लिए नई परियोजनाओं की ऋण बाध्यताओं के प्रतिसंदाय को ध्यान में रखते हुए, अवक्षयण पर पुनः विचार किया गया है । तथापि, जब एक बार 12 वर्ष की आरंभिक अवधि समाप्त हो जाती है तो शेष अवक्षयण को युक्तियुक्त टैरिफ को ध्यान में रखते हुए, शेष जीवन काल पर विस्तारित किया जाएगा ।

6) केविविआ की विनियामक नीति दक्षता लाभ को प्रोत्साहन तथा आवधिक रूप से फायदाग्राहियों को लाभ देने की रही है । तद्नुसार, थर्मल ऊर्जा संयंत्रों के लिए नियत लागत की वसूली के लिए उपलब्धता लक्ष्य को 80% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है । स्टेशन हीट दरों को भी कठोर बनाया गया है । नई यूनिटों के लिए, डिजाइन हीट दर की बाबत केवल 65% के प्रचालन मार्जिन को अनुज्ञात किया गया है । विनियम अधिकतम अनुज्ञात डिजाइन हीट दर को भी सुनिश्चित करता है जिससे अदक्ष मशीनों को उपाप्त न किया जा सके । गौण तेल खपत के लिए संनियम को 2 मि.मी. से घटकार 1 मि.ली. प्रति यूनिट कर दिया गया है और, गौण तेल खपत में बचत को 50 : 50 के अनुपात में फायदाग्राहियों के साथ शेयर करना होता है ।

7) विस्तारण परियोजनाओं के प्रचालन में विकासकर्ता को उपलब्ध तापमान की मितव्ययिता को फायदाग्राहियों के साथ शेयर करना होता है क्योंकि अनुज्ञेय ओएंडएम व्यय को नई विस्तारण यूनिटों के लिए आंका नहीं गया है ।

8) टैरिफ नियतन को अधिक महत्वपूर्ण तथा सरल बनाने की दृटि से, केविविआ ने थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं तथा पारेषण परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत बैंचमार्क बनाने का विनिश्चय किया है । अनंतिम टैरिफ के उपबंध को समाप्त कर दिया गया है तथा कंपनियां सीधे ही अंतिम टैरिफ ले सकेंगी ।

9) टैरिफ विनियम में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर सम्यक् ध्यान दिया गया है । थर्मल ऊर्जा संयंत्रों का प्रचालन करने वाली कंपनियों के पास अब दो विकल्प होंगे । पहले विकल्प में, परियोजनाओं के मानकीय उपयोगी जीवनकाल के पूरा होने के पश्चात् प्रतिवर्ष प्रति मेगावाट के आधार पर विशेष भत्ते का दावा करते है तथा ऐसी परिस्थिति में उत्पादन कंपनी उपलब्धता तथा प्रचालनों के लिए नियत

संनियमों के अनुसार परिदान के लिए बाध्य होंगे । दूसरा विकल्प व्यापक आरएंडएम के लिए है जिसे विस्तृत लागत फायदा विश्लेषण, जिसमें फायदाग्राहियों को दक्षता लाभ भी है, के आधार पर आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाना है ।

10) ऊर्जा संयंत्रों को उच्चतर उपलब्धता प्रोत्साहन देने के लिए, उत्पादन कंपनियों को उपलब्ध प्रोत्साहन अब संयंत्र भार कारक के बजाय घोषित उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध होगा जिससे उत्पादन बेहतर उपलब्धता घोषित कर सकें तथा वास्तविक अनुसूची उनके नियंत्रण में न हो ।

11) विकासकर्ताओं को पहले 10 वर्षों के दौरान हाइड्रोलॉजिकल जोखिम से मुक्त रखा गया है ।

2. अननसुचित अंतर–विनिमय (यूआई) प्रभार विनियम, 2009

आयोग ने तारीख 30.03.2009 की अधिसूचना द्वारा 1.4.2009 से पृथक् यूआई विनियम, 2009 को अधिसूचित किया । पहले, प्रयुक्त अननुसूचित अंतर–विनिमय (यू आई) प्रभार टैरिफ विनियम का भाग थे । ऐसा यू आई तंत्र की परिधि में वृद्धि करने की दृटि से किया गया है जैसा कि यह के.वि.वि.आ. द्वारा विनियमित उत्पादन केंद्रों से भिन्न प्रादेशिक इकाइयों को भी लागू होता है । उपरोक्त अधिसूचना में यथा उपबंधित अननुसूचित अंतरविनिमय के लिए प्रभार निम्नानुसार हैं

समय ब्लॉक की औसत फ्रिक्वेंसी (एच जेड)		यू आई दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से नीचे नहीं	(पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
-------	50.30	0
50.30	50.28	12
50.28	50.26	24
-------	-------	------
-------	-------	------
50.04	50.02	168
50.02	50.00	180
50.00	49.98	192
-------	-------	------
-------	-------	------
49.52	49.50	480
49.50	49.48	497
49.48	49.46	514
-------	-------	------
-------	-------	------
49.24	49.22	718
49.22	-------	735

आकृति 2. अननुसूचित अंतरविनिमय प्रभार

(प्रत्येक 0.02 एच जेड 50.3 - 49.5 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 12.0 पैसे/के डब्ल्यू एच के समकक्ष है तथा 49.5 - 49.2 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 17.0 पैसे/के डब्ल्यू एच के समकक्ष है ।

इस विनियम के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार हैः-

1) प्रचालन की फ्रिक्वेंसी रेंज में 50.30-49.20 एच.जेड की कमी की गई है जो पहले 50.50-49.20 एच जेड थी ।

2) अधिकतम यू आई दर में 49.2 एच जेड और उससे नीचे की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर 7.35 पैसे के डब्ल्यूएच की कमी की गई है जो पहले 49.00 और उससे नीचे 10.00 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच की यूआई दर थी ।

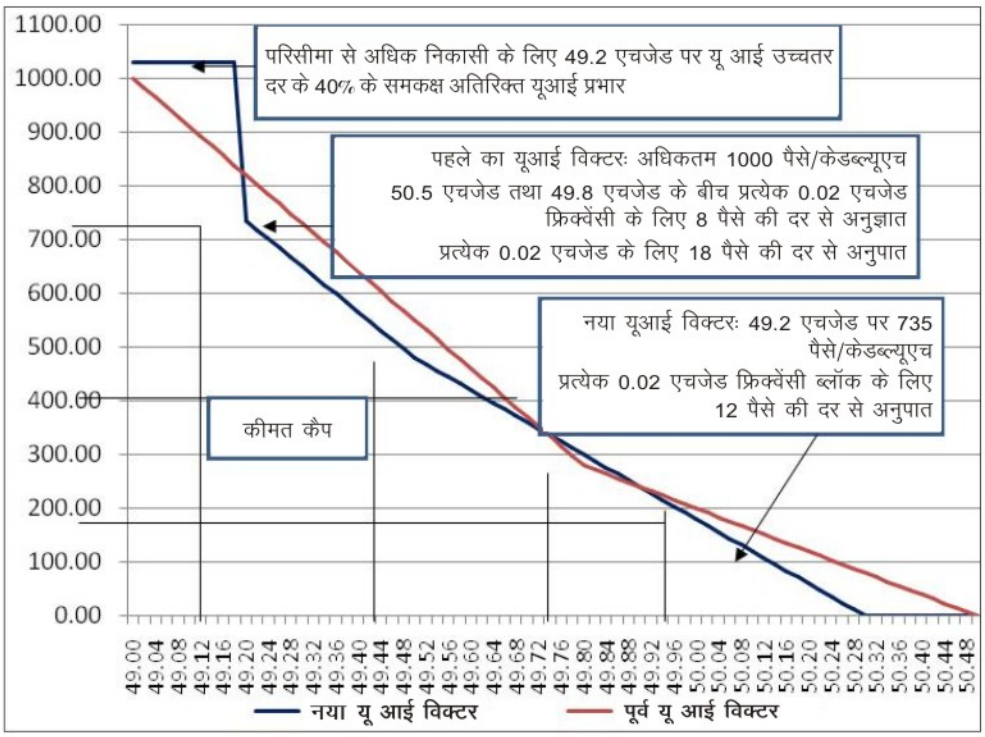

आकृति 3. नये यू आई विक्टर तथा पूर्व यू आई विक्टर की तुलना

3) ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या एपीएम गैस का उपयोग करने वाले केविविआ द्वारा विनियमित सभी उत्पादन केंद्रों के लिए अनुसूची से अधिक अंतःक्षेपण हेतु यूआई दर को 4.08 प्रति केडब्ल्यूएच पर नियंत्रित किया गया है ।

4) उत्पादन कंपनी/क्रेता द्वारा कम-अंतःक्षेपण या फायदाग्राहियों/विक्रेताओं द्वारा अर्थात् अनुसूची से अधिक निकासी, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.20 एच जेड से कम हो, करने से 7.35 रुपए पैसे/केडब्ल्यूएच का, 49.22 एचजेड की यूआई दर के 40% के बराबर अतिरिक्त यूआई प्रभार लगाया जाएगा ।

5) उत्पादन कंपनी/क्रेता द्वारा अनुसूची से कम अंतःक्षेपण और समय-ब्लॉक के दौरान फायदाग्राहियों/विक्रेताओं द्वारा अधिक निकासी ऐसे उत्पादन केंद्र/क्रेता के अनुसूचित अंतःक्षेपण या फायदाग्राहियों/विक्रेताओं की अनुसूचित निकासी के 12% से अधिक नहीं होगी जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, तथा जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 से कम है तब समय ब्लॉकों के लिए दैनिक कुल आधार पर 3% होगी ।

6) यूआई दर, जिसमें यूआई कैप दर भी है, का पुनर्विलोकन छह मासिक आधार पर किया जाएगा और यदि आवश्यक हो या इसे पहले ही पुनरीक्षित किया जाएगा ।

7) यूआई दावों का निपटान करने के पश्चात् यू आई पूल लेखा निधि में शेष अधिशेष वाली अतिशेष रकम का उपयोग अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमों तथा ग्रिड सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने हेतु विनिवेश की सर्विसिंग में केविविआ के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा ।

3. व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें विनियम, 2009 :

आयोग ने 16 फरवरी, 2009 को अंतर-राज्यिक व्यापार विनियम, 2009 जारी किया । विनियम का उद्देश्य विद्युत व्यापार की वर्तमान कीमत, विद्युत व्यापार कारबार की लिक्विडिटी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा व्यापार कारबार आरंभ करने के लिए आशयित केवल गंभीर व्यक्तियों को बढ़ावा देने की दृटि से व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के निबंधन तथा शर्तों को जटिल बनाया गया है । घरेलू बाजार में पुनः बिक्री के लिए अन्य देशों से आयातित ऊर्जा को भीं इन विनियमों में सम्मिलित किया गया है ।

नए व्यापार विनियम, 2009 के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नानुसार हैः -

1) पुनः बिक्री के लिए आयातित विद्युत को स्पष्ट तथा सम्मिलित करने के लिए अंतर-राज्यिक व्यापार की परिभाषा को पुनरीक्षित किया गया है ।

2) अनुज्ञप्तिधारियों के प्रवर्गों को 6 से घटाकर 3 कर दिया गया है ।

3) व्यापार की गई ऊर्जा की अभिभावी कीमत को ध्यान में रखते हुए, शुद्ध धन में 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की गई है ।

4) एसोशिएट्स को दिए गए ऋण तथा अग्रिमों में छूट देने के लिए शुद्ध धन की परिभाषा को पुनरीक्षित किया गया है ।

5) आवेदक की उधार-पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए लिक्विडिटी की नई शर्तों, अर्थात् वर्तमान अनुपात तथा लिक्विडिटी अनुपात, को आरंभ किया गया है ।

6) पूर्ण-कालिक वृत्तिक के तकनीकी अहर्ताओं को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

7) सहयुक्त की परिभाषा को सुव्यवस्थित किया गया है ।

8) यह उपबंध किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी इकाईयों से विद्युत क्रय नहीं करेंगे जो यूआई प्रभारों के संदाय पारेषण प्रभारों, एनएलडीसी/आरएमडीटी/यूएल डीसी आदि के प्रभारों में, यदि केविविआ द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, व्यतिक्रम करते हैं ।

ये विनियम विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों को भी लागू हैं । ये 31 मार्च 2010 तक नई शुद्ध धन अपेक्षा तथा लिक्विडिटी अपेक्षा को अनुपालन करने के लिए अपेक्षित हैं ।

7.3 विद्युत बाजारः व्यापार, पावर एक्सचेंज तथा निर्बाध-पहुंच

1. विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार

क. व्यापार अनुज्ञप्तिधारी

31 मार्च, 2009 तक आयोग ने विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार करने के लिए 44 आवेदकों को व्यापार अनुज्ञप्तियां प्रदान की । जिनमें से 13 व्यापार अनुज्ञप्तियां वर्ष 2004-05, 6 अनुज्ञप्तियां 2008-06, 3 अनुज्ञप्तियां वर्ष 2006-07, 6 अनुज्ञप्तियां 2007-08 तथा 15 अनुज्ञप्तियां 2008-09 के दौरान प्रदान की गई । वर्ष 2008-09 के दौरान जारी अनुज्ञप्तियां नीचे सारणी में दी गई हैं ।

सारणी 1. 2008-09 के दौरान जारी व्यापार अनुज्ञप्तियां

क्रम सं.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम	अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग
1.	वंदना विद्युत लि.	03.04.2008	ख
2.	इंद्रजीत पावर टैक्नोलॉजी (प्रा.) लि.	16.05.2008	ग
3.	आधुनिक एलाइज तथा पावर लि.	26.06.2008	च
4.	इंडियाबुल्स पावर ट्रेडिंग लि.	12.09.2008	क
5.	इंडियाबुल्स पावर जेनरेान लि.	12.09.2008	च
6.	छत्तीसगढ़ इनर्जी ट्रेडिंग (प्रा.) लि.	16.09.2008	क
7.	आरजीपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.	23.09.2008	ड.
8.	बेसेस प्वाइंट कमोडिटीज (प्रा.) लि.	07.10.2008	क
9.	जीएमआर इनर्जी ट्रेडिंग लि.	14.10.2008	च
10.	जैन इनर्जी लिमिटेड	14.10.2008	ख
11.	रिगहिल इलैक्ट्रिकस लिमिटेड	11.11.2008	क
12.	श्याम इंड्स पावर सोल्यूसंस (प्रा.) लि.	11.11.2008	क़
13.	ग्लोबल इनर्जी (प्रा.) लि.	28.11.2008	क
14.	नालेज इंफ्रांस्टकचर सिस्टम (प्रा.) लि.	18.12.2008	च
15.	मित्तल प्रोसेर्स प्राइवेट लिमिटेड	12.02.2009	क

कुल अनुज्ञप्तियों में से, दो अनुज्ञप्तियों को, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्वेच्छया से अभ्यर्पित करने के पश्चात् रद्द कर दिया गया (जीएमआर इनर्जी लिमिटेड तथा जिंदल स्टील तथा पावर (लि.) की अनुज्ञप्ति को क्रमशः 26.10.2006 और 12.02.2008 को रद्द कर दिया गया) ।

ख. व्यापार की गई विद्युत की मात्राः

वर्ष 2008-09 के दौरान 15 अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत में व्यापार किया तथा इन्होंने 24154.46 एमयू का व्यापार किया । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया हैः -

सारणी 2. व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई विद्युत की मात्रा

क्रम सं.	व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम	2007-08		2008-09*	
		व्यापार की मात्रा (एमयू)	कुल मात्रा का %	व्यापार की मात्रा (एमयू)	कुल मात्रा का %
1.	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	9552.79	45.57	6520.57	27.00
2.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	3324.07	15.86	4831.48	20.00
3.	अदानी इंटरप्राइजेज लि.	1321.88	6.31	2634.25	10.91
4.	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी (प्रा.) लि.	1681.95	8.02	2523.26	10.45
5.	रिलायंस इनर्जी ट्रेडिंग (प्रा.) लि.	776.25	3.70	1856.07	7.68
6.	लैंको इलैक्ट्रिक यूटिलिटी लि.	2600.02	12.40	2841.12	11.76
7.	जेएसडब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लि.	1478.57	7.05	2001.44	8.29
8.	करमचन्द्र थापर एंड ब्रादर्स लि.	108.29	0.52	2.40	0.01
9.	विनर्जी इंटरनेानल प्रा.लि.	59.52	0.28	52.51	0.22
10.	वीजा पॉवर लि.	15.56	0.07		0.00
11.	कल्याणी पावर डिवेलपमेंट (प्रा.) लि.	39.31	0.19	168.11	0.70
12.	पटनी प्रोजेक्ट प्राइवेट लि.	6.58	0.03	6.58	0.03
13.	जीएमआर इनर्जी ट्रेडिंग लि.			631.66	2.62
14.	इंसटेंक्ट एडवरटिजमेंट एण्ड मार्किटिंग लि.			66.74	0.28
15.	आरपीजी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड			16.65	0.07
16.	नालेज इंफ्रास्टकचर सिस्टम (प्रा.) लि.			1.61	0.01
	कुल	**20964.77**	**100.00**	**24154.46**	**100.00**

* 2008-09 के दौरान व्यापार की गई विद्युत की मात्रा में पावर एक्सचेंजों के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई मात्रा भी सम्मिलित है ।

ग. व्यापार की गई विद्युत की कीमत तथा व्यापार मार्जिन

व्यापार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत की संगणना व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार की गई कीमत तथा तत्स्थानी कीमत के आधार पर की गई है । स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से व्यापार की गई मात्रा तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार की गई मात्रा को विद्युत की कीमत की संगणना के समय अपवर्जित किया गया है । विद्युत की भारित औसत कीमत को नीचे सारणी में देखा जा सकता हैः -

सारणी 3. भारित औसत कीमत तथा व्यापार मार्जिन

वर्ष	भारित औसत क्रय कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)	भारित औसत विक्रय कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)	व्यापार मार्जिन (रुपए/केडब्ल्यूएच)
2006-07	4.47	4.51	0.04
2007-08	4.48	4.52	0.04
2008-09	7.25	7.29	0.04

2. पावर एक्सचेंज

आयोग ने पावर एक्सचेंज स्थापित करने के लिए दो आवेदकों, अर्थात् (1) मैसर्स इंडिया इनर्जी एक्सचेंज लि. (आईईएक्स), नई दिल्ली तथा (2) पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल), मुंबई को अनुमोदन दिया । आईईएक्स तथा पीएक्सआईएल ने क्रमशः 27 जून 2008 तथा 22 अक्तूबर 2008 से अपना कार्य प्रारंभ किया । इन पावर एक्सचेंजों द्वारा संव्यवहार किए गए विद्युत की मात्रा तथा कीमत नीचे दी गई हैं : -

सारणी 4. पावर एक्सचेंजों द्वारा संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा तथा कीमत

अवधि	मात्रा (एम यू)		कीमत (रुपए)	
	आईईएक्स	पीएक्सआईएल	आईईएक्स	पीएक्सआईएल
अगस्त, 08	239.81		7.61	
सितम्बर, 08	278.54		7.65	
अक्तूबर, 08	375.19	2.12	8.32	7.57
नवम्बर, 08	450.65	19.40	7.47	7.22
दिसम्बर, 08	354.10	14.90	6.64	6.58
जनवरी, 09	291.70	24.73	6.16	6.86
फरवरी, 09	180.80	36.77	6.85	7.42
मार्च, 09	377.17	51.44	8.33	8.54

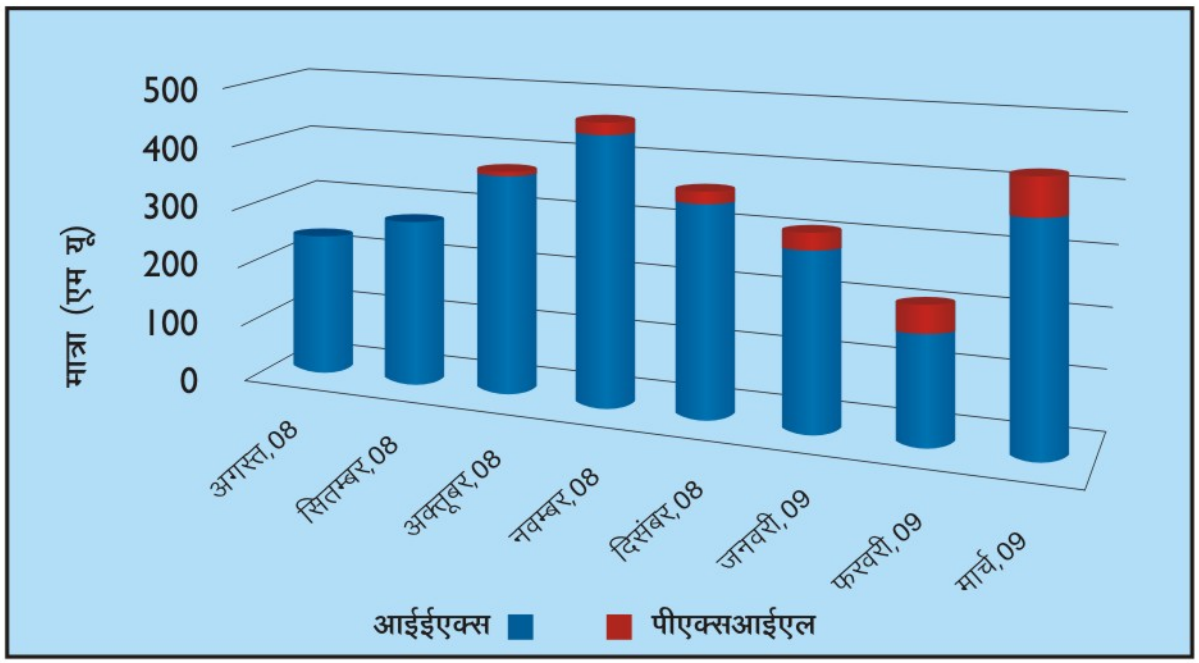

आकृति 4. पावर एक्सचेंजों द्वारा संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा

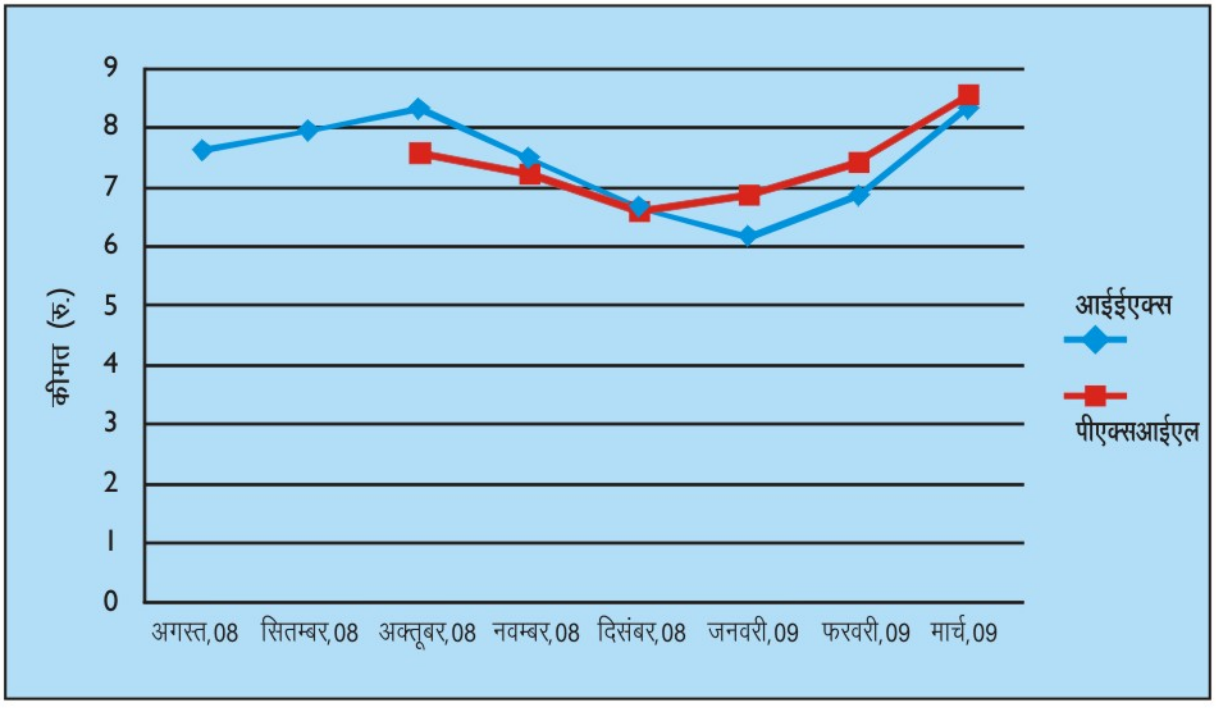

आकृति 5. पावर एक्सचेंजों द्वारा संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत

3. बाजार मॉनीटरिंग सेल (एमएमसी):

केविविआ में अगस्त, 2008 में बाजार मॉनीटरिंग सेल स्थापित किया । एमएमसी विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट जारी करता है । 2008-09 में व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों, पावर एक्सचेंजों तथा एनएलडीसी से संगृहीत आंकड़ों के आधार पर अगस्त 2008 से मार्च 2009 तक एमएमसी द्वारा नौ रिपोर्टें जारी की गई । रिपोर्ट में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, पावर एक्सचेंजों [इंडिया इनर्जी एक्सचेंज (लि.) (आईईएक्स) तथा पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल)] तथा अननुसूचित अंतर–विनियम (यूआई) द्वारा प्रत्यक्षतः संव्यवहार की गई विद्युत के लिए एक वर्ष की अवधि से कम की संविदाओं पर आधारित "विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहार" संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है । रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य (i) विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा तथा कीमत में रूझानों का विश्लेषण; (ii) बाजार प्लेयरों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण तथा (iii) सभी सुसंगत बाजार जानकारी को प्रकट करना/प्रसार करना है । एमएमसी रिपोर्टों के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं : -

1) विद्युत में अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा

अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा 2004-05 में 12 बीयूएस से 2008-09 में 22 बीयूएस तक की वृद्धि हुई है (सारणी-1 तथा आकृति-2) । 2008-09 के दौरान पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा आईईएस में 2.77 बीयूएस, 2.62 बीयूएस तथा पीएक्सआई में 0.15 बीयूएस थी । तथापि, बढ़े हुए कुल विद्युत उत्पादन में व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंज के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा, अवधि के दौरान 2.16% से 3.57% तक नीचे सारणी में दर्शित है:

सारणी 5. व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा

वर्ा	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा (बीयूएस)	आईईएक्स के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत (बीयूएस)	पीएक्सआई के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत (बीयूएस)	कुल (बीयूएस)	कुल विद्युत उत्पादन (बीयूएस)	कुल उत्पादन की % के रूप में व्यापार की गई विद्युत
	1	2	34	(1+2+3)	5	6 (4/5)
2004-05	11.85				548	2.16%
2005-06	14.19				579	2.45%
2006-07	15.02				624	2.41%
2007-08	20.96				666	3.15%
2008-09*	21.92	2.62	0.15	24.69	691	3.57%

* आईईएक्स के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा जून 2008 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए थी तथा पीएक्सआई के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा अक्तूबर, 2008 से मार्च 2009 तक की अवधि के लिए थी ।

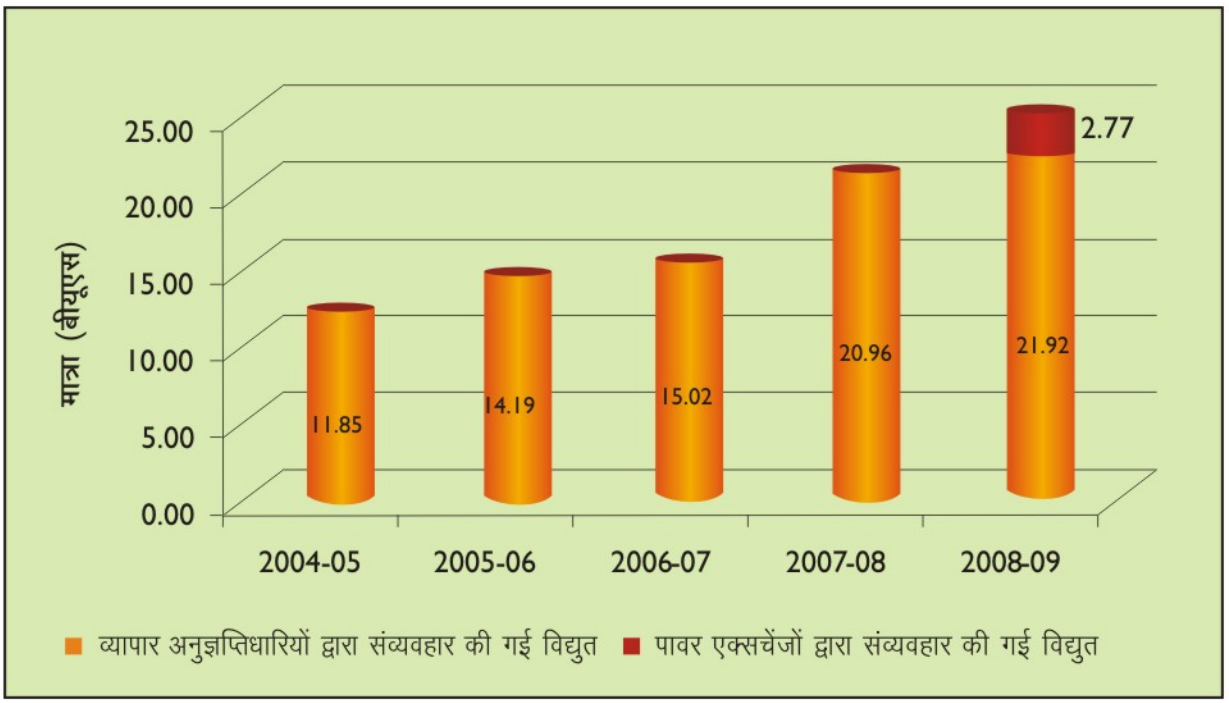

आकृति 6. व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा

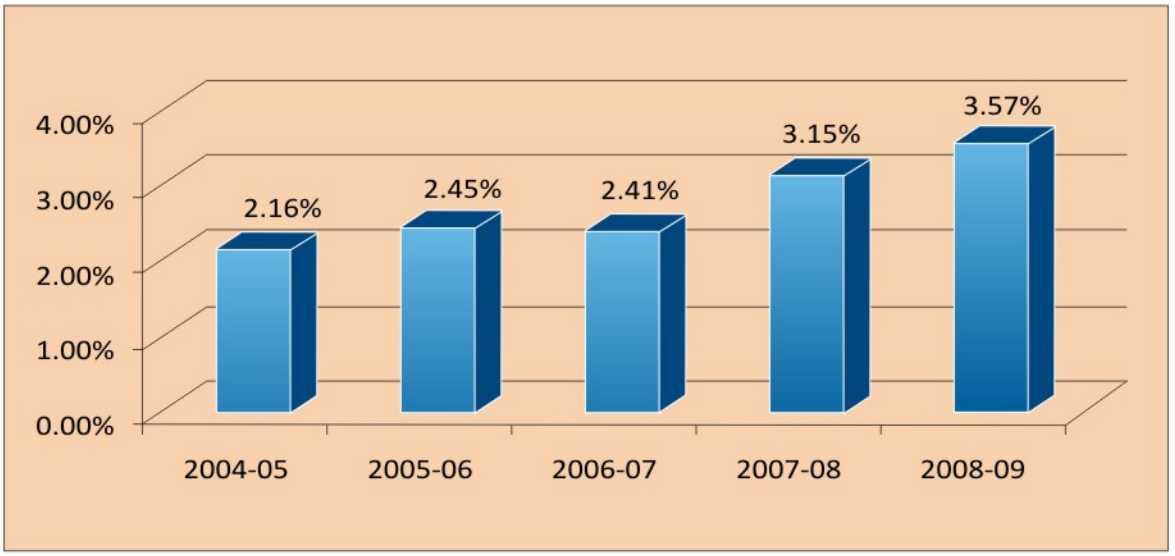

आकृति 7. कुल विद्युत उत्पादन में व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यहार की गई विद्युत

2) विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की कीमत

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत नीचे सारणी-6 तथा आकृति-8 में दर्शित है । व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत में 2004-05 में 2.32 केडब्ल्यूएच से 2008-09 में 7.29 केडब्ल्यूएच तक की वृद्धि हुई है । आईईएक्स तथा पीएक्सआई के माध्यम से संव्यवहार की गई कीमत 2008-09 में क्रमशः 7.48 रुपए/केडब्ल्यूएच तथा 7.60 रुपए/केडब्ल्यूएच थी । अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत 7.31 रुपए/केडब्ल्यूएच थी ।

सारणी 6. व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत

वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)	आईईएक्स के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)	पीएक्सआई के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)	अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)
2004-05	2.32	-	-	-
2005-06	3.23	-	-	-
2006-07	4.51	-	-	-
2007-08	4.52	-	-	-
2008-09	7.29	7.48	7.60	7.31

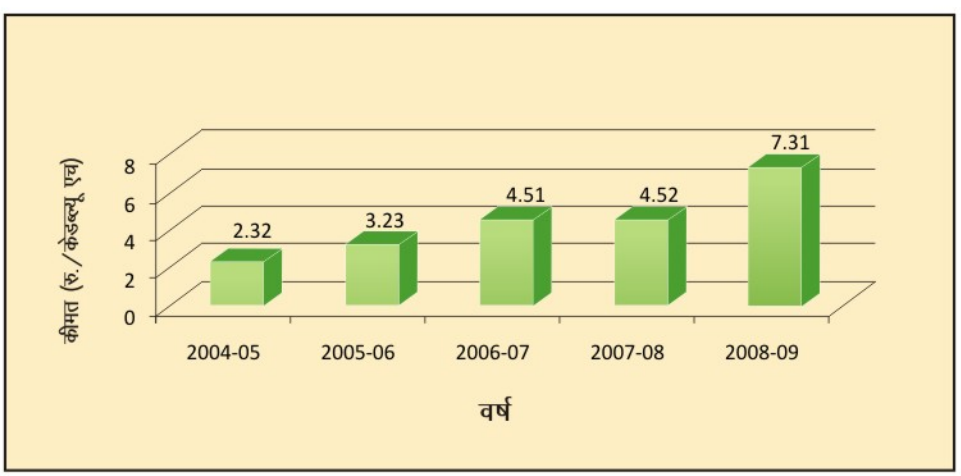

आकृति 8. व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित औसत कीमत

टिप्पणीः 2008-09 में कीमत, व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की भारित कीमत से संबंधित है तथा शेष वर्षों की कीमत केवल व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत से संबंधित है ।

3) विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा

विद्युत में अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा का रूख सारणी-7 तथा आकृति-9 में दर्शित है । सारणी से यह संप्रेक्षण किया जाता है कि विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा में लगातार वृद्धि/कमी नहीं हुई है । इस रूख को मांग तथा आपूर्ति, जिसमें मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, के कारण निकाला जा सकेगा । इस अवधि के दौरान कुल विद्युत उत्पादन में विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा में 6.55% से 8.57% तक फेरफार हुआ ।

सारणी 7. विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की मात्रा (एमयूएस)

अवधि	व्यापारियों के माध्यम से द्विपक्षीय	सीधे द्विपक्षीय	कुल द्विपक्षीय संव्यवहार	पावर एक्सचेंज संव्यवहार	यूआई संव्यवहार संव्यवहार	कुल अल्पकालिक	कुल विद्युत उत्पादन	कुल उत्पादन % के रूप में अल्प-कालिक संव्यवहार
	1	2	3 (1+2)	4	5	6(3+4+5)	7	8
अगस्त, 08	2085.21	646.24	2731.46	239.81	1860.48	4831.74	56379.77	8.57%
सितम्बर, 08	1604.40	366.04	1970.45	278.54	1889.68	4138.67	59019.14	7.01%
अक्तूबर, 08	1742.20	286.53	2028.73	377.31	1826.14	4232.18	61966.84	6.83%
नवम्बर, 08	2182.46	364.78	2547.24	470.05	1686.01	4703.29	58308.33	8.07%
दिसम्बर, 08	2176.53	522.52	2699.06	369.00	1765.08	4833.13	59635.41	8.10%
जनवरी, 09	1715.29	406.08	2121.37	316.43	1911.39	4349.19	61193.77	7.11%
फरवरी, 09	1677.94	471.00	2148.94	217.57	1569.11	3935.62	57121.74	6.89%
मार्च, 09	1696.50	245.18	1941.68	428.61	1878.26	4248.55	64841.89	6.55%

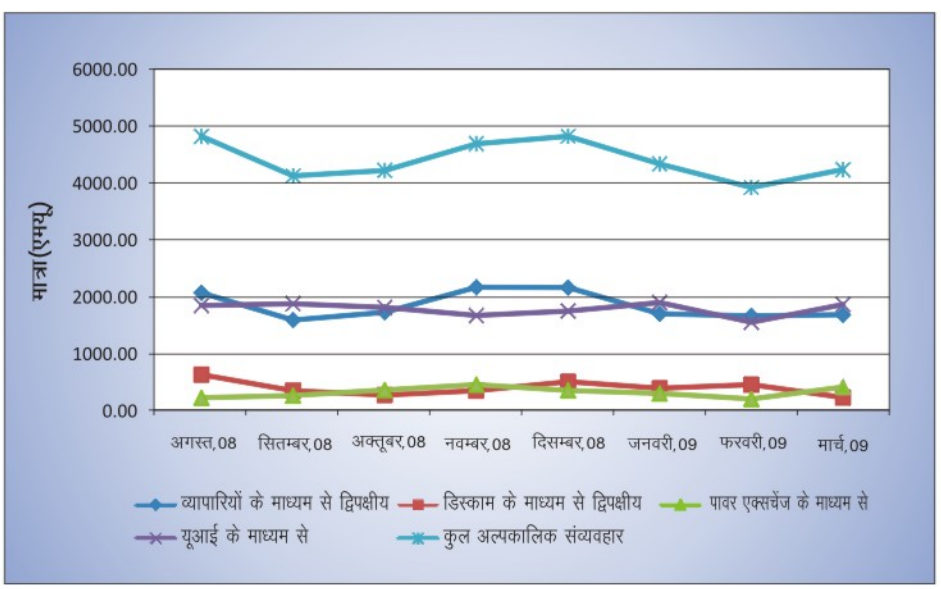

आकृति 9. अगस्त 08 - मार्च 09 के दौरान विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहार

उपरोक्त चार्ट से यह संप्रेक्षण किया जाता है कि विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा में समकेंद्रिक रुझान है । यह रुझान मांग तथा आपूर्ति के कारण होता है जो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है । व्यापारियों के माध्यम से व्यापार की गई विद्युत की मात्रा यूआई माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा के साथ तुल्यनीय थी और साथ ही पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा अवधि के दौरान राज्य उपयोगिताओं द्वारा प्रत्यक्षतः संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा के साथ तुल्यनीय थी ।

4) विद्युत की अल्प-कालिक संव्यवहारों की कीमत

विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की कीमत का रूख सारणी-8 तथा आकृति–9 तथा 10 में दर्शित किया गया है । कीमत विश्लेषण मुख्यतः यूआई की औसत कीमत तथा विद्युत की अन्य अल्प-कालिक संव्यवहारों की औसत भारित कीमत पर आधारित है । द्विपक्षीय संव्यवहारों की कीमत व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत को निरूपित करते हैं । व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से विद्युत की मात्रा के रूख का अध्ययन पृथक् रूप से कुल संव्यवहार तथा चौबीस घंटे (आरटीसी), व्यस्ततम तथा आफ-पीक अवधि के दौरान आरंभ किए गए संव्यवहारों के लिए किया जाता है ।

सारणी 8. विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की कीमत (रुपए/केडब्ल्यूएच)

अवधि	द्विपक्षीय माध्यम से			व्यापारियों / पावर एक्सचेंज			यूआई	
	आरटीसी	व्यस्ततम	आफ पीक	कुल	आईईएक्स	पीएक्स आईएल	नया ग्रिड	एसआर ग्रिड
अगस्त, 08	6.51	7.43	7.29	6.78	7.61		5.17	7.64
सितम्बर, 08	7.27	6.60	6.90	7.17	7.95		6.50	7.87
अक्तूबर, 08	6.99	8.90	8.51	7.78	8.32	7.57	6.32	8.97
नवम्बर, 08	7.56	8.82	8.35	7.98	7.47	7.22	5.33	8.55
दिसम्बर, 08	7.77	8.37	8.04	7.89	6.64	6.58	4.89	7.66
जनवरी, 09	7.43	8.55	6.78	7.23	6.16	6.86	4.88	7.61
फरवरी, 09	6.89	8.16	6.19	6.58	6.85	7.42	4.89	7.68
मार्च, 09	7.35	8.08	7.53	7.43	8.33	8.54	4.85	8.20

उपरोक्त सारणी से यह संप्रेक्षण किया जाता है कि अवधि के दौरान विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की कीमत में लगातार वृद्धि/कमी नहीं हुई है । पावर एक्सचेंजों द्वारा संव्यवहार किए गए विद्युत की कीमत में सकारात्मक रूख रहा है जबकि व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा यू आई द्वारा संव्यवहार किए गए विद्युत की कीमत में नकारात्मक रूख रहा है ।

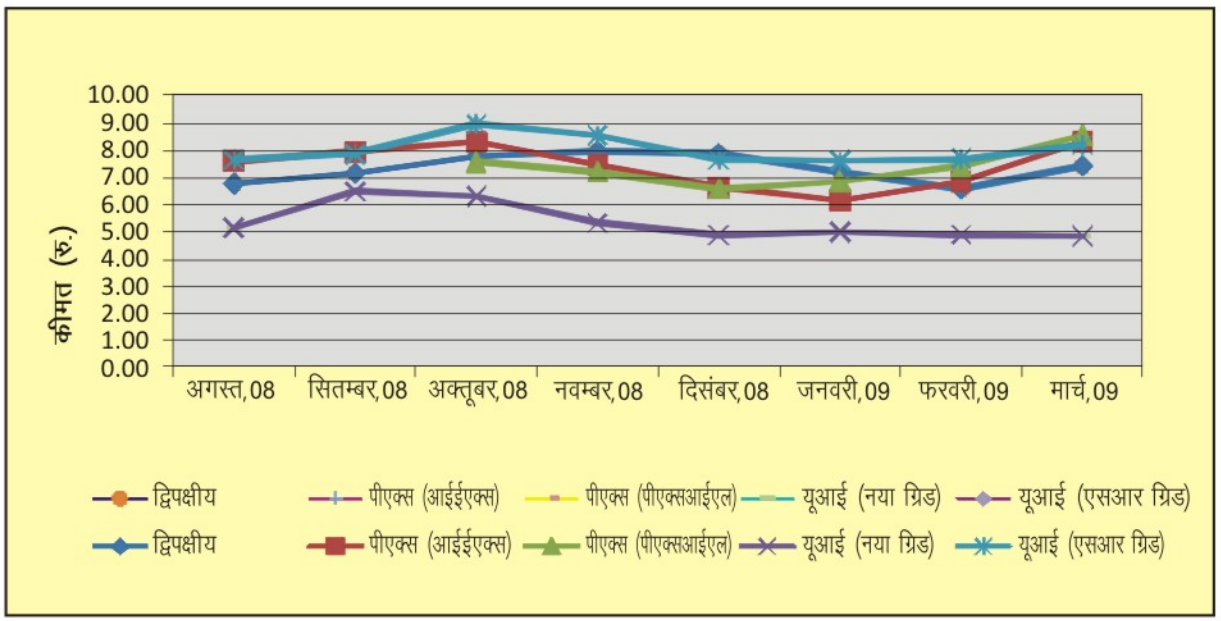

आकृति 10. विद्युत के अल्प-कालिक संव्यवहारों की कीमत

आकृति 9 से यह संप्रेक्षण किया जाता है कि एसआर ग्रिड में यूआई की कीमत की तुलना में नए ग्रिड में यूआई संव्यवहारों की कीमत हमेशा नीचे थी ।

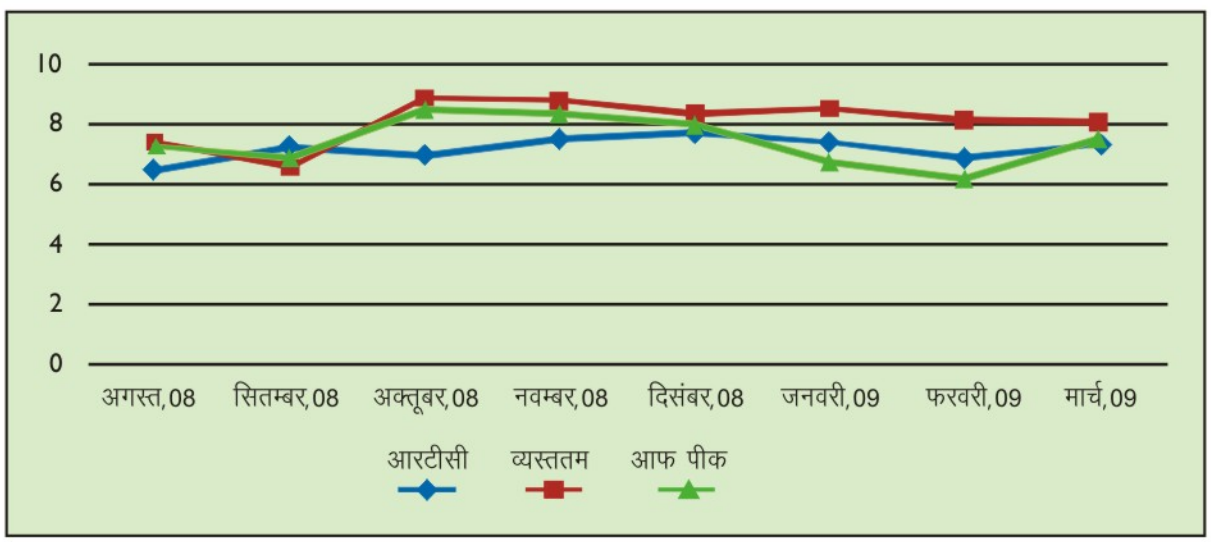

आकृति 11. व्यापारियों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत

आरटीसी, व्यस्ततम तथा आफ पीक अवधि के दौरान व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत का रूख आकृति 11 में दर्शित किया गया है । व्यस्ततम अवधि के दौरान संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत में आरटीसी तथा आफ-पीक अवधि के दौरान संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत की तुलना में उच्चतर थी । आरटीसी, व्यस्ततम तथा आफ पीक के दौरान संव्यवहार की गई विद्युत की कीमत प्रत्येक तीस मास सितम्बर, 2008, दिसम्बर, 2008 तथा मार्च 2009 के दौरान तुल्यनीय है ।

4. अंतर-राज्यिक निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना

ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है । उपभोक्ताओं को

स्वयं अपने प्रदायकर्ता का विनिश्चय करने का विकल्प प्रदान करने से उत्पादन कंपनियां दक्ष होगीं । पारेषण ग्रिड को गैर-विभेदकारी निर्बाध पहुंच प्रदान करने में समर्थ बनाने में अधिभूत चुनौतियां हैं । तथापि, आयोग की जानकारी में अनेक ऐसे मामले आएं हैं जिनमें राज्य भार प्रेषण केंद्रों ने अन्य बाह्य कारणों के लिए विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए निर्बाध-पहुंच से इंकार किया है । जब कभी कोई भी प्रभावित पक्षकार किसी भी एसएलडीसी द्वारा निर्बाध-पहुंच से इंकार करने का अभिकथन करते हुए आयोग के पास आया, आयोग ने निर्बाध पहुंच को सुकर बनाने के लिए कदम उठाए हैं ।

कुछ राज्य सरकारों ने केवल राज्य ग्रिड को ही विद्युत प्रदाय करने के लिए अपने राज्यों के भीतर उत्पादकों को निदेश देते हुए अधिनियम की धारा 11 तथा 108 के अधीन निदेश जारी किए है । इससे अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध-पहुंच प्रभावित हुई है । तथापि, संबंधित राज्य सरकारों ने आयोग के आदेशों के विरूद्ध उच्च न्यायालयों में अपीलें फाइल की हैं । ऐसे मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं : -

1) **कर्नाटक एसएलडीसी - आरईटीएल द्वारा निर्बाध-पहुंच से इंकार मामला (याचिका सं. 147/2008)**

मैसर्स रिलायंस इनर्जी लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य से बाहर रेनुका सूगर लिमिटेड (कर्नाटक सरकार में अवस्थित-सह-उत्पादन संयंत्र) से क्रय विद्युत के अभिहस्तांतरण के लिए 1.12.2008 से 31.12.2009 तथा 1.1.2009 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए निर्बाधु-पहुंच प्रदान करने हेतु कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (केपीटीसीएल) को तारीख 4.10.2008 तथा 6.11.2008 को दो आवेदन किए । जैसा कि केपीटीसीएल द्वारा आवेदनों पर केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध-पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन यथाअनुबद्ध अवधि के भीतर विचार नहीं किया गया था, आरईटीएल ने कर्नाटक राज्य के बाहर विद्युत के अभिहस्तांतरण के लिए केपीटीसीएल की मध्यवर्ती पारेषण सुविधा का उपयोग करने के लिए विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु केंद्रीय आयोग के समक्ष याचिका सं. 147/2008 फाइल की । याचिका के लंबित रहने के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 11 के अधीन यह निदेश देते हुए यह आदेश पारित किया कि राज्य के सभी सह-उत्पादन चीनी संयंत्र अपनी निर्यात योग्य विद्युत को कम करें तथा उसका प्रदाय राज्य ग्रिड को करें । आयोग ने तारीख 22.1.2009 के अपने आदेश में यह संप्रेक्षण किया कि अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्रवृत्त किसी कानूनी उपबंध पर निदेश जारी नहीं किया जा सकता तथा केपीटीसीएल को निर्बाध-पहुंच प्रदान करने का निदेश दिया । कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की जिसमें उत्प्रेषण रिट या आयोग के तारीख 21.1.2009 के आदेश को अभिखंडित करने की मागं की गई । उच्च न्यायालय ने आयोग के आदेश के प्रचालन पर स्थगन देते हुए 28.11.2009 को एक अंतरिम आदेश जारी किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई पुरी हो गई है तथा आदेश आरक्षित रखा गया है ।

2) **कर्नाटक राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्बाध पहुंच अस्वीकार करना - जीईएल मामला (याचिका सं. 153/2008):**

याची ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड (जीईएल) के पास कर्नाटक के बेलगाम जिला में स्थित 5 एमडब्ल्यू खोई आधारित परियोजना थी । जिसके लिए केपीटीसीएल ने पीपीए निष्पादित किया था किंतु इसे नवंबर, 2003 में एक पक्षीय रूप में समाप्त कर दिया था, तथा ग्रिड के साथ संयंत्र समक्रमण से इंकार कर दिया था । इसके अलावा, मध्यस्थ के आदेश के अनुसरण में, याची के उत्पादन संयंत्र को केपीटीसीएल ग्रिड के साथ संयोजित कर दिया गया था ।

संयंत्र, फरवरी, 2007 में ग्रिड में समकालिक बनाया गया था । तभी से याची निर्बाध पहुंच प्रणाली के अधीन विद्युत का विक्रय तृतीय पक्षकारों को कर रहा है । 12.11.2008 को, नित्यक्रम में, याची ने कर्नाटक एसएलडीसी की सहमति के लिए दैनिक अनुसूची भेजी थी । तथापि, कर्नाटक एसएलडीसी ने बिना कोई कारण बताए याची को आगे के

दिन के लिए निर्बाध पहुंच के अनुमोदन से इंकार कर दिया । तत्पश्चात्, याची ने पुनः कई अवसरों पर बिना सफलता के एसएलडीसी से आगे के दिन के लिए निर्बाध पहुंच की सहमति के लिए ईप्सा की थी । याची ने निर्बाध पहुंच विनियमों में उपबंधित राहत के लिए याचिका फाइल की थी ।

आयोग ने तारीख 3.2.2009 के अपने आदेश में प्रत्यर्थी केपीटीसीएल को निर्देश दिया था कि याची या किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह कोई उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता हो, द्वारा विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए राज्य ग्रिड पर निर्बाध पहुंच हेतु सहमति के लिए आवेदन पत्रों पर प्रत्यर्थी द्वारा विचार किया जाएगा और निर्बाध पहुंच विनियमों, विशेष रूप से इसके विनियम 8 के उपबंधों के अनुसार कड़ाई से उन्हें विनिश्चित किया जाएगा । कर्नाटक राज्य ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है ।

3) **राजस्थान राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्बाध पहुंच अस्वीकार करना - जीएफएल मामला (याचिका सं. 60/2008) :**

याची गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जीएफएल) के पास राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर जिलों में कुल 31.5 एमडब्ल्यू क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं हैं ।

याची ने तारीख 20.3.2008 के अपने पत्र द्वारा निर्बाध पहुंच (द्विपक्षीय संव्यवहार) के लिए सहमति हेतु आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि उनका पहला संयंत्र कमीशन किए जाने के लिए 31.3.2008 को अनुसूचित था ।

आरआरवीपीएनएल ने अपने तारीख 24. 3.2009 के पत्र द्वारा याची को सूचित किया था कि आरईआरसी अंतःराज्यिक एबीटी विनियम, 2006 के खंड 6(4) और सीईआरसी अंतर-राज्यिक निर्बाध पहुंच विनियम, 2008 के विनियम 8(3) के अनुसार याची को के.वि.प्रा.के. (मीटर के संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसर अंतरापृष्ठ के बिन्दुओं पर एबीटी शिकायत मीटरिंग संस्थापित करने होंगे तथा एसएलडीसी को प्रस्तावित आंकड़ा संसूचना तथा हीरापुरा केंद्रीय बिलिंग केंद्र से प्रति जांच से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के माध्यम से मीटिरंग पद्धति का समय समक्रमण भी सुनिश्चित करना होगा । आरआरवीपीएनएल ने यह भी निदेशित किया था कि याची इसके पत्र की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करे और एसएलडीसी की सहमति के लिए आवेदन सीईआरसी निर्बाध पहुंच विनियम, 2008 के विनियम 8(5) के अनुसार आवश्यक फीस के साथ करे ।

याची ने प्रत्यर्थी के सभी निदेशों का पालन करते हुए 12.4.2008 को आवेदन पुनः प्रस्तुत किया था । प्रत्यर्थी ने विनियम द्वारा समय-सीमा विनिर्दिट किए जाने के बावजूद सहमति प्रदान करने या आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया था ।

आयोग ने तारीख 27.8.2008 के अपने आदेश में यह संप्रेक्षित किया कि याची को निर्बाध पहुंच अस्वीकार किए जाने में प्रत्यर्थी द्वारा की गई कार्रवाईयों का कोई औचित्य नहीं है । आयोग द्वारा यह उल्लेख किया गया कि निर्बाध पहुंच विनियम यह अनिवार्य बनाते हैं कि एसएलडीसी को अपनी सहमति या 'अनापति' आवेदन प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर देनी होगी । इसी प्रकार से, सहमति या 'अनापति' से इंकार से भी आवेदक को तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाना आवश्यक है । आयोग ने संप्रेक्षित किया कि याची ने निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने के लिए विभिन्न तारीखों पर आवेदन किया था किंतु इनमें से किसी भी मामले में उत्तर अनुबंधित समय के भीतर नहीं भेजा गया । यह प्रथमदृट्या निर्बाध पहुंच विनियमों का अननुपालन है जो अधिनियम की धारा 142 के अधीन दंडनीय है । अधिनियम की धारा 142 के अधीन राजस्थान, एसएलडीसी और आरआरवीपीएनएल को सूचना जारी की गई ।

बाद में आयोग को यह सूचित किया गया कि प्रत्यर्थियों ने याची को दिसंबर, 2008, जनवरी और फरवरी, 2009 के लिए निर्बाध पहुंच प्रदान कर दी थी । इसके अलावा, क्योंकि

प्रत्यर्थियों के विरुद्ध निर्बाध पहुंच विनियमों के अननुपालन के आरोपों पर याची द्वारा जोर नहीं दिया गया था इसलिए, अधिनियम की धारा 142 और 149 के अधीन जारी की गई सूचनाएं उन्मुक्त की गई और कार्यवाहियों को समाप्त किया गया ।

4) **उड़ीसा राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्बाध पहुंच अस्वीकार करना - जेएसएल मामला (याचिका सं.108/2008):**

यह निवेदन किया गया था कि जिंदल स्टील लिमिटेड (जेएसएल) कलिंगा नगर औद्योगिक परिसर, दुबुरी, जयपुर रोड, उड़ीसा में दो चरणों में 4x125 एमडब्ल्यू केप्टिव उत्पादन संयंत्र के साथ एक एकीकृत स्टील संयंत्र स्थापित कर रहा था । 250 एमडब्ल्यू क्षमता पहले से ही प्रचालन में थी ।

मई, 2005 में, याची ने पावर ग्रिड को सूचित किया था कि 250 एमडब्ल्यू में से 175 एमडब्ल्यू की खपत उड़ीसा संयंत्र में होगी और 75 एमडब्ल्यू हिसार, हरियाणा स्थित उसके अपने संयत्र में पारेति किया जाएगा और तद्नुसार उसने दीर्घावधि निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन किया था ।

जून, 2005 में, जेएसएल ने उड़ीसा में एक स्टील संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौता किया था । इस समझौता ज्ञापन में, केप्टिव पावर प्लांट की क्षमता की पहचान निम्नानुसार की गई थी :

चरण - I : 125 एमडब्ल्यू x 25 एमडब्ल्यू (अपशिट ऊष्मा)

चरण - II : 375 एमडब्ल्यू x 25 एमडब्ल्यू (अपशिट ऊष्मा)

'समझौता ज्ञापन' में यह भी कहा गया था कि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र में अधिशेष विद्युत, यदि कोई हो, की प्रस्थापना पहले ग्रिड को या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य निगम को ओईआरसी द्वारा अवधारित टैरिफ पर की जाएगी ।

याची ने एनआरएलडीसी को सूचित करते हुए तारीख 12.08.2008 को एक आवेदन फाइल किया कि वह अल्प-अवधि निर्बाध पहुंच का प्रयोग करते हुए 75 एमडब्ल्यू विद्युत हिसार में पारेषित करना चाहता है तथा उसने एनआरएलडीसी से रजिस्ट्रीकरण कोड जारी करने का अनुरोध किया था ताकि वह सहमति प्राप्त करने के लिए क्रमशः एसएलडीसी में आवेदन कर सके । एनआरएलडीसी ने मौखिक रूप से सूचित किया था कि क्रमशः एसएलडीसी से सहमति पहले प्राप्त करना होगी ।

तारीख 21.8.2008 को जेएसएल ने सहमति के लिए ओपीटीसीएल में आवेदन किया । तारीख 22.8.2008 को ओपीटीसीएल ने निम्नलिखित आधारों पर सहमति प्रदान करने से इंकार किया :

(क) उड़ीसा सरकार के साथ किए गए समझौता-ज्ञापन के अनुसार अधिशेष विद्युत पहले ग्रिडकों को दी जानी थी तथा हिसार स्थित इसकी सहोदर एकक को विद्युत दिए जाने के लिए किसी उपबंध पर अनुबंध नहीं किया गया था ।

(ख) वर्तमान में उपरोक्त सीजीपी की एससीएडीए प्रणाली अंतःक्षेपित विद्युत की वास्तविक समय मानिटरिंग के लिए कृत्यात्मक नहीं है ।

व्यथित याची ने आयोग से यह अनुरोध किया कि ओपीटीसीएल, जेएसएल को अल्प-अवधि निर्बाध पहुंच तुरंत प्रदान करने के निदेश दिया जाए ।

आयोग ने तारीख 3.2.2009 के अपने आदेश में यह संप्रेक्षित किया कि प्रत्यर्थी द्वारा याची को निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने से इंकार और इसका विरोध पूरी तरह से अनुचित और विधि के अतिलंघन में था । तद्नुसार, प्रत्यर्थी को निदेश दिया गया था कि वह याची को कैप्टिव विद्युत संयंत्र से 75 एमडब्ल्यू विद्युत अंतःक्षेपित करने के लिए अनुज्ञात करे जिससे कि वह उड़ीसा राज्य से हरियाणा राज्य में हिसार स्थित अपने स्टेनलेस स्टील संयंत्र में विद्युत स्थानांतरित कर सके । उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में आयोग के आदेश को चुनौती दी । उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आयोग के आदेश पर अंतरिम स्थगन दे दिया है। तत्पश्चात् 30 मेगावाट के लिए निर्बाध-पहुंच अनुज्ञात करते हुए स्थगन को उपांतरित किया है ।

5) **बोली मूल्यांकन और संदाय के प्रयोजन के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों की अधिसूचना**

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के उपापन के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु मार्गदर्शक

सिद्धांतों पर तारीख 19.1.2005 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (समय-समय पर संशोधित) के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से यह अपेक्षित है कि वह हर छह मास में बोली मूल्यांकन और संदाय के प्रयोजन के लिए विभिन्न वृद्धि घटक और अन्य मापदंड अधिसूचित करे । आयोग ने अक्तूबर, 2008 से मार्च, 2009 की अवधि के लिए लागू इन वृद्धि घटकों और अन्य मापदंडों को तारीख 6.10.2008 की अधिसूचना द्वारा तथा अप्रैल, 2009 से सितंबर, 2009 की अवधि के लिए लागू वृद्धि घटकों और अन्य मापदंडों को तारीख 27.3.2009 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया था ।

6) 'अल्प-अवधि विक्रय/व्यापार में विद्युत की कीमतों को निर्बंधित करने के लिए उपाय' पर आदेश

अल्प-अवधि में विक्रय/व्यापार की जा रही विद्युत की कीमतों में वृद्धि के संबंध में विभिन्न पणधारियों द्वारा व्यक्त की जा रही चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, सीईआरसी के स्टाफ ने "अल्प-अवधि विक्रय/व्यापार में विद्युत की कीमतों को निर्बंधित करने के लिए उपाय" नामक एक स्टाफ पत्र तारीख 1 सितंबर, 2008 को परिचालित किया था । स्टाफ पत्र में अल्प-अवधि व्यापार की जा रही विद्युत पर कुछ अवरोध लगाने का सुझाव दिया गया था । सीईआरसी ने "अल्प-अवधि बाजार में विद्युत की कीमतें निर्बंधित करने के लिए उपाय" के मामले में 17 दिसंबर, 2008 को एक आदेश जारी किया था । इस आदेश में दो महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गई थी । एक का संबंध मुफ्त जल विद्युत की बिक्री विनियमित करने के लिए विधिक ढांचे से था जबकि दूसरा अन-नुसूचित अंतर-विनियम (यूआई) तंत्र के व्यापक पुनरीक्षण के लिए आवश्यकता से संबंधित था । पहले प्रश्न पर, केंद्रीय सरकार को तारीख 22 दिसंबर, 2008 के अ.शा. पत्र सं. 2/7/2008/नीति/सीईआरसी द्वारा समुचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है । दूसरे प्रश्न पर, आयोग ने अननुसूचित अंतर-परिवर्तन (यूआई) तंत्र का पुनरीक्षण किया है और विनियम जारी किए हैं जो 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी हो गए हैं ।

"अल्प-अवधि बाजार में विद्युत की कीमतें निर्बंधित करने के लिए उपाय" के मामले में सीईआरसी के तारीख 17 दिसंबर, 2008 के आदेश की मुख्य विशेषताएं :--

1) आयोग, किसी विद्युत व्यापारी को और एक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दूसरे अनुज्ञप्तिधारी को, चाहे वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी हो या विद्युत व्यापारी, विद्युत के अंतर-राज्यिक विक्रय के लिए कीमत अवरोध नियत करने के लिए सशक्त है ।

2) अवरोध नियत करने की कानूनी शक्तियों का प्रयोग किया जाना संपूर्ण परिस्थितियों और सुसंगत तथ्यों पर निर्भर करेगा ।

3) कीमत अवरोध अधिरोपित करने के प्रयोजन को अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे यूआई तंत्र का पुनरीक्षण और राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त विद्युत की बिक्री की कीमत को विनियमित करने के तंत्र के अभाव पर विचार किए बिना पूरा नहीं किया जाएगा ।

4) आयोग विद्युत मंत्रालय को यह सलाह देगा कि वह राज्य सरकारों द्वारा हाइड्रो स्टेशनों से अन्य राज्यों के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को मुफ्त विद्युत की बिक्री के विनियमन के लिए एक समुचित कानूनी तंत्र तैयार करे ।

5) आयोग के स्टाफ को यह निदेश दिया गया है कि वह यूआई की संकल्पना और यूआई कीमतों के वास्तविक चलन तथा लघु अवधि में विक्रय की जा रही विद्युत की कीमत पर इसके प्रभाव का गहराई से अध्ययन करें ।

6) समय-सूची में 5 दिन से 2 दिन का परिवर्तन करने के लिए अग्रिम सूचना की अवधि कम करने हेतु निर्बाध पहुंच विनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ।

7) आयोग ने एक या अन्य आधार पर कुछ राज्यों में अपनाए जा रहे निर्बाध पहुंच में अवरोध लगाने की प्रवृत्ति और परिणामस्वरूप कमी की वर्तमान परिस्थिति में उपलब्ध विद्युत का उपयोग किसी अन्य द्वारा किए जाने को अनुज्ञात न करने की भी आलोचना की है । इसने यह भी माना है कि

राज्य सरकारों द्वारा राज्य उपयोगिताओं के लिए आवश्यक है कि वे कम विद्युत प्रदाय की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए तुरंत कदम उठाएं क्योंकि व्यापारित विद्युत की उच्च लागत, काफी हद तक, उच्च दर संदाय करने की क्रेताओं की तैयारी के साथ इस स्थिति का परिणाम है ।

8) यह भी सुझाव दिया गया है राज्य आयोग ऐसी कीमत पर सीमा अधिरोपित कर सकते हैं जिस पर उनके राज्य की उपयोगिताएं, सुसंगत तथ्यों और बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए लघु अवधि विद्युत का उपापन कर सकें ।

7.4 टैरिफ अवधारण

1. थर्मल उत्पादन

1) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के थर्मल उत्पादन केंद्रों का टैरिफ

1.4.2008 को नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की कुल संस्थापित क्षमता 25912 मेगावाट है जिसमें से 21395 मेगावाट कोयला तथा 4017 मेगावाट प्राकृतिक गैस/द्रव ईंधन पर आधारित है । चालू वर्ष के दौरान, एनटीपीसी ने 2000 मेगावाट की क्षमता को शामिल किया अर्थात् कहलगांव एसटीपीपी स्टेज-II, जिसकी दो यूनिटें 500 मेगावाट की है तथा सिपत स्टेज-II उसी आकार का है । 31.3.2009 को संस्थापित तथा एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादन केंद्रों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **उपाबंध-2** में है ।

आयोग ने वर्ष 2008-09 के लिए एनटीपीएस के सिपत स्टेज-II (2 X 5000 मेगावाट) के लिए अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया ।

2) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के थर्मल उत्पादन केंद्रों का टैरिफ

नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) की 31.3.2008 को लिग्नाइट आधारित कुल संस्थापित क्षमता 2490 मेगावाट की है । एनएलसी के प्रत्येक केंद्र की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **उपाबंध-3** में है ।

एनटीपीसी सिपत थर्मल ऊर्जा परियोजना

थर्मल विद्युत केंद्र-I अकेले तमिलनाडु राज्य को विद्युत का प्रदाय करता है, जब कि थर्मल विद्युत केंद्र-II (स्टेज-I और II) तथा थर्मल विद्युत केंद्र-I (विस्तारण) दक्षिणी क्षेत्र के घटकों को ऊर्जा का प्रदाय करते हैं ।

3) एनएलसी टीपीएस-II स्टेज-I और स्टेज-II का टैरिफ

आयोग ने, याचिका सं0 118/2007 में तारीख 4.6.2008 के आदेश द्वारा 2004-09 की अवधि के लिए, जिसमें 2001-04 से 2006-07 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण भी है, टीपीएस-II स्टेज-I तथा II के टैरिफ का अनुमोदन किया । 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार **उपाबंध-4** के अनुसार अनुज्ञात किए गए ।

आयोग द्वारा उपरोक्त वार्षिक नियत प्रभार एनएफए एप्रोच के आधार पर अनुज्ञात किए गए । टीपीएस-II स्टेज-I तथा स्टेज-II की नवीनतम पूंजी लागत 1.4.2007 को 604.07 करोड़ रुपए तथा 1195.34 करोड़ रुपए है ।

आयोग ने ईंधन कीमत समायोजन (एफपीए) के अधीन रहते हुए 1.21 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच (एक्स-बस) का आधार ऊर्जा प्रभार का भी अनुमोदन किया ।

4) दामोदर घाटी निगम के थर्मल उत्पादन केंद्रों का टैरिफ

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की कुल संस्थापित थर्मल क्षमता 2995 मेगावाट की है जो 1.4.2008 से प्रचालन में है । चालू वर्ष के दौरान, डीवीसी ने 250 मेगावाट की मिझा यूनिट-6 को सम्मिलित किया । डीवीसी के प्रत्येक

उत्पादन केंद्र की 31.3.2009 को संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **उपाबंध-5** में है ।

आयोग ने मिझा यूनिट-5 (250 मेगावाट) के लिए डीवीसी द्वारा दावा किए गए 2.90 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच के अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन किया । मिझा यूनिट 5 तथा 6 के अंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका आयोग के विचाराधीन है ।

5) नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (निपको)

31.3.2009 को नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के पास ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस पर आधारित 375 मेगावाट की थर्मल उत्पादन क्षमता है अर्थात् असम जीपीएस (291 मेगावाट) तथा अगरतला जीपीएस (84 मेगावाट) । ये दोनों केन्द्र उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के फायदाग्राहियों को ऊर्जा का प्रदाय करते हैं । अगरतला गैस ऊर्जा केन्द्र ओपन साइकल पर चलता है तथा असम गैस ऊर्जा केन्द्र संयुक्त साइकल पद्धति पर चलता है । दोनों केंद्रों के पास लघु क्षमता (50 मेगावाट यूनिट आकार से कम) के गैस टर्बाइन है । प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **उपाबंध-6** में दी गई है: -

6) पुनर्विलोकन याचिकाएं:

आयोग ने एनटीपीसी, ग्रिडको, असम राज्य विद्युत बोर्ड (एएसईबी), टीएसइबी, निपको, एमपीपीटीसीएल, आईएसएन इंटरनेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2001-04 और 2004-09 की अवधि के लिए आयोग के विभिन्न आदेशों के विरुद्ध तथा तालचर टीपीएस (460 मेगावाट) की दशा में प्रचालन संनियमों का पुनरीक्षण करने के लिए फाइल की गई 15 पुनर्विलोकन याचिकाओं का निपटारा किया ।

7) प्रकीर्ण याचिकाएं/मामले

क. 1.1.2000 से 30.06.2001 की अवधि के दौरान प्रदाय की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभारों की वसूली - विवादों का न्यायनिर्णयन

1.1.2000 से 30.6.2001 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में याचिकाकर्ता के विभिन्न थर्मल उत्पादन केंद्रों से प्रदाय की गई ऊर्जा के लिए प्रभारों के संदाय के बारे में एनटीपीसी तथा फायदाग्राहियों के बीच उद्भूत विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए एनटीपीसी द्वारा एक याचिका फाइल की गई । याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थियों ने संदेय ऊर्जा प्रभारों के भाग का संदाय इस आधार पर नहीं किया कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अवधि के दौरान उच्च फ्रिक्वेंसी स्थिति में विद्युत उत्पादित की थी तथा प्रत्यर्थियों को उसका प्रदाय किया गया था । चूंकि विवाद में अनेक मुद्दे तथा जटिलजाएं अंर्तवलित थी, इसलिए, आयोग ने यह विनिश्चय किया कि मुद्दों की पहली जांच विस्तृत रूप से आयोग के एक सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए जिससे वह कि आयोग को विचार करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें कर सकें । श्री भानु भूषण को आगे की कार्यवाहीं करने तथा इस प्रयोजन के लिए आयोग को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया । एक सदस्यीय न्यायपीठ ने तारीख 5.7.2007 के आदेश द्वारा उक्त अवधि के लिए ऊर्जा प्रभारों का संदाय करने की सिफारिश की ।

आयोग ने, तारीख 31.6.2008 को एक सदस्यीय न्यायपीठ की सिफारिशों को स्वीकार किया तथा 1.1.2000 से 31.3.2001 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी को ऊर्जा प्रभारों की वसूली करने के लिए अनुज्ञात किया ।

ख. पूर्वी क्षेत्र के फायदाग्राहियों के बीच 3 एनटीपीसी केन्द्रों के क्षमता प्रभारों के प्रभाजन के बारे में विवाद

ग्रिडको ने विवाद के निपटान के लिए एक याचिका फाइल की जो पूर्वी क्षेत्र में डीवीसी तथा डब्ल्यूबीएसईबी को विद्युत के प्रदाय के विनियमन के कारण अधिक नियत प्रभारों की बिलिंग के कारण उद्भूत हुआ था । आयोग ने याचिका सं. 16/2006 में तारीख 30.09.2008 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 43क(2) के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी

अधिसूचना तथा बीपीएसए के उपबंधों के अधीन, एनटीपीसी, डब्ल्यूबीएसईबी तथा डीवीसी को ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के मद्दे नियत प्रभारों का बिल नहीं करेगा ।

ग. जिला सिद्धि, म.प्र. में आईएसएन इंटरनेशनल कंपनी लि. द्वारा गठित किए जा रहे 2000 मेगावाट थर्मल ऊर्जा परियोजना को पूंजी लागत का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए याचिका

आईएसएन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जिला सिद्धि, मध्य प्रदेश में स्थापित की जाने वाली अपनी प्रस्तावित 2000 मेगावाट थर्मल ऊर्जा परियोजना की पूंजी लागत का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 79 (1) (ख) के अधीन एक याचिका फाइल की । आयोग ने याचिका को ग्रहण करने के प्रक्रम पर ही यह संप्रेक्षण करते हुए निपटान कर दिया कि याचिकाकर्ता प्रतिस्पर्धा बोली की प्रक्रिया के माध्यम से ईपीसी संविदा के लिए बोली अभिप्राप्त करने के पश्चात विधि के अनुसार तथा आयोग के विनियम के अधीन रहते हुए पूंजी लागत के "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए नया आवेदन करे ।

2. हाइड्रो उत्पादन

आयोग इस समय केन्द्रीय सेक्टर कंपनियों (एनएचपीसी, एनएचडीसी, निपको, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी तथा डीवीसी) के निम्नलिखित हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ को विनियमित करता है, जो दक्षिणी क्षेत्र के सिवाय सभी क्षेत्रों मे अवस्थित हैं, जिनकी 23 संयंत्रों में 8574 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता है । केविविआ की परिधि के अधीन हाइड्रो केन्द्रों का संमिश्रित टैरिफ **उपाबंध 7** में है । प्रत्येक हाइड्रो उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **उपाबंध 8** में है ।

जम्मू–कश्मीर में एनएचपीसी के 690 मेगावाट सलाल विद्युत केन्द्र का बांध कॉम्पलेक्स

1) 2004-09 की अवधि के लिए नाफ्था झाकरी एचई केन्द्र के लिए अंतिम टैरिफ का अनुमोदन

नाफ्था झाकरी एचई स्टेशन (6 X 250 मेगावाट)-सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) ने 1.4.2004 से 31.3.2007 तक की अवधि के लिए नाफ्था झाकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (6 X 25 मेगावाट) का अंतिम टैरिफ तथा 1.4.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका फाइल की । आयोग ने 31 दिसम्बर, 2008 के आदेश द्वारा 2004-09 की अवधि के लिए निम्नानुसार अंतिम टैरिफ अनुमोदित किया तथा वार्षिक नियत प्रभार अनुज्ञात किए: -

सारणी 9. 2004–09 की अवधि के लिए नाफ्था झाकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक केन्द्र का वार्षिक नियत प्रभार

	1.4.2004 से 5.5.2004	6.5.2004 से 17.5.2004	6.5.2004 से 17.5.2004	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
एएफसी (रुपए लाख में)	7322	3200	111003	142958	138860	35499	131243

2) रंगानदी एचई केन्द्र (3 X 135=405 मेगावाट)

निपको ने 12.2.2002 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए अंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका फाइल की । 12.2.2002 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए आयोग द्वारा 29 अप्रैल, 2008 द्वारा अनुज्ञात वार्षिक नियत प्रभार निम्नानुसार हैं -

सारणी 10. 2002–04 की अवधि के लिए रंगानदी एचई केन्द्र (निपको) के लिए वार्षिक नियत प्रभार

	12.2.02 से 31.3.02	1.4.02 से 11.4.02	12.4.02 से 31.3.03	2003-04
एएफसी (रुपए लाख में)	2889	640	24527	25049

इसके पश्चात्, आयोग ने तारीख 30.4.2008 के आदेश द्वारा 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए निम्न टैरिफ अनुज्ञात कियाः-

सारणी 11. 2004–09 की अवधि के लिए रंगानदी एचई केन्द्र (निपको) का लिए वार्षिक नियत प्रभार

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
एएफसी (रुपए लाख में)	26286	25086	24155	23462.24	20341

3) पुनर्विलोकन याचिकाएं

आयोग ने एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, एनएचडीसी तथा अन्य फायदाग्राहियों द्वारा विभिन्न पुनर्विलोकन याचिकाओं का निपटान किया ।

3. पारेषण

आयोग ने विभिन्न पारेषण तत्वों के लिए पारेषण टैरिफ का अनुमोदन किया था । ग्रिड सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग्रिड से अधिक विद्युत प्राप्ति को रोकने के लिए संघटकों को निदेश देने हेतु एनआरएलडीसी और एसआरएलडीसी ने याचिकाएं फाइल की थी । ग्रिड आवर्त्तिता को विनिर्दिट सीमाओं के भीतर रखते हुए प्रादेशिक ग्रिड के संरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने स्वप्रेरणा से भी अनेक याचिकाएं ली थी । आयोग ने राज्य उपयोगिताओं द्वारा अननुसूचित अंतर–विनिमय प्रभारों का संदाय न करने को गंभीरता से लिया है और ऐसी अनेक कार्यवाहियां स्वप्रेरणा से प्रारंभ की गई थी, जिनमें कुछ उपयोगिताओं पर आयोग के आदेशों का पालन न करने के लिए शास्तियां भी अधिरोपित की गई थी । अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच के महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कुछ राज्य भार प्रेषण केंद्रों (एसएलडीसी) द्वारा निर्बाध पहुंच प्रदान करने में विवादों से संबंधित याचिकाओं में निष्पक्ष निर्बाध

पहुंच उपलब्ध कराने के लिए उपयोगिताओं/राज्य भार प्रेषण केंद्रों को अनेक आदेश दिए थे । आयोग ने, पारेषण प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों को 4 पारेषण अनुज्ञप्तियां प्रदान की हैं । आयोग ने अनेक मुद्दों पर मत बनाए थे और उन पर कार्रवाई करने का निदेश दिया था । आयोग में पारेषण क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

1) पारेषण टैरिफ

आयोग ने अंतरराष्ट्रीय पारेषण से संबंधित याचिकाओं में 115 आदेश जारी किए हैं, जिनमें अनंतिम आदेश भी सम्मिलित हैं । पीजीसीआईएल द्वारा फाइल की गई अधिकांश टैरिफ याचिकाएं 2004-09 की टैरिफ अवधि से संबंधित हैं । ये टैरिफ याचिकाएं अनंतिम टैरिफ और साथ ही अतिरिक्त पूंजीकरण और अंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए फाइल की गई थी । पीजीसीआईएल ने विभिन्न क्षेत्रों में अंतःक्षेत्रीय और अंतरा-क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के लिए प्रोत्साहनों के अनुमोदन के लिए अनेक याचिकाएं फाइल की थी । हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती के मद्दे विशेष व्यय के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं पर भी कार्यवाही की गई थी । चूंकि पारेषण प्रणाली में तीव्र विकास हो रहा है, इसलिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और इन याचिकाओं के लिए पारेषण टैरिफ की संगणना एक विशाल कार्य है । आयोग ने पारेषण टैरिफ से संबंधित अनेक याचिकाओं पर कार्यवाही की । ब्यौरे **उपाबंध-1** में दिए गए हैं ।

220 केवी पारेषण लाइन – पीजीसीआईएल

2) आईईजीसी में संशोधन

आईईजीसी को 17.3.2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । तब से ग्रिड संहिता को विद्युत क्षेत्र में होने वाले विकाशील परिवर्तनों से सुसंगत बनाने के लिए उसमें अनेक संशोधन किए गए हैं । सितंबर, 2008 में, डाटा और संचार सुविधाओं तथा समय-सूची तैयार करने से संबंधित उपबंधों को स्पट करने के लिए आईजीसी में संशोधन किया गया था । मार्च, 2009 में आईईजीसी को के.वि.वि.आ. और के.वि.प्रा. के अनेकों नए विनियमों, उदाहरणार्थ के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का प्रतिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 की अधिसूचना तथा के.वि.वि.आ. के नए यूआई विनियम से सुसंगत बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया था । एनएलडीसी और पावर एक्सचेंजों के गठन में भी संगठनों की भूमिकाओं में कतिपय परिवर्तन करना अपेक्षित होगा, जैसा कि आईईजीसी में दिया गया है । उत्पादन केंद्रों की शेडयुलिंग से संबंधित कतिपय उपबंधों को, जो टैरिफ विनियम, 2004-09 का भाग थे, 2009-14 की अवधि के लिए नए टैरिफ विनियमों से हटा दिया गया था और इसके लिए इन उपबंधों को आईईजीसी में सम्मिलित करना अपेक्षित था । इस सबके परिणामस्वरूप, मार्च, 2009 में आईईजीसी में संशोधन किया गया था । मुख्य परिवर्तनों

में, आवर्तिता बैंड को 49.0 - 50.5 हर्टज करना, एनएलडीसी कृत्यों को सम्मिलित करना और सामूहिक संव्यवहारों और साथ ही जल विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए शेडयुलिंग प्रक्रिया को सम्मिलित करना है । आईईजीसी के अध्याय 7 को हटा दिया गया था, क्योंकि वह भारतीय विद्युत प्रणाली से संबंधित नए विकासों के अनुरूप नहीं था ।

3) यूआई संदाय में व्यतिक्रम करने वाली उपयोगिताओं पर कार्रवाई

- आयोग की जानकारी में यह आया था कि 2.9.2007 की अवधि तक यूआई प्राप्ति के मद्दे यूपीपीसीएल के प्रति 577.99 करोड़ रुपए का मूलधन बकाया था । आयोग ने याचिका सं. 131/2007 में अपने तारीख 11.4.2008 के आदेश द्वारा यूपीपीसीएल को मई, 2008 से प्रारंभ करते हुए 128 करोड़ रुपए की 6 मासिक किश्तों में 767 करोड़ रुपए के संपूर्ण मूल यूआई बकाया को अदा करने का निदेश दिया था । आयोग ने यह निदेश दिया था यदि यूपी इसमें असफल रहता है तो एनआरएलडीसी लाइनों को खोलकर उसके प्रदाय में कमी करेगा । तत्पश्चात्, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश को ध्यान में रखते हुए तारीख 29.5.2008 के आदेश द्वारा संदाय समय-सूची को उपांतरित किया गया था और अदायगी 64 करोड़ रुपए प्रत्येक की 12 किश्तों में की जानी थी । यूपीपीसीएल आयोग के आदेश का पूर्ण पालन नहीं कर सका था और अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग के तारीख 26.12.2008 के द्वारा यूपीपीसीएल पर एक लाख की शास्ति अधिरोपित की गई थी । आयोग ने आदेश का पालन न करने के लिए अधिनियम की धारा 149 के अधीन एमडी, यूपीपीसीएल को सूचना जारी की । उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपसंजात होने का निदेश दिया गया था । अपने तारीख 12.2.2009 के आदेश द्वारा आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था कि द्वितीय प्रत्यर्थी, एमडी, यूपीपीसीएल को आयोग के आदेशों का पालन न करने का दोषी माना गया था किंतु उनके कार्यकरण की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष मामले के रूप में अधिनियम की धारा 149 के निबंधनानुसार उन पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई और कार्यवाहियां बंद कर दी गई ।

- जम्मू-कश्मीर द्वारा यूआई संदाय न करने को देखते हुए, आयोग ने याचिका सं. 132/2007 में तारीख 13.5.2008 के आदेश द्वारा जम्मू-कश्मीर को यह निदेश दिया था कि वह जून, 2008 से प्रारंभ करते हुए 111 करोड़ रुपए प्रत्येक की 6 समान मासिक किश्तों में मूल यूआई बकायों का संदाय करे । यह निदेश दिया गया कि यदि जम्मू-कश्मीर इसमें असफल रहता है तो एनआरएलडीसी लाइनों को खोलकर उसके प्रदाय में कमी करेगा । कड़े उपाय के रूप में एनआरएलडीसी को यह निदेश दिया था कि यदि जून, 2008 से यूआई संदाय प्रारंभ नहीं होता है तो वह 1.7.2008 से जम्मू-कश्मीर द्वारा विक्रय या वस्तु-विनियम के लिए प्रस्थापित ऊर्जा को शेडयुल न करे । एनआरएलडीसी को, आवश्यकता की दशा में प्रवर्तन के लिए जम्मू-कश्मीर के प्रदाय को भौतिक रूप से कम करने के लिए सदस्य-सचिव, एनआरपीसी के परामर्श से व्यवहारिक स्कीम तैयार करने और उसे आयोग को प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया था । आयोग के आदेश का अनुपालन न करने के कारण अधिनियम की धारा 142 के अधीन तारीख 10.10.2008 और 30.3.2009 के आदेश द्वारा दो बार जम्मू-कश्मीर पर

शास्ति अधिरोपित की गई थी । सचिव, पीडीडी, जम्मू-कश्मीर को आयोग के समक्ष उपसंजात होने का निदेश दिया गया था । वह आयोग के समक्ष उपसंजात हुए थे और इन्होंने संदाय करने में आने वाली कठिनाईयों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया था । आयोग ने याचिका सं. 29/2009 में तारीख 11.5.2009 के आदेश द्वारा शेष ब्याज राशि के संदाय के लिए 30.9.2009 तक का समय दिया था ।

- याचिका सं. 54/2008 में, बीएसईबी को यूआई का संदाय न करने के लिए ग्रिड संहिता के अननुपालन का दोषी पाया गया था और अधिनियम की धारा 142 के अधीन बीएसईबी पर एक लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी । एक कड़ा संदेश देने के लिए इस बार अधिनियम की धारा 149 के अधीन अध्यक्ष, बीएसईबी पर 5 हजार रुपए की सांकेतिक शास्ति अधिरोपित की गई थी ।
- याचिका सं. 55/2008 में तारीख 5.8.2008 के आदेश द्वारा एमपीपीटीसीएल पर भी यूआई शोध्यों का संदाय न करने के लिए 1,00,000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 149 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एमपीपीटीसीएल के एमडी को सूचना जारी की गई थी ।
- याचिका सं. 56/2006 में तारीख 12.1.2009 के आदेश द्वारा डीएनएच पर भी यूआई प्रभारों का संदाय न करने के लिए अधिनियम की धारा 142 के अधीन एक लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी ।
- याचिका सं. 12/2008 में मेघालय को यूआई प्रभारों का संदाय न करने के लिए नोटिस जारी किया गया था । मेघालय द्वारा यूआई प्रभारों का समय पर संदाय करने की प्रतिबद्धता करने के पश्चात् कार्यवाहियों को रोक दिया गया था ।
- यूआई संदाय प्रास्थिति की नियमित मानीटरिंग, उपयोगिताओं पर शास्तियों का अधिरोपण और उपयोगिताओं के प्रभारी अधिकारियों को सूचनाओं के कारण उपयोगिताएं कुछ हद तक यूआई प्रभारों के संदाय में नियमित हो गई हैं । आरपीसी को यूआई प्रभारों के विलंबित संदाय के कारण ब्याज संगणित करने का निदेश दिया गया था । अधिकांश उपयोगिताओं द्वारा यूआई प्रभारों के मूल भाग और उस पर ब्याज का संदाय आयोग के निदेशानुसार किया गया था ।

4) ग्रिड अनुशासनहीनता के लिए उपयोगिताओं के विरुद्ध कार्रवाई

- एसआरएलडीसी ने दक्षिणी ग्रिड की सुरक्षा और विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए, आयोग के समक्ष याचिका सं. 89/2008 फाइल की थी । यह याचिका दक्षिणी ग्रिड के फायदाग्राहियों को यह निदेश देने के लिए फाइल की गई थी कि वे ग्रिड की संरक्षा और सुरक्षा के लिए निम्न आवर्तिता पर अधिक विद्युत प्राप्त न करें और अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक मांग अनुमान के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और ग्रिड से अधिक विद्युत प्राप्त किए बिना अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए अपने मांग संबंधी प्रबंध की योजना तैयार करें । एसआरएलडीसी ने यह कथन किया था कि दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में मई, जून और जुलाई, 2008 से ही निम्न आवर्तिता बनी हुई है । दक्षिणी क्षेत्र के घटकों ने 49.0 हर्टज से कम पर काफी अधिक विद्युत ली है ।

- आयोग ने तारीख 22.9.2008 के आदेश में एपी ट्रांसको, केपीटीसीएल, केरल एईबी और टीएनईबी पर आईईजीसी का अनुपालन न करने के लिए एक लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की थी । आयोग ने यह उल्लेख किया था कि मांग और प्रदाय के बीच बहुत बड़े अंतर का प्रमुख कारण राज्यों द्वारा समुचित योजना न बनाना है । संबंधित राज्य उपयोगिताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रिम में यह योजना बनाएं कि उन्हें ग्रिड से अधिक विद्युत प्राप्त किए बिना किस प्रकार से उपभोक्ताओं की मांग पूरी करनी है । आईईजीसी के खंड 6.4.5 (अब 6.4.8) का पालन करना सभी एसएलडीसी/एसटीयू का उत्तरदायित्व है । इस निरंतर समस्या को दूर करने के लिए इस खंड का अनुपालन अनिवार्य है । अतः, आयोग ने सभी पारेषण उपयोगिताओं को यह निदेश दिया है कि वे मांग को पूरा करने संबंधी योजना के आंकड़े आवधिक रूप से आयोग को प्रस्तुत करें । तारीख 27.1.2009 के आदेश द्वारा आयोग ने पुनः राज्य उपयोगिताओं को यह निदेश दिया था कि वे नियमित रूप से आयोग को मांग अनुमान आंकड़े प्रस्तुत करें ।
- आयोग ने याचिका सं. 115/2008 में तारीख 16.10.2008 के आदेश द्वारा विभिन्न उपयोगिताओं की ग्रिड अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाया था । आयोग ने विनियमित अस्तित्वों के बीच अनुशासन की भावना जागृत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था । आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि इस दिशा में पहले उपाय के रूप में, अधिनियम की धारा 142 के, जो आयोग को प्रत्येक उल्लंघन के लिए, जिसमें 15 मिनट के प्रत्येक समय-ब्लॉक में अधिक विद्युत प्राप्त करना सम्मिलित है क्योंकि प्रत्येक अधिक विद्युत प्राप्ति एक पृथक् और विशिष्ट अपराध है, एक लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत करता है, अधीन शास्तिक कार्यवाहियों का सहारा लिया जाए ।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि समुचित मामलों में आयोग को अधिनियम की धारा 149 के उपबंधों का अवलंब लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, जिसके अनुसार आयोग व्यतिक्रमी उपयोगिता के प्रभारी और कार्यों के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध शास्तिक उपबंधों का सहारा ले सकेगा । आरएलडीसी को यह निदेश दिया गया था कि वे 49.0 हर्टज से कम ग्रिड आवर्तिता पर प्रत्येक राज्य उपयोगिता द्वारा अधिक विद्युत प्राप्ति की तीन दिन के भीतर ब्लॉकवार रिपोर्ट दे । इसी प्रकार आरएलडीसी को आयोग को उसके निदेशों के अननुपालन के प्रत्येक मामले को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया था जिसमें व्यतिक्रम की प्रकृति, निदेशों के ब्योरे, निदेश का परिणाम जैसे सभी आवश्यक ब्यौरे होंगे, जो यदि आयोग द्वारा उचित पाए जाए तो आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।
- याचिका सं. 152/2008 में तारीख 9.1.2009 के आदेश द्वारा यूपीपीसीएल पर ग्रिड से यूपी द्वारा अधिक विद्युत प्राप्त करके आईईजीसी के अननुपालन के लिए एक लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी । इसके अतिरिक्त, तारीख 13.2.2009 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 149 के अधीन एमडी, यूपीपीसीएल पर 1000 रुपए की सांकेतिक शास्ति अधिरोपित की गई थी ।
- याचिका सं. 137/2008 में टीएनईबी को ग्रिड से अधिक विद्युत प्राप्त करने का दोषी पाया गया था और उस पर तारीख 31.12.2008 के आदेश द्वारा 1 लाख रुपए की

शास्ति अधिरोपित की गई थी । अध्यक्ष, टीएनईबी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपसंजात होने का निदेश दिया गया था ।

- उत्तर प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र (एनआरएलडीसी) ने विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (ग्रिड संहिता) के पैरा 5.4.2 (ख) के अधीन कुछ उत्तर प्रादेशिक फायदाग्राहियों को जारी किए गए निदेशों को प्रस्तुत किया था । एनआरएलडीसी ने यह रिपोर्ट दी थी कि संबंधित राज्य के एसएलडीसी ने क्षेत्रीय ग्रिड से अधिक विद्युत प्राप्त करने की घटनाओं को कम करने के उसके निदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं की । आयोग ने, यूपी, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान द्वारा एनआरएलडीसी के निदेशों के अननुपालन के आरोपों के न्यायनिर्णयन के लिए जांच करने हेतु अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (6) के अधीन श्री एस. जयरमन, सदस्य, के.वि.वि.आ. को न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया । दिल्ली पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान पर विभिन्न राशियों की शास्तियां अधिरोपित की गई थी ।

7.5 : वर्ष के दौरान अन्य क्रियाकलाप

1. केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) :

वर्ष 2008-09 में केंद्रीय सलाहकार समिति की 9वीं और 10वीं बैठक का आयोजन क्रमशः 28 अप्रैल, 2008 और 18 मार्च, 2009 को इंडिया हेबीटेट सेंटर (आईएचसी), नई दिल्ली में किया गया ।

i. केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 9वीं बैठक :

सीएसी की 9वीं बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई;

- **व्यापार विनियम और व्यापार मार्जिन :**

यद्यपि साधारण अवधारणा यह थी कि 4 पैसा/केडब्ल्यूएच का व्यापार मार्जिन, व्यापारियों के जोखिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, वहीं व्यापारियों ने यह महसूस किया कि व्यापार मार्जिन को हटा दिया जाए क्योंकि यह अल्पकालिक बाजार कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था । समिति ने यह भी महसूस किया कि व्यापार अनुज्ञप्तियों की संख्या को सुसंगत बनाने के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति के प्रवर्गों की संख्या में कमी की जाए । व्यतिक्रम के इतिहास को देखते हुए, इस बात पर आम सहमति हुई थी कि संदाय सुरक्षा के लिए वर्तमान एलसी प्रणाली को जारी रखा जाए ।

- **2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों के निबंधन और शर्तें :**

आरओई या आरओसीई के प्रति सोच, आरओई की दर, पूर्व कर या पश्च कर आरओई, पूंजी लागत, ऋण साम्या अनुपात, ऋण की लागत, अवक्षयण की दर, एफईआरवी पर विचार जैसे प्रमुख वित्तीय मुद्दों को चर्चा और सुझाव के लिए समिति के समक्ष रखा गया था । इस बात पर साधारण आम सहमति थी कि यह आर.ओ.सी.ई. धारणा बेहतर थी किंतु इसमें संगणना करना जटिल था । अतः, आरओई धारणा को 14% की दर पर जारी रखा जाना चाहिए । के.वि.वि.आ. द्वारा विनिर्दिष्ट अवक्षयण दर को साधारणतया स्वीकार किया गया था ।

ii. केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 10वीं बैठक :

डा. प्रमोद देव, अध्यक्ष, सीईआरसी ने बैठक की अध्यक्षता की थी और इसमें चर्चा के लिए कार्यसूची का विषय 'निर्बाध पहुंच का कार्यान्वयन' था । के.वि.वि.आ. की ओर से निम्नलिखित मुद्दे रखे गए :

- **राज्य भार प्रेषण केंद्रों (एसएलडीसी) की स्वतंत्रता :**

इस बात पर सहमति थी कि निर्बाध पहुंच के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों द्वारा एसएलडीसी की स्वायतता सुनिश्चित की जाए । राज्य निर्वाचन अधिकारियों (निर्वाचन आयोग को रिपोर्टिंग) की रुपरेखा के अनुसार एसएलडीसी के रिपोर्टिंग चैनलों की संरचना के लिए विनियामकों के मंच की सिफारिश की व्यापक सराहना हुई थी । विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया था कि के.वि.वि.आ. को ऐसे एसएलडीसी, जो राज्य वितरण उपयोगिताओं के प्रभाव के अधीन तुच्छ आधारों पर निर्बाध पहुंच से इंकार करते हैं, पर और एसएलडीसी प्रचालक कंपनियों के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों पर कड़ी शास्तियां अधिरोपित की जानी चाहिए । इन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केंद्रीय सरकार को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए पावरग्रिड से आरएलडीसी के प्रचालनों की रिंग-फेसिंग की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए । सीएसी के अनेक सदस्यों ने भी यह सुझाव दिया था कि आरईसी, पीएफसी जैसे सीपीएसयू की सहायता और केंद्रीय सरकार के स्वःविवेकी कोटे से आबंटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और राज्यों को निर्बाध पहुंच लागू करने के लिए मनाया जाना चाहिए ।

- **राज्य सरकारों की भूमिका :**

मेजबान राज्यों द्वारा अन्य राज्यों को उच्च कीमतों पर मुफ्त विद्युत के विक्रय के मुद्दे को भी कुछ पणधारियों द्वारा इस तर्क के आधार पर उठाया गया था कि मुफ्त विद्युत की लागत की वसूली के.वि.वि.आ. द्वारा अवधारित टैरिफ के माध्यम से अन्य फायदाग्राहियों से की जा रही है और इसलिए मेजबान राज्यों को ऐसी मुफ्त विद्युत से लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । साधारणतया यह भी महसूस किया गया था कि एकल क्रेता माडल को, जिसमें राज्य सरकारें व्यापार कंपनियों जैसी राज्य के स्वामित्व वाले अस्तित्वों के माध्यम से वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत उपादन के कृत्य को अपने हाथ में ले लेती हैं, तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मतभेद पैदा हो रहे हैं और निर्बाध पहुंच को लागू करने में बाधा आ रही है । तथापि, राज्यों के कुछ प्रतिनिधियों ने यह महसूस किया था कि अंतरण के इस चरण में यह मॉडल उस समय तक अपेक्षित था जब तक कि वितरण कंपनियां उपापन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता विकसित न कर लें ।

- **निर्बाध पहुंच सुकर बनाने के लिए विनियामक हस्तक्षेप :**

निर्बाध पहुंच के उपभोक्ताओं द्वारा दी गई समय-सूची के पुनरीक्षण में प्रस्तावित नमनीयता के संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थी क्योकि यह महसूस किया गया था कि यह संविदाओं की गंभीरता को कम कर सकता है । तथापि, कुछ विशेषज्ञों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था यदि ऐसे पुनरीक्षण को उत्पादकों के सामने रखी गई प्रवृत्त शर्तों में करना अपेक्षित है । सीएसी ने यह भी सुझाव दिया था कि निर्बाध पहुंच संबंधी विनियमों और विभिन्न संबद्ध प्रभारों को युक्तियुक्त और सुगम बनाना चाहिए, विशेषकर राज्य स्तर पर क्योंकि अधिकांश निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं को उन्हें समझने में कठिनाई आई थी । एक सुझाव यह भी दिया गया था कि निवेशकों के बीच निश्चितता और उच्चतर विश्वास उत्पन्न करने के लिए

यह विनियम बहु-वर्षीय टैरिफ ढांचे के पैटर्न पर होने चाहिए ।

- **विद्युत उपलब्धता :**

पावर एक्सचेंजों पर एक सप्ताह/मास आगे की विद्युत संविदाओं को अनुमति प्रदान करने का मुद्दा भी चर्चा के लिए रखा गया था । विद्युत क्षेत्र के पणधारियों ने साधारणतया इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इस बात पर बल दिया कि के.वि.वि.आ. के पास विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन सभी प्रकार की विद्युत संविदाओं को विनियमित करने की पर्याप्त शक्ति है क्योंकि विद्युत विनियामक आयोगों के पास अनुज्ञप्ति जारी करने और विद्युत व्यापार विनियमित करने की शक्ति है । तथापि, उपभोक्ता कार्य विभाग के प्रतिनिधि ने यह कथन किया था कि अंतरणीय विनिर्दिष्ट प्रदाय संविदाओं की दशाओं में अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम के उपबंधों को संकलित करने की आवश्यकता होगी ।

2. विनियामक मंच (एफओआर) के क्रियाकलाप

केंद्रीय सरकार ने, विद्युत अधिनियम, 2003 के निबंधनानुसार विनियामक मंच (एफओआर) का गठन किया था । इस मंच में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं । सीईआरसी के अध्यक्ष इस मंच के अध्यक्ष है । 2008-09 में विनियामक मंच की पांच बैठकें की गई थी, जिनमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी और सिफारिशें की गई थी । मंच ने निम्नलिखित मुद्दों पर वर्ष 2008-09 में नौ कार्यकारी समूहों का गठन किया :

1. एमवाईटी ढांचे और वितरण मार्जिन संबंधी कार्यकारी समूह
2. ईआरसी में कर्मचारिवृंद संबंधी कार्यकारी समूह
3. निर्बाध पहुंच संबंधी कार्यकारी समूह
4. आचार संहिता संबंधी कार्यकारी समूह
5. डीएसएम और ऊर्जा दक्षता संबंधी कार्यकारी समूह
6. हानि में कमी करने की रणनीतियां संबंधी कार्यकारी समूह
7. नवीकरणीयों में नीतियों संबंधी कार्यकारी समूह
8. उपभोक्ता हितों के संरक्षण संबंधी कार्यकारी समूह
9. मीटर संबंधी मुद्दों के लिए कार्यकारी समूह

विनियामक मंच ने वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित अध्ययन प्रारंभ किए थे :-

- विद्युत सुधार और विनियम - अनुमान और लक्ष्य पूर्ति के बीच अंतरों और दबावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पिछले 10 वर्ष के अनुभव का महत्वपूर्ण पुनर्विलोकन
- कार्यपालन के मानकों (एसओपी) पर मॉडल विनियमन
- वितरण अंतर के लिए एक समुचित मॉडल तैयार करना
- वितरण कारबार के लिए पूंजी लागत बैंचमार्क

'एफओआर' विद्युत क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी करता है । वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया था :-

- ईआरसी के अधिकारियों के लिए आईआईटी, कानपुर द्वारा सक्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकारियों के लिए निर्बाध पहुंच और विद्युत प्रेषण केंद्र की भूमिका (ओए और एलडीसी) ।
- विद्युत विनियामक आयोगों (ईआरसी) के अधिकारियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण ।

- विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकारियों के लिए मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) ।

3. संगोठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण/आदान-प्रदान कार्यक्रम :

आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारिवृंद द्वारा जिन संगोठियों/सम्मेलनों/प्रशिक्षण/संयंत्र दौरा/आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लिया गया था, उनके ब्यौरे उपाबंध 9 और उपाबंध 10 में दिए गए हैं ।

7.6 भारत सरकार को सलाह

आयोग ने निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रीय सरकार को कानूनी सलाह प्रदान की थी :

1. निःशुल्क विद्युत के विक्रय मूल्य के विनियमन के लिए समुचित कानूनी तंत्र :

आयोग ने अपने तारीख 22 दिसंबर, 2008 के पत्र द्वारा भारत सरकार को राज्यों द्वारा विक्रित जल विद्युत उत्पादन केंद्रों से प्राप्त मुफ्त विद्युत के मुद्दे पर सलाह दी । सुसंगत उद्धरण नीचे दिए गए हैं :

'विद्युत अधिनियम, 2003 [धारा 62(1) का परंतुक] विद्युत की कमी की दशा में विद्युत की युक्तियुक्त कीमत को सुनिश्चित करने के लिए अल्पकाल में विद्युत के विक्रय या क्रय के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा नियत करने के लिए उपबंध करता है ।

2. विधि के इस उपबंध के विस्तार-क्षेत्र के संबंध में आयोग द्वारा अल्पकालिक बाजार में विद्युत की कीमतों को निर्बंधित करने के उपायों के मामले में विचार किया गया था और आयोग ने तारीख 17 दिसंबर, 2008 का अपना आदेश पारित किया था । आदेश की एक प्रति संलग्न है । यह सामने आया है कि जल विद्युत उत्पादन केंद्रों से निःशुल्क विद्युत प्राप्त करने वाली राज्य सरकारें, अपने स्व-विवेक से ऐसी विद्युत का विक्रय उपभोक्ताओं के अलावा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और विद्युत व्यापारियों को कर सकेगी । विद्युत मंत्रालय ने राजपत्र में प्रकाशित अपने तारीख 8 जून, 2005 के आदेश सं. का.आ. 792(अ) द्वारा यह उपबंध किया है कि जल विद्युत उत्पादन केंद्रों से निःशुल्क विद्युत प्राप्त करने वाले राज्य सरकारों के पास यह विवेकाधिकार होगा कि वे ऐसी विद्युत का व्ययन ऐसी रीति में कर सकें जो उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित प्रतीत होती है । कानूनी आदेश यह और उपबंध करता है कि यदि कोई राज्य सरकार ऐसी विद्युत का विक्रय वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को करती है तो संबंधित राज्य आयोग के पास उस कीमत को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी विद्युत का उपापन करता है ।

3. आयोग ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि यद्यपि केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा ऐसे विद्युत के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विक्रय के लिए टैरिफ नियत करने हेतु विनियामक ढांचा विनिर्दिट किया है, फिर भी आयोग के पास ऐसा कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है, जो अन्य राज्यों के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसी विद्युत के विक्रय मूल्य को विनियमित कर सके क्योंकि निःशुल्क विद्युत प्राप्त करने वाली राज्य सरकार न तो उत्पादन कंपनी है और न ही अनुज्ञप्तिधारी ।

एक वर्ष से कम अवधि के करारों के अंतर-राज्यिक संव्यवहारों में विक्रय की जा रही कुल विद्युत में राज्य सरकारों द्वारा विक्रय की जा रही निःशुल्क विद्युत के

बढ़ते अनुपात को देखते हुए यह पहलू महत्वपूर्ण होता जा रहा है ।

अतः आयोग ने, धारा 79(2) (ii) में यथा उपबंधित अपनी कानूनी बाध्यताओं के अधीन विद्युत मंत्रालय को यह सलाह देने का विनिश्चय किया है कि वह राज्य सरकारों द्वारा अन्य राज्यों के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसी विद्युत का विक्रय करने के लिए कीमत का आयोग द्वारा विनियमन के लिए समुचित कानूनी तंत्र तैयार करे ।"

2. निर्बाध पहुंच का प्रचालन :

आयोग ने अपने तारीख 27 अप्रैल, 2009 के पत्र द्वारा भारत सरकार को निर्बाध पहुंच के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 11 के दुरुपयोग के मुद्दे पर सलाह दी । सुसंगत उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :

'हमारी आशंका - कि एक राज्य सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अधीन आदेश जारी करना अन्य राज्यों को विद्युत निर्यात पर समान रोक लगाने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है -- एक वास्तविकता बनती जा रही है । आज की तारीख में हमारे पास अन्य राज्य सरकारों (अर्थात् तमिलनाडु, महाराट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान) द्वारा अधिनियम की धारा 11 या धारा 108 के अधीन जारी किए गए अनेकों आदेश हैं, जो संभावित रूप से भारत के नए विद्युत बाजार को नष्ट कर सकते हैं । राज्य सरकारों द्वारा जारी ऐसे प्रत्येक आदेश की एक-एक प्रति संलग्न है ।

आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि एक-एक उत्पादन ईकाई से अधिशेष विद्युत राज्य ग्रिड या केवल राज्य अस्तित्व को विक्रय को निर्बंधित करने वाली ऐसी कार्रवाइयां एक क्षेत्र/राज्य से दूसरे क्षेत्र/राज्य तक विद्युत के निर्बाध प्रवाह को रोकेंगी और ग्रिड के एकीकृत प्रचालन को प्रभावित करेंगी और साथ ही ग्रिड को भी खतरे में डालेगी । यह अधिनियम और राष्ट्रीय नीति की भावना के घोर विरुद्ध है ।

साथ ही यह सक्षमता परिवर्धन में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी । निर्बाध पहुंच या तृतीय पक्षकार विक्रय का उपबंध सुधार के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है क्योंकि इसे न केवल बाजार विकास के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है अपितु एक ऐसा तंत्र भी माना जाता है जो निवेशकों को संदाय सुरक्षा के निबंधनानुसार सुविधा भी प्रदान करता है । अतः, अधिक विद्युत के विक्रय पर निर्बंधन इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने के सभी प्रयासों को असफल कर देता है ।

आयोग ने इस मुद्दे पर विचार किया है और उसने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी उपरोक्त प्रकृति के आदेशों के आस्थगन "उन्हें अपास्त करने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में जाने का विनिश्चय किया है । आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अधीन भारत सरकार को यह सलाह देता है कि विचाराधीन मुद्दे की गंभीरता पर सम्यक् ध्यान देते हुए उसे भी हस्तक्षेप करना चाहिए और उच्चतम न्यायालय से यह निवेदन करना चाहिए कि वह राज्य सरकारों द्वारा धारा 11 और धारा 108 के अधीन जारी आदेशों को अपास्त करे, ताकि अधिनियम और नीति की भावना को अक्षुण्ण रखा जा सके ।"

8. वर्ष (2008-09) के दौरान जारी अधिसूचनाएं

सारणी 12. वर्ष (2008–09) के दौरान जारी अधिसूचनाएं

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	तारीख	विनियम
1.	59	15.04.2008	केविविआ (पट्टा आवास) (पहला संशोधन) विनियम, 2008
2.	54	11.09.2008	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (संशोधन); 2008
3.	160	06.10.2008	केविविआ (परामर्शक की नियुक्ति) विनियम, 2008
4.	174	17.10.2008	केविविआ (फीस का संदाय) विनियम, 2008
5.	675 (अ)	20.10.2008	केविविआ निधि (निधि का गठन तथा आवेदन करने की रीति) तथा बजट की तैयारी के लिए प्ररूप तथा समय नियम, 2007
6.	11	19.01.2009	केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009, शुद्धिपत्र तारीख 10.06.2009 तथा संशोधन तारीख 10.06.2009
7.	28	16.02.2009	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009
8.	31	06.03.2009	केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन
9.	43	30.03.2009	भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (संशोधन) विनियम, 2009
10.	43	30.03.2009	केविविआ (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 तथा तारीख 03.07.2007 का शुद्धि पत्र

9 - 2009-10 के लिए कार्यवृत्त

1. ''विद्युत बाजार विनियम'' को अंतिम रूप देना ।
2. "टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की संगणना करने के लिए प्रक्रिया विनियम" को अंतिम रूप देना ।
3. "व्यापार मार्जिन विनियम" को अंतिम रूप देना ।
4. "पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें विनियम" को अंतिम रूप देना ।
5. "प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए फीस तथा प्रभार विनियम" को अंतिम रूप देना ।
6. अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता प्रदान करना, दीर्ध-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा अन्य सहबद्ध विषय विनियमों को अंतिम रूप देना ।
7. ''नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियम से टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन तथा शर्तें विनियम'' को अंतिम रूप देना ।
8. "अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए कीमत पद्धति की विरचना" को अंतिम रूप देना ।
9. केविविआ में विनियामक सूचना प्रबंधन तंत्र (रिम्स) का कार्यान्वयन ।
10. थर्मल ऊर्जा केंद्रों तथा पारेषण प्रणाली तत्वों की पूंजी लागत के बैंच मार्क को विकसित करना।
11. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी का कार्यान्वयन) ।
12. इंटरवेनिंग पारेषण प्रसुविधाओं के उपयोग के लिए दरें, प्रभार तथा निबंधन तथा शर्तों के लिए विनियम बनाना ।
13. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (5) के अधीन विनियम बनाना ।

10 - लेखाओं का वार्षिक विवरण

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2004-05 से आगे के लिए सहायता अनुदान के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा विस्तारित बजटीय सहायता दी जा रही है । केन्द्रीय आयोग ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ऋण में केन्द्रीय विद्युत विनियामक निधि नामक अपनी निधि स्थापित की है जिसमें ऐसे अन्य स्रोतों से, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया, केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक संबंधी खर्चों तथा आयोग द्वारा अपने कृत्यों आदि के निर्वहन में उपगत व्ययों को भी पूरा किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, केन्द्रीय आयोग को केंद्रीय सरकार द्वारा 7.27 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान संबंधी सहायता प्रदान की गई जिसके प्रतिकूल उपगत व्यय 14.96 करोड़ रुपए (उपयुक्त प्रमाणपत्र नकद आधार के अनुसार) था । अतः, पचास प्रतिशत से अधिक के व्यय को केविविआ के स्वयं के संसाधन से पूरा किया गया था । व्यय का मुख्य भाग दर, किराया तथा कर (आरआरटी) उसके बाद वेतन पर खर्च हुआ था । नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित वर्ष 2007-08 के लिए आयोग के वार्षिक लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया ।

अधिनियम के अधीन पृथक निधि का उद्देश्य विनियामक आयोग को एक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है । इस उद्देश्य के आधार पर तथा वित्त के मामले में स्वयं दक्ष होने की दृटि से, आयोग ने अपनी अधिकारिता के अधीन उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दी जाने वाली फीसों को पुनरीक्षित किया ।

11 - आयोग का मानव संसाधन

अधिनियम के अधीन आयोग के बहुत व्यापक दायित्व हैं । आयोग के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की कार्यकुशलता, इंजीनियरिंग, आर्थिक, वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, विधि, पर्यावरण, सूचना प्रबंधन प्रणाली और अन्य संबद्ध कार्य-क्षेत्रों में समुचित विशेाज्ञता और अनुभव वाले इसके कर्मचारियों की दक्षता और कार्यात्मक विशेाज्ञता पर निर्भर करती है । आयोग के प्रमुख मानव संसाधन की सूची **उपाबंध - 11** तथा **उपाबंध - 12** में दी गई है । इसके अतिरिक्त, आयोग, सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध मानव संसाधन और उनकी व्यापक सुविज्ञता और अनुभव का भी उपयोग करना चाहता है । इन-हाउस कुशलता और अनुभव में संवृद्धि करने के लिए आयोग परामर्शदाओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए, इसने विनियम बनाए हैं । आयोग में कर्मचारिवृंद की स्थिति और वर्ा 2008-09 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारिवृन्द का ब्यौरा नीचे सारणी -19 तथा 20 में दिया है ।

सारणी - 13

31 मार्च, 2009 को आयोग में स्वीकृत/भरे गए/रिक्त पद

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	
2.	प्रमुख	4	2	2
3.	संयुक्त प्रमुख	5	5	
4.	उप प्रमुख	13	5	8
5.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	1	-	1
6.	सहायक प्रमुख	16	9	7
7.	न्यायपीठ अधिकारी	2	1	1
8.	सहायक सचिव	2	1	1
9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	2	1	1
10.	प्रधान निजी सचिव	4	4	-
11.	निजी सचिव	5	5	-
12.	सहायक	6	6	
13.	वैयक्तिक सहायक	7	4	3
14.	आशुलिपिक	4	1	3
15.	स्वागती-सह-दूरभाष आपरेटर	1	1	-
16.	वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	2	-	2
17.	चपरासी	4	2	2
18.	ड्राइवर	4	4	-
	योग	**83**	**52**	**31**

• वर्ष 2008-09 के दौरान भर्ती की प्रास्थिति

सारणी 14. 2008-09 के दौरान भर्ती

क्रम सं.	पद का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1.	सचिव	1
2.	संयुक्त प्रमुख	1
3.	उप प्रमुख	1
4.	सहायक प्रमुख	1
5.	निजी सचिव	1
6.	सहायक	2
7.	निजी सहायक	1
	कुल	**8**

उपाबंध

उपाबंध - 1

केविविआ के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति (1.4.2008 से 31.3.2009 तक)

सारणी 15

पिछले वर्ष (2007–08) की याचिकाएं	2008–09 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल याचिकाएं	निपटाई गई याचिकाएं	31.03.2009 को निपटाई गई याचिकाएं
149	196	345	190	155

सारणी 16. 2008–09 के दौरान निपटाई गई याचिकाओं की ब्योरें

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
1.	129/2005	2.11.05	स्व-प्रेरणा	फाइलिंग फीस तथा समाचार-पत्रों में सूचनाओं के प्रकाशन पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति	11 सितम्बर, 08
2.	143/2005	16.11.05	पीजीसी आईएल	1.4.2004 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार स्कीम (यूएलडीसी) के लिए टैरिफ तथा 2001 से 2004 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण	27 जनवरी, 09
3.	147/2005	22.11.05	पीजीसी आईएल	1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार (स्कीम यूएलडीसी) के टैरिफ तथा 2003-04 से 2004-05 के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का अनुमोदन	3 फरवरी, 09
4.	152/2005	15.12.05	पीजीसी आईएल	वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन	10 दिसम्बर, 08
5.	159/2005	23.12.05	पीजीसी आईएल	वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन	1 सितंबर, 08
6.	162/2005	27.12.05	पीजीसी आईएल	वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन	20 अक्तूबर, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
7.	16/2006	20.03.06	ग्रिडको	अक्तूबर 1998 मास के लिए फायदाग्राहियों के बीच एनटीपीसी के तीन स्टेशनों के क्षमता प्रभारों के विभाजन से संबंधित विवाद	30 सितंबर, 08
8.	32/2006	12.05.06	एनटीपीसी	1.1.2000 से 30.06.2001 तक की अवधि के दौरान प्रदाय की गई ऊर्जा प्रभारों की वसूली - विवादों का न्यायनिर्णयन	31 जुलाई, 08
9.	87/2006	30.8.06	पीजीसी आईएल	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कैथलगुड़ी गैस आधारित संयुक्त साइकल परियोजना से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	16 अप्रैल, 08
10.	118/2006	12.10.06	पीजीसी आईएल	वर्ष 2004-05 के लिए पूर्वी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन	28 मई, 09
11.	133/2006	12.10.06	पीजीसी आईएल	याचिका सं. 139/2005 में तारीख 9.5.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.4.2004 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र तथा संचार (यूएलडीसी) स्कीम के लिए टैरिफ तथा 2001-04 के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का अनुमोदन	11 अप्रैल, 08
12.	142/2006	30.11.06	स्वःप्रेरणा	विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार	18 दिसम्बर, 08
13.	151/2006	4.12.06	एचएसईबी	केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 के विनियम 12 तथा 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	2 जनवरी 09
14.	09/2007	5.2.07	एनटीपीसी	याचिका सं. 163/2004 में तारीख 30.11.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए टांडा थर्मल पावर स्टेशन के लिए टैरिफ का अवधारण	15 दिसम्बर, 08
15.	11/2007	5.2.07	पीजीसी आईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र तथा संचार (यूएलडीसी) स्कीम के लिए अंतिम टैरिफ का अवधारण	7 नवम्बर, 08
16.	13/2007	5.2.07	एनटीपीसी	राज्य सरकारों, संघ सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार के उपबंधों के	18 जून, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				अनुसार प्रत्यय पत्र को खोलने तथा रखरखाव में त्रुटि की दशा में फायदाग्राहियों को ऊर्जा प्रदाय, जिसे "ऊर्जा प्रदाय के जेनरिक प्रक्रिया विनियम" के अधीन जारी समझा गया है, का विनियमन अनुज्ञात करने के लिए याचिका	
17.	23/2007	28.2.07	एनटीपीसी	फरीदाबाद गैस ऊर्जा स्टेशन के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव का अवधारण	12 नवम्बर, 08
18.	24/2007	1.3.07	एनबीवीएल	"ओपीसीटीएल से असहमति" के आधार पर नवभारत वैंचर लि. से पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र तथा उड़ीसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से 27 मेगावाट ऊर्जा के पारेषण के लिए टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. द्वारा फाइल किए गए निर्बाध पहुंच आवेदन पर पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र द्वारा 25.1.2007 के इंकार सं. 131	27 अगस्त, 08
19.	27/2007	6.3.07	एनटीपीसी	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-I (840 मेगावाट) के लिए वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित - नियत प्रभारों का अनुमोदन	29 सितंबर, 08
20.	28/2007	6.3.07	एनटीपीसी	सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-I (1000 मेगावाट) के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	18 जून, 08
21.	31/2007	8.3.07	पीजीसी आईएल	पूर्वी क्षेत्र में बिहार ग्रिड सुदृढ़ीकरण स्कीम के अधीन 400/220 केवी के साथ बिहार शरीफ सब-स्टेशन के विस्तारण के सिवाय, बिहार-शरीफ ग्रिड सुदृढ़ीकरण स्कीम के अधीन सभी अन्य आस्तियों, 1.11.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि से सहबद्ध बेजों के साथ 1 से 315 एमवीए ट्रांसफार्मर के अंतिम पारेषण टैरिफ, (ii) 1.4.2004 से 31.3.2009 तक सहबद्ध बेजों के साथ 400/220 केवी, 1 सं. 315 एमवीए	23 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
22.	32/2007	15.3.07	एनटीपीसी	ट्रांसफार्मर के विस्तारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए अंतिम टैरिफ का अवधारण फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन (1600 मेगावाट) के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	22 जुलाई, 08
23.	34/2007	19.3.07	एनटीपीसी	नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन, दादरी (840 मेगावाट) के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	24 नवम्बर, 08
24.	39/2007	26.3.07	पीजीसी आईएल	दक्षिणी क्षेत्र में ब्लॉक 1992-1997 के लिए विभिन्न टैरिफ अधिसूचनाओं के माध्यम से विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 43-क (2) के अधीन भारत सरकार द्वारा टैरिफ नियतन के परिणामस्वरूप आने वाले ईक्विटी डिप्लिशन का प्रतिस्थापन	5 मई, 08
25.	40/2007	26.3.07	पीजीसी आईएल	उत्तरी क्षेत्र में ब्लॉक 1992-1997 के लिए विभिन्न टैरिफ अधिसूचनाओं के माध्यम से विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 43-क (2) के अधीन भारत सरकार द्वारा टैरिफ नियतन के परिणामस्वरूप आने वाले ईक्विटी डिप्लिशन का प्रतिस्थापन	5 मई, 08
26.	41/2007	26.3.07	एनटीपीसी	पूर्वी क्षेत्र में ब्लॉक 1992-1997 के लिए विभिन्न टैरिफ अधिसूचनाओं के माध्यम से विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 43-क (2) के अधीन भारत सरकार द्वारा टैरिफ नियतन के परिणामस्वरूप आने वाले ईक्विटी डिप्लिशन का प्रतिस्थापन	5 मई, 08
27.	42/2007	26.3.07	पीजीसी	पश्चिमी क्षेत्र में ब्लॉक 1992-1997 के लिए विभिन्न टैरिफ अधिसूचनाओं के माध्यम से विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 43-क (2) के अधीन भारत सरकार द्वारा टैरिफ नियतन के	5 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				परिणामस्वरूप आने वाले ईक्विटी डिप्लिशन का प्रतिस्थापन	
28.	46/2007	1.04.07	एनटीपीसी	सिंगरौली सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	20 नवम्बर, 08
29.	47/2007	1.4.07	एनटीपीसी	टांडा थर्मल पॉवर स्टेशन (440 मेगावाट) के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	23 जनवरी, 09
30.	48/2007	1.4.07	एनटीपीसी	कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन (2100 मेगावाट) के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	20 नवम्बर, 08
31.	52/2007	4.4.07	पीजीसी आईएल	फरीदाबाद अवस्थित फरीदाबाद गैस पावर परियोजना (जीपीपी) के सहबद्ध स्विच यार्ड के स्वामित्व के अंतरण के अनुमोदन के लिए आवेदन	18 जून, 08
32.	53/2007	4.4.07	पीजीसी आईएल	एनटीपीसी के कायमकुलम स्थित राजीव गांधी संयुक्त साइकल पावर परियोजना (आरजीसीसीपीपी) से सहबद्ध स्विच यार्ड के स्वामित्व के अंतरण के अनुमोदन के लिए आवेदन	17 जून, 08
33.	55/2007	9.4.07	एएसईबी	याचिका सं. 65/2006 में तारीख 20.01.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन असम गैस आधारित ऊर्जा परियोजना के लिए वर्ा 2003-04 हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए देय पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	26 मई, 09
34.	58/2007	19.4.07	एमआ ईडीसी	महाराट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	26 फरवरी, 09
35.	66/2007	7.5.07	एसजेवी एनएल	आई ए सं. 43/2006 के साथ याचिका सं. 184/2004 में तारीख 5.2.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन-तालाब के साथ नदी से चलने वाले	4 जून, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				स्टेशन के रूप में नाफ्था झाकरी एचपीएस की घोाणा तथा रेड अलर्ट अवधि (2004-05) तथा उच्च सिल्ट/क्षमता सूचकांक का अनुज्ञात किया जाना	
36.	72/2007	21.5.07	एनटीपीसी	याचिका सं. 91/2004 में तारीख 23.3.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए तलचर थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ का अवधारण	5 सितंबर, 08
37.	78/2007	1.6.07	वीवीएल	वंदना विद्युत लि., रायपुर द्वारा विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	3 अप्रैल, 08
38.	84/2007	22.6.07	एनटीपीसी	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II के टैरिफ का अनुमोदन	10 जुलाई, 08
39.	86/2007	3.7.07	एमपीपी टीसीएल	याचिका सं. 120/2005 में तारीख 23.11.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन - 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए कहलगांव एसटीपीएस के टैरिफ का अवधारण	21 मई, 08
40.	87/2007	6.7.07	पीजीसी आईएल	यूपीपीसीएल के अधीन मोदीपुरम स्थित उप-भार प्रेषण केन्द्र के लिए अंतिम प्रभारों का अवधारण	18 मार्च, 09
41.	89/2007	11.7.07	निपको	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के रंगानदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (3 x 25 मेगावाट) से ऊर्जा की बाबत टैरिफ का नियतन	30 अप्रैल, 08
42.	97/2007	31.7.07	पीजीसी आईएल	पूर्वी क्षेत्र (ताला सप्लीमेंट्री स्कीम) के लिए सुदृढ़ स्कीम के अधीन 1.10.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए सिलीगुड़ी स्थित आईसीटी 315 एमवीए, 400/200 केबी तथा 1.11.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए 400 केबी बिहार शरीफ मुजफ्फरपुर लाइन, बिहार शरीफ 400 केबी विस्तारण तथा मुजफ्फरपुर 400 केबी विस्तारण के अंतिम पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	6 मई, 08
43.	103/2007	10.8.07	पीजीसी आईएल	1.4.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक की क्षमता	19 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				के संवर्धन के साथ सहबद्ध (i) जयपोर स्थिति मेरामुंडली-जयपोर 400 केवी एसीसी पारेषण लाइन संबंधी 40% सीरीज प्रतिकर (ii) जयपोर स्थित (पू.क्षे. तथा द.क्षे. के बीच अंतर-राज्यिक स्कीम) 400 केबी जयपोर-गजुवाका डी/सी पारेषण लाइन संबंधी 50% फिक्सिड़ सीरीज कंपसेशन के अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण करने के लिए याचिका	
44.	107/2007	31.8.07	एमपीपी टीसीएल	एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को रिहंद तथा मटियाला हाइडेल पावर स्टेशन से एमपीएसइबी को ऊर्जा के एमपी के शेयर को प्रतिधारित करने के कारण प्रतिकर रकम के संदाय के लिए यूपी पावर कारपोरेशन को निदेश तथा रिहंद तथा मटियाला हाइडेल पावर स्टेशन से ऊर्जा के लिए एमपी के शेयर का आरंभ किया जाना	12 नवंबर, 08
45.	112/2007	14.9.07	आईपी टीपीएल	इंद्रजीत पावर टेक्नोलाजी प्रा. लि. द्वारा अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	16 मई, 08
46.	118/2007	21.9.07	एनएलसी	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए एनएलसी टीपीएस-II प्रक्रम- 1 (630 मेगावाट) तथा प्रक्रम-II (840 मेगावाट) के लिए टैरिफ के नियतन के लिए याचिका	4 जून, 08
47.	123/2007	5.10.07	पीजीसी आईएल	1.9.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में कैयगा-नरेन्द्र पारेषण प्रणाली के साथ सहबद्ध नरेन्द्र सब-स्टेशन पर दूसरे 315 एमबीए आटो ट्रांसफार्मर के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ तथा 1.4.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में नरेन्द्र स्थित 400 केवी डी/सी कैपगा-नरेन्द्र पारेषण लाइन तथा 400/220 केबी सब-स्टेशन के लिए 2006-07 (दूसरा अतिरिक्त पूंजीकरण) के दौरान अतिरिक्त पूंजी व्यय के लिए पारेषण टैरिफ	30 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
48.	125/2007	8.10.07	एनएलसी	2004-05 से 2006-07 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव तथा एनएलसी टीपीएस-1 (600 मेगावाट) के लिए ऊर्जा प्रभारों तथा क्षमता प्रभारों पर आधारित 2004-09 अवधि के लिए वार्षिक-वार लिग्नाइट कीमत के प्रभाव पर विचार करते हुए पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	17 नवंबर, 08
49.	126/2007	15.10.07	एनएलसी	एनएलसी टीपीएस-1 (600 मेगावाट) के लिए वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव तथा ऊर्जा प्रभारों तथा क्षमता प्रभारों पर अवधारित 2004-09 की अवधि के लिए वर्षवार लिग्नाइट के प्रभाव पर विचार करते हुए पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	28 मई, 08
50.	132/2007	1.11.07	स्वः-प्रेरणा	निकासी अनुसूची से अधिक ऊर्जा की निकासी के लिए अननुसूचित अंतर-विनिमय प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम ।	10 दिसंबर, 08
51.	133/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	वर्ष 2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र (ताला अनुपूरक स्कीम के पूर्ण भाग) में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम के लिए डीओसीओ से 31.3.2007 तक अंतिम पारेषण टैरिफ तथा अतिरिक्त पूंजीकरण का अवधारण	19 मई, 08
52.	134/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-। के अधीन 400 केवी डी/सी कानपुर-औरेया के लिए डीओसीओ से 31.3.2007 तक अंतिम पारेषण टैरिफ तथा अतिरिक्त पूंजीकरण का अवधारण	30 अप्रैल, 08
53.	135/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004-09 के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-।। के अधीन सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी डी/सी आगरा-बासी पारेषण लाइन (सीकेटी ।।। तथा ।।) के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	23 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
54.	136/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	1.10.2005 से कमीशंड पूर्वी क्षेत्र में ताला-सिलीगुड़ी (1.10.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए) तथा 1.5.2006 से कमीशंड शेष पारेषण प्रणाली (1.5.2006 से 31.3.2009) के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	23 मई, 08
55.	137/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	1.5.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में इंद्रावती स्विचयार्ड पर दूसरे 315 (3 x 105 एमपीए), 400/220 केबी ट्रांसफार्मर के अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	29 अगस्त, 08
56.	138/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	2004-09 तक की अवधि के लिए दुलहस्ती संयुक्त पारेषण प्रणाली के अधीन किशनपुर तथा वगूरा सब-स्टेशन पर सहबद्ध बेजों के साथ (i) 400 केवीएस/सी दुलहस्ती किशनपुर पारेषण लाइन से सहबद्ध बेजों (ii) 400 केवी किशनपुर वगूरा पारेषण लाइन के लिए डीओसीओ तक पारेाण टैरिफ तथा 1.4.2007 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का अवधारण ।	1 दिसंबर, 08
57.	141/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक ताला एचईपी से सहबद्ध, पूर्वी-उत्तरी अंतर-संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली के लिए (1) 400 केवी सिलीगुड़ी सब-स्टेशन (विस्तारण) (सुसंगत भाग), 400 केवी पूणिया सब-स्टेशन (विस्तारण) (सुसंगत भाग) (पूर्णिया सब-स्टेशन पर 400/220 केबी, 315 एमबीए आईसीटी को छोड़कर), 40% नियत सीरीज कंपनसेसन (एफएससी) तथा 5% से 15% तक थाइ रिस्टर नियंत्रित सीरीज कंपनसेशन (टीसीएससी) पूर्णिया पर पूर्णिया-मुजफ्फरपुर (ii) पूर्णिया सब-स्टेशन पर 400/220 केबी, 315 एमबीए आईसीटी (डीओसी 1.6.2006) 400 केबी डी/सी लाइन के प्रत्येक सीकेटी पर (वा.प्र.ता. 1.6.2006), (iii) 400/220 केबी	23 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				मुजफ्फरपुर सब-स्टेशन (नया) (मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन तथा मुजफ्फरपुर सब-स्टेशन पर आईसीटी-II के लिए, 2, 400 केबी-बेज मुजफ्फरपुर लाइन के साथ), तथा मुजफ्फरपुर सब-स्टेशन (डीओसी 1.6.2007) स्थित 400/220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी-II के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	
58.	143/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिण क्षेत्र ग्रिड के प्रणाली सुदृढ़ीकरण-IV के अधीन सहबद्ध बेज, जिसमें 2006-07 के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण भी है, के साथ (क) सहबद्ध बेजों के साथ महबूबनगर (1.1.2006 से 31.3.2009 तक) पर नागार्जुन-रायचूर 400 केवी एस/सी लाइन का लिलो और (ख) अलमाडू स्थित निलौर सिरी पेरम्बुदूर के दोनों सर्किट के लिलो के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	12 मई, 08
59.	144/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004-09 के लिए ताला एचईपी, पूर्वी-उत्तर अंतर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन (i) 400 केवी बरेली सब-स्टेशन (यूपीपीसीएल) (विस्तारण), पावर लिंक की 400 केवी मंडोला-बरेली लाइन से सहबद्ध (ii) दोनों के अंत पर सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी डी/सी लखनऊ (पावर ग्रिड) उन्नाव, गोरखपुर स्थित दूसरा 400 केवी बेज (पावर ग्रिड), तथा पावर लिंक की 400 केवी डी/सी गोरखपुर-लखनऊ लाइन के लिए लखनऊ स्थित दूसरे 400 केवी बेज (पावर ग्रिड), सहबद्ध बेजों के साथ लखनऊ स्थित 400/ 220 केवी 315 एमवीए आईसीटी तथा गोरखपुर स्थित 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी-I के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक अंतिम पारेाण टैरिफ तथा अतिरिक्त पूंजीकरण से डीओसीओ तक का अवधारण	23 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
60.	145/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	पूर्वी क्षेत्र में (1.5.2006 से 31.3.2009 तक) भद्रावती-चंदरपुर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन जिसमें भद्रावती (पावरग्रिड) स्विचिंग स्टेशन (विस्तारण) तथा चन्द्रपुर (एमएसईबी) स्विचयार्ड (विस्तारण) के लिए अंतिम टैरिफ का अवधारण	28 मई, 08
61.	146/2007	1.11.07	पीजीसी आईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004-09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में टिहरी पारेषण प्रणाली के अधीन (i) मेरठ सब-स्टेशन पर सहबद्ध बेजों के साथ आईसीटी-I। (ii) सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी टिहरी-मेरठ सीकेटी- I, (iii) सहबद्ध बेजों के साथ 800 केवी टिहरी-मेरठ सीकेटी-II तथा 400 केवी एस/सी मेरठ मुजफ्फरपुरनगर पारेषण लाइन और (iv) एकल 400 केवी और 220 केवी वेज के साथ मुजफ्फरपुरनगर पर आईसीटी के लिए डीओसीओ तक अंतिम पारेषण टैरिफ तथा डीओसीओ से 31.3.2007 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का अवधारण	21 अगस्त, 08
62.	147/2007	2.11.07	पावर लिंक्स	1.9.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए ताला हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना पूर्वी-उत्तर अंतर-संयोजक तथा उत्तरी पारेषण प्रणाली से सहबद्ध पूर्वी-उत्तरी अंतर-संयोजक में 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर-गोरखपुर पारेषण टैरिफ के अंतिम टैरिफ का अनुमोदन	28 अप्रैल, 08
63.	148/2007	2.11.07	पॉवर लिंक्स	1.9.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए ताला हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, पूर्वी-उत्तर अंतर-संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी सिलीगुड़ी-पूर्णिया पारेषण लाइन, 400 केवी डी/सी पूर्णिया-मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) पारेाण लाइन के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	30 अप्रैल, 08
64.	149/2007	2.11.07	पॉवर लिंक्स	1.8.2006 से 31.3.2009 तथा 1.5.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए ताला हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर, पूर्वी-उत्तर अंतर-संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से सहबद्ध 400 केवी	30 अप्रैल, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				डी/सी गोरखपुर-लखनऊ पारेषण लाइन तथा 400 केवी डी/सी बरेली मंडोला लाइन के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	
65.	151/2007	8.11.07	पीजीसी आईएल	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 2005-06 वर्ा के लिए पारेषण लाइन के देखरेख के लिए बोगई गांव सब-स्टेशन पर विशेष सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) तथा त्रिपुरा राज्य राइफल्स के नियोजना हेतु अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2004 "कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति तथा शिथिल करने की शक्ति" के अधीन आवेदन	28 मई, 08
66.	152/2007	15.11.07	एफएसीओ	आफ पीक घंटों के दौरान एनटीपीसी की ऊर्जा की निकासी की बाबत नवम्बर, 1998 की अवधि के लिए ग्रिडको के ऊर्जा बिल को चुनौती देने के लिए आवेदन	30 सितंबर, 08
67.	153/2007	15.11.07	टीसीएल	आफ पीक घंटों के दौरान एनटीपीसी की ऊर्जा की निकासी की बाबत नवम्बर, 1998 की अवधि के लिए ग्रिडको के ऊर्जा बिल को चुनौती देने के लिए आवेदन	30 सितंबर, 08
68.	155/2007	16.11.07	एनटीपीसी	1.12.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (1000 मेगावाट) के अंतिम टैरिफ का अनुमोदन	31 जुलाई, 08
69.	157/2007	27.11.07	ईपीटी सीएल	इस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	10 अप्रैल, 08
70.	159/2007	0	एसएल डीसी	49.0 एचज्येड से ऊपर ग्रिड फ्रिक्वेंसी को बनाए रखकर दक्षिण क्षेत्र ग्रिड के सुनिश्चित तथा विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करना तथा यूआई कीमत विक्टर का पुनर्विलोकन	9 जून, 08
71.	160/2007	11.12.07	पीजीसी आईएल	पूर्वी क्षेत्र में (ताला अनुपूरक स्कीम का पूर्व भाग) पूर्वी क्षेत्र के लिए सुदृढ़ीकरण स्कीम के अधीन (i) सुभाषग्राम स्थित 400 केवी डी/सी फरक्का जिरत लाइन का एक सर्किट का लिलो तथा सुभाग्राम स्थित 440/220 केवी सब-स्टेशन की स्थापना जिसमें	1 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				1 x 315 एमबीए भी है (ii) 1.4.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए सुभाषग्राम सब-स्टेशन (नया) स्थित 315 एमबीए, 400/220 केवी, आईसीटी-I के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	
72.	164/2007	13.12.07	टीएनईबी	याचिका सं. 140/2005 में तारीख 15.10.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन-25.3.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-II की बाबत उत्पादन टैरिफ का अवधारण	26 मई, 08
73.	168/2007	26.12.07	पॉवरलिंक्स	ताला हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर, पूर्वी-उत्तर अंतर-संयोजक तथा उत्तर-पूर्वी पारेषण प्रणाली से सहबद्ध 400 केवी डी/सी सिलीगुड़ी-पूर्णिया पारेषण लाइन, 400 केवी डी/सी पूर्णिया-मुजफ्फरपुर पारेषण लाइन, 220 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) पारेषण लाइन तथा 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर-गोरखपुर (50%) पारेषण लाइन की बाबत 2006-07 के लिए प्रोत्साहन हेतु याचिका	8 जुलाई, 08
74.	169/2007	26.12.07	पॉवरलिंक्स	ताला हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर, पूर्वी उत्तर अंतर-संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से सहबद्ध 400 केवी डी/सी गोरखपुर-लखनऊ पारेषण लाइन, 400 केवी डी/सी बरेली-मंडोला लाइन तथा 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर-गोरखपुर पारेषण लाइन (50%) अंश पारेषण लाइन की बाबत 2006-07 के लिए उपलब्धता आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन	8 जुलाई, 08
75.	01/2008	28.12.09	एमएम पीटीसीएल	याचिका सं. 56/2007 में तारीख 30.10.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन - नर्मदा हाइड्रो इलैक्ट्रिक डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि. की औंकारेश्वर इलैक्ट्रिक परियोजना के अनंतिम उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	9 जून, 08
76.	3/2008	31.12.07	जेईएल	विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	14 अक्तूबर, 08
77.	4/2008	8.1.08	जीईएल	अन-नुसूचित विनियम (यूआई) के रूप में दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड में ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत	28 अप्रैल, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				को काल्पनिक रूप से इंजेक्ट करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन	
78.	5/2008	18.1.08	बीपीसीपीएल	बेसेस प्वाइंट कामोडिटीज प्रा. लि. को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	7 सितंबर, 08
79.	8/2008	23.1.08	एमएसईपीटीसीपीएल	महाराष्ट्र राज्य इलैक्ट्रिक पावर ट्रेडिंग कंपनी (प्रा.) लि. को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	17 जून, 08
80.	10/2008	30.1.08	एनबीएल	आंध्र प्रदेश में वितरण उपयोगिताओं को मैसर्स रिलायंस इनर्जी ट्रेडिंग लि. के माध्यम से नवभारत बैंचर लि. द्वारा उत्पादित ऊर्जा के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए निर्बाध पहुंच	5 मई, 08
81.	11/2008	30.1.08	स्व-प्रेरणा	एसएलडीसी-ओपीटीसीएल से सहमति की अप्राप्ति के आधार पर दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्बाध पहुंच के अननुमोदन से उद्भूत याचिका सं. 156/2007 में तारीख 31.12.2007 के आदेश का उल्लंघन	5 मई, 08
82.	12/2008	31.1.08	स्वः-प्रेरणा	निकासी अनुसूची से अधिक ऊर्जा लेने के लिए अननुसूचित विनिमय (यूआई) के संदाय में व्यतिक्रम	10 सितंबर, 08
83.	13/2008	31.1.08	आईपीटीएल	इंडिया बुल्स पावर ट्रेडिंग लिमिटेड गुड़गांव को विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन	12 सितंबर, 08
84.	14/2008	4.2.08	सीईटीसीपीएल	छत्तीसगढ़ इनर्जी ट्रेडिंग कं. (प्रा.) लि., नई दिल्ली को विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन	16 सितंबर, 08
85.	15/2008	4.2.08	बीटीएसएल	बाला टैक्नो सिंथेटिक लि. को विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन	28 अप्रैल, 08
86.	16/2008	8.2.08	आईपीजीएल	इंडियाबुल्स पावर जनरेशन लि., गुड़गांव को विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन	12 सितंबर, 08
87.	17/2008	11.12.08	एनटीपीसी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 को संशोधित करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने हेतु याचिका अर्थात	23 जून, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				अनुसूचित उत्पादन से अधिक उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा प्राप्य यू आई हेतु यूआई दर पर कैप लगाना ।	
88.	18/2008	21.2.08	टीपीटी सीएल	समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 के अधीन अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन	10 अप्रैल, 08
89.	19/2008	21.12.08	अदानी	विद्युत के व्यापार प्रचालन से उद्भूत काफी लंबे समय से बकाया देयों के असंदाय तथा एएसईबी द्वारा अग्रिम धन जमा के अति प्रदाय के कारण विवाद का न्यायनिर्णयन ।	28 जुलाई, 08
90.	20/2008	22.2.08	एसजेवा एनएल	1.4.2004 से 31.3.2007 तक नाफ्था झाकरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन के अंतिम उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	31 दिसंबर, 08
91.	21/2008	25.2.08	पीएक्सआईएल	पावर एक्सचेंज स्थापित करने तथा प्रचालन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन	27 मई, 08
92.	22/2008	27.2.08	एनएचपीसी	याचिका सं. 107/2006 में तारीख 13.12.2007 के आदेश का तारीख पुनर्विलोकन-1.10.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए धौली गंगा एचई परियोजाना के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	28 जुलाई, 08
93.	23/2008	29.2.08	पीजीसी आईएल	1.11.2007 तथा 1.12.2007 से 31.3.2008 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र के सिपत-I जोखिम प्रणाली के अधीन 765 केवी सिपत-सियोनी सीकेटी-I, 765/400 केवी आईसीटी-I सियोनी (सब-स्टेशन) तथा 220 केवी लाइन बेज के साथ सियोनी सब-स्टेशन स्थित 400 केवी भिलाई-सतपुरा लाइन तथा 400/220 केवी आईसीटी के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	30 अप्रैल, 08
94.	24/2008	29.2.08	एनटीपीसी	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (500 मेगावाट) के लिए 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव का अवधारण	24 नवंबर, 08
95.	26/2008	4.3.08	केएसईबी	याचिका सं. 22/1999 में तारीख 7.1.2008 के आदेश का पुनर्विलोकन-1.1.1999 से 31.3.2004	23 जून, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				की अवधि के लिए कायमकुलम संयुक्त साइकल पावर परियोजना के टैरिफ का अवधारण	
96.	28/2008	4.3.08	डब्ल्यूआरटी (जी)पीएल	वेस्टर्न रिजन ट्रांसमिशन (गुजरात) प्रा.लि. को वेस्टर्न रिजन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग स्कीम-II (डब्ल्यू आर एसएसएस-II) परियोजना-सी के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	30 दिसंबर, 08
97.	29/2008	5.3.08	एएलपीएल	आधुनिक एलायज एंड पावर लिमिटेड का विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	26 जून, 08
98.	30/2008	12.3.08	पीजीसी आईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में रामागुंडम स्टेज-III पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध बेजों तथा उपस्कर के साथ 400 केवी रामागुंडम हैदराबाद डी/सी लाइन, डीओडीओ से 31.3.2007, 1.4.2004 से 31.3.2005 तक की अवधि के लिए 400 केवी एस/सी हैदराबाद करनूल-गुटी पारेषण लाइन, 400 केवी एस/सी खम्मल-नागार्जुनसागर लाइन तथा 400 केवी एस/सी गुटी-नीलमंगला पारेषण लाइन के लिए डीओसीओ से 31.3.2006 तक अतिरिक्त पूंजीकरण के पारेषण टैरिफ का अवधारण	23 जुलाई, 08
99.	31/2008	12.3.08	एनटीपीसी	तलचर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-I (460 मेगावाट) के नियत प्रभारों पर 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव का आकलन	3 फरवरी, 09
100.	32/2008	12.3.08	पीकेटी सीएल	पार्वती-II एचईपी तथा कोलडम एचईपी से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पार्वती कोलडम पारेषण लाइन को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	15 सितंबर, 08
101.	34/2008	17.3.08	पीजीसी आईएल	मडिकटरि (त्रिशूर-केएसईबी) के लिए पावर ग्रिड के थिरूवनंतपुरम सब-स्टेशन पर संस्थापित की जाने वाली कुदमकुलम सहबद्ध पारेषण प्रणाली से सहबद्ध 315 एमवीए ट्रांसफार्मर्स के स्थानांतरण का अनुमोदन	15 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
102.	35/2008	17.3.08	पीजीसी आईएल	1.12.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र की सिपत-II पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध बेज उपस्कर, जिसमें भरतपारा सब-स्टेशन का आईसीटी-I भी है, के साथ बीरपारा सब-स्टेशन स्थित 400 केवी एस/सी कोरबा-रायपुर पारेषण लाइन के लिलो के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	16 मई, 08
103.	36/2008	17.3.08	पीजीसी आईएल	पूर्वी क्षेत्र में रांची सब-स्टेशन स्थित झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के साथ 200 केवी अंतर-संयोजन से सहबद्ध 1.6.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए रांची सब-स्टेशन स्थित पत्रायुहरिया चंदिल 220 केवी डी/सी पारेषण लाइन के 1 सीकेटी के लिलो, 10.9.2007 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए रांची सब-स्टेशन स्थित पत्रायुहरिया-चंदिल 220 केवी डी/सी पारेषण लाइन के दूसरे सीकेटी के लिलो के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	21 मई, 08
104.	37/2008	17.3.08	एसएल डीसी	याचिका सं. 156/2007 में तारीख 31.12.2007 के आदेश का पुनर्विलोकन - आंध्र प्रदेश में वितरण उपयोगिताओं को रिलायंस इनर्जी ट्रेडिंग लि. के माध्यम से नवभारत वैंचर लि. द्वारा उत्पादित ऊर्जा के एसएमडीसी - ओपीटीसीएल से सहमति की अप्राप्ति के आधार पर दक्षिण प्रादेशिक भार प्रेषण द्वारा संसूचित निर्बाध पहुंच का अननुमोदन	5 मई, 08
105.	38/2008	18.3.08	पीजीसी आईएल	विद्युत अपील प्राधिकरण की अपील सं. 98/2007 में तारीख 4.1.2008 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, 1.2.2000 से 31.3.2007 तक की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 35 पैसा प्रति केडब्ल्यूएच की दर पर यूसीपीटीटी के प्रमाणन के लिए याचिका	30 सितंबर, 08
106.	39/2008	19.3.08	एनटीपीसी	याचिका सं. 179/2004 में तारीख 31.1.2008 के आदेश का पुनर्विलोकन -1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए तलचर एसटीपीएस स्टेज-II (2000 मेगावाट) की बाबत टैरिफ का अनुमोदन	21 मई, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
107.	40/2008	19.3.08	पीजीसी	1.4.2005 से 31.3.2009 तक गजुवाका एचवीडीसी बैक टू बैक के क्षमता के संवर्धन के अंतर्गत विजयवाड़ा गजुवाका (दक्षिण क्षेत्र) पर बे-विस्तारण तथा उपस्कर के साथ 500 मेगावाट एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन (पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र की प्रादेशिक आस्ति) तथा 400 केवी डी/सी विजयवाड़ा गजुवाका पारेषण लाइन के लिए 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	28 अगस्त, 08
108.	41/2008	26.3.08	जेपीएल	अननुसूचित अंतर विनिमय के अंतर्गत पश्चिमी ग्रिड में ऊर्जा की बिक्री के लिए याचिका	27 मई, 08
109.	42/2008	31.3.08	पीजीसी आईएल	1.5.2006 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सिपत स्थित 400 केवी एस/सी कोरबा (एसटीपीएस) रायपुर (एमपीएसबी) के लिलो के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	23 जनवरी, 09
110.	43/2008	31.3.08	पीजीसी	2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में पहलगांव स्टेज-II, फेज-I पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी डी/सी बिहार-शरीफ-बलिया पारेषण लाइन सीकेटी-I के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	16 मई, 08
111.	44/2008	31.3.08	पीजीसी आईएल	डीओसीओ से रायबरेली स्थित सहबद्ध बेजों के साथ 220 केवी एस/सी ऊंचाहार-रायबरेली पारेषण लाइन, रायबरेली स्थित 220 केवी डी/सी ऊंचाहार लखनऊ पारेषण लाइन के लिलो तथा सहबद्ध बेजों के साथ रायबरेली स्थित 100 एमपीए 220/132 केवी आईसीटी-III तथा (ii) 1.11.2007 से सहबद्ध बेजों के साथ रायबरेली सब-स्टेशन स्थित 100 एमवीए, 220/132 केवी आईसीटी के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	16 मई, 08
112.	45/2008	31.3.08	पीजीसी आईएल	1.10.2006, 1.12.2006, 1.11.2006 तथा 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विंध्यांचल स्टैज-III पारेषण प्रणाली के अधीन 3 तथा 4 सीकेटी, 400 केवी डी/सी विंध्यांचल सतना	17 सितंबर, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				पारेषण लाइन तथा 1 x 315 एमवीए के साथ 400/220 केवी सतना सब-स्टेशन (विस्तारण) के लिए अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	
113.	46/2008	7.4.08	एपी ट्रांसको	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए सिम्हाद्री टीपीएस (1000 मेगावाट) की बाबत उत्पादन टैरिफ के अवधारण से संबंधित याचिका सं. 149/2004 में तारीख 22.9.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन-एपी डिस्काम से एनटीपीसी (सिम्हाद्री टीपीएस) द्वारा दावा किए गए वर्ष 2003-04 के लिए 142.95 करोड़ रु. के एफईआरवी संघटक का पुनःअवधारण	10 जून, 08
114.	47/2008	8.4.08	टीएनईबी	1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए तलचर एसटीपीएस, स्टेज-II (2000 मेगावाट) के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण से संबंधित याचिका सं. 179/2004 के तारीख 31.3.2008 के आदेश का पुनर्विलोकन	29 मई, 08
115.	49/2008	10.4.08	बीएसईएस	उत्तर प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के संबधित उपयोगिताओं द्वारा यू आई प्रभारों का असंदाय	23 जून, 08
116.	50/2008	11.4.08	टीएनईबी	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-I तथा II (2100 मेगावाट) की बाबत, तय न किए गए बकाया दायित्व की पूंजीकरण पर संगृहीत तथा ऐसे अधिक पूंजीकरण की लगातार निकासी के संबंध में टैरिफ के प्रतिदाय के लिए याचिका	3 फरवरी, 09
117.	51/2008	11.4.08	पीजीसी आईएल	1.1.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तर क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-I के अधीन सहबद्ध बेजों के साथ लखनऊ (पावर ग्रिड) स्थित 400 केवी लखनऊ (यूपीपीसीएल) - सुल्तानपुर (यूपीपीसीएल) के लिलो के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	26 मई, 08
118.	52/2008	11.4.08	पीजीसी आईएल	2004-2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज-II फेज-II (2 x 500 मेगावाट) पारेाण प्रणाली के अधीन (i) रांची स्थित 80 एमवीएआर बस रिएक्टर तथा रांची स्थित दूसरी	17 जून, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				220 केवी लाइन बेज (ii) पटना सब-स्टेशन स्थित आईसीटी-I (iii) सहबद्ध बेजों के साथ रांची सब-स्टेशन स्थित 400/220 केवी आईसीटी-I तथा पटना सब-स्टेशन पर दूसरी लाइन बेज के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	
119.	53/2008	16.4.08	डीवीसी	2590 मेगावाट के मिझिया थर्मल जेनरेशन स्टेशन यूनिट सं. 5 के लिए अनंतिम टैरिफ का अवधारण	22 अगस्त, 08
120.	55/2008	23.4.08	स्वः-प्रेरणा	निकासी अनुसूची अधिक ऊर्जा की निकासी के लिए यूआई प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम	24 नवंबर, 08
121.	59/2008	29.4.08	एनटीपीसी	याचिका सं. 35/2004 में पुनर्विलोकन याचिका सं. 6/2007 में तारीख 4.3.2008 का पुनर्विलोकन/ स्पटीकरण/ उपांतरण-तलचर थर्मल स्टेशन (460 मेगावाट) की बाबत वर्ष 2000-04 के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	26 जून, 08
122.	60/2008	29.4.08	जीएफएल	केविविआ निर्बाध पहुंच विनियम, 2008 के अनुसार सहमति संबंधी आदेश पारित करने के लिए आरवीपीएनएल को निदेश देने के लिए याचिका	3 फरवरी, 09
123.	61/2008	29.4.08	पीजीसी आईएल	1.2.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में तिस्ता (स्टेज-V) एचईपी से सहबद्ध 400 केवी डी/सी तिस्ता (स्टेज-V) - सिलिगुड़ी पारेाण प्रणाली के फीडर-I के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	11 जून, 08
124.	62/2008	29.4.08	पीजीसी आईएल	पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड से नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को नवेली (टीपीएस-II) विस्तारण तथा नवेली टीपीएस-II स्विच यार्ड) के बीच 1 एकल सर्किट 400 केवी टाई लाइन के स्वामित्व के अंतरण के लिए पूर्व अनुमोदन चाहने के लिए याचिका	1 सितंबर, 08
125.	63/2008	1.5.08	पीजीसी आईएल	1.4.2005 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-II के अधीन हिरियूर सब-स्टेशन (जिसमें 315 एववीए ट्रांसफार्मर भी है), हिरियूर स्थित देवनगिरी - हूडी	1 सितंबर, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
126.	65/2008	5.5.08	आईएसएन आईसीपीएल	400 केवी डी/सी पारेषण लाइन का लिलो तथा कोलार-हसूर 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के दूसरे सर्किट के लिए कोलार तथा हसूर स्थित सब-स्टेशन पर अतिरिक्त बेज के लिए 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पारेषण टैरिफ का अवधारण आईएसएन इंटरनेशनल कंपनी लि. (2000 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना) की पूंजी लागत का सैद्धांतिक अनुमोदन	
127.	68/2008	27.5.08	पीजीसी आईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004-09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में रिहंद स्टेज-II पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध लाइन के साथ 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-I तथा II तथा कैथल सब-स्टेशन स्थित 220 केवी पारेषण लाइन बेज का 4 नंबर तथा (iii) अब्दुलापुर स्थित 220 केवी बेजों की 2 संख्या के अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	3 फरवरी, 09
128.	69/2008	27.5.08	पीजीसी आईएल	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वर्ा 2006-07 के लिए पारेषण लाइन की पेट्रोलिंग के लिए बोगई गांव सब-स्टेशन पर विशेा सुरक्षा बलों तथा त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के नियोजन हेतु अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2008 "कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति तथा शिथिल करने की शक्ति" के अधीन आवेदन	28 जुलाई, 08
129.	70/2008	4.6.08	पीजीसी आईएल	1.1.2008 तथा 1.2.2008 तथा 31.3.2009 तक की अवधि के लिए सिपत-I पारेषण प्रणाली का अधीन चालू नागदा तथा देहगम सब-स्टेशन पर सहबद्ध बेज उपकरण के साथ 400 केवी डी/सी नागदा-देहगम पारेषण लाइन के सीकेटी-II तथा सीकेटी-I के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	11 सितंबर, 08
130.	71/2008	20.6.08	आरईपीएल	रिगहिल्स इलैक्ट्रिक प्रा. लि, भोपाल को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	11 नवंबर, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
131.	73/2008	26.6.08	बीटी आईएल	याचिका सं. 15/2008 में तारीख 28.4.2008 के आदेश का पुनर्विलोकन - बाला टैक्नो सिंथेटिक लि. को अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	1 अगस्त, 08
132.	74/2008	26.6.08	पीजीसी आईएल	1.1.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज-II (फेज-I) पारेषण प्रणाली के अधीन पटना सब-स्टेशन पर सहबद्ध बेजों के साथ 315 एमवीए 400/220 केवी आई सी टी-II के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	18 सितंबर,
133.	75/2008	26.6.08	पीजीसी आईएल	कथैलगुडी पारेषण प्रणाली के अनुमोदित पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन के आधार पर पूर्व तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच बोगईगांव-माल्दा अंतर-प्रादेशिक लाइन के लिए 1.4.2000 से पारेषण टैरिफ का अवधारण करने के लिए आयोग का निदेश देने वाली याचिका अपील सं. 2007 का 106 में विद्युत अपील प्राधिकरण के निर्णय की दृटि से 2004-09 के लिए कैथलगुरी पारेाण प्रणाली के अधीन 400केवी डी/सी बोगईगांव-माल्दा पारेषण लाइन के टैरिफ का अवधारण करने हेतु प्रकीर्ण याचिका	15 मई, 09
134.	76/2008	1.7.08	डब्ल्यूआर एल डीसी	220 केवी उज्जैन-कोटा तथा उज्जैन मोडक लाइन के डोरमेंट अंतर-प्रादेशिक लिंक के पुर्नरूज्जीवन के लिए याचिका	
135.	78/2008	7.7.08	जीएमआर	विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	14 अक्तूबर, 08
136.	79/2008	8.7.08	केएसईबी	याचिका सं. 67/2003 (स्वः प्रेरणा) में तारीख 30.6.2009 के आदेश का पुनर्विलोकन - एबीटी परिधि के अधीन एनटीपीसी - कायमकुलम आजीसीसीपीपी स्टेशन को लाना	14 अगस्त, 08
137.	80/2008	8.7.08	पीजीसी आईएल	उत्तरी क्षेत्र में रिहंद पारेषण प्रणाली के अधीन 3 नम्बर आईसीटी के पूंजीकरण अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए 2004-09 की अवधि के लिए ऋण के पुनर्वित्तन के परिणामस्वरूप अपील सं. 139/2006 में विद्युत अपील अधिकरण के तारीख 13.6.2007 के निर्णय की दृष्टि से 2001-04 के	3 फरवरी, 09

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	
138.	81/2008	16.7.08	पीटीएल	ताला हाइड्रो इलैक्ट्रिक ऊर्जा, पूर्वी-उत्तर अंतर-संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से सहबद्ध 400 केवी डी/सी गोरखपुर-लखनऊ पारेषण लाइन, 400 केवी डी/सी बरेली-मंडोला लाइन तथा 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर गोरखपुर पारेाण लाइन (50%) शेयर पारेषण लाइन की बाबत वर्ष 2006-07 के लिए प्रोत्साहन का अनुमोदन	1 दिसम्बर, 08
139.	82/2008	16.7.08	पीटीएल	वर्ष 2006-07 के लिए उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली में ताला हाइड्रो इलैक्ट्रिक ऊर्जा, पूर्वी-उत्तर अंतर-संयोजक के साथ सहबद्ध 400 केवी डी/सी सिलीगुड़ी-पूर्णिया पारेषण लाइन, 400 केवी डी/सी पूर्णिया मुजफ्फरपुर-पारेषण लाइन, 220 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल)- मुजफ्फरपुर (पीएसईबी) पारेषण लाइन तथा 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर गोरखपुर (50%) की बाबत वर्ष 2006-07 के लिए प्रोत्साहन हेतु याचिका	1 दिसम्बर, 08
140.	83/2008	16.7.08	पीजीसी आईएल	पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2006-07 के लिए सलाकाटी तथा बोगईगांव के लिए विशेष सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के नियोजन हेतु अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए याचिका	10 दिसंबर, 08
141.	84/2008	16.7.08	पीजीसी आईएल	उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2006-07 के लिए बगूरा सब-स्टेशन पर विशेष सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के नियोजन हेतु अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए याचिका	10 दिसंबर, 08
142.	85/2008	18.7.08	आरपी जीसीएल	आरपीजी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता को अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु याचिका	23 सितंबर, 08
143.	86/2008	22.8.08	आईपी एसपीएल	श्याम इंडस पॉवर सोल्यूशन प्रा. लि. को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	11 नवंबर, 08
144.	87/2008	24.7.08	एनएलसी	1.1.2007 से अंतर-राज्यिक केंद्रीय उत्पादन स्टेशन एनएलसी टीपीएस-I में एबीटी का कार्यान्वयन-	11 फरवरी, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				1.1.2007 से 21.1.2007 तक की अवधि के लिए प्रसंस्करण साफ्टवेयर के सही पाठ को स्वीकार करने हेतु निदेश देने के लिए	
145.	89/2008	28.9.08	एसआर एलडीसी	49.0 एचजेड से उपरोक्त ग्रिड फ्रिक्वेंसी को बनाए रखकर दक्षिणी प्रादेशिक ग्रिड के सुरक्षित तथा विश्वसनीय प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु	22 सितंबर, 08
146.	92/2008	11.8.08	पॉवरलिंक्स	ताला हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, पूर्वी-उत्तर अंतर-संयोजक तथा उत्तर क्षेत्र पारेषण प्रणाली से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ के प्ररूपिक भाग के ओ एंड एम व्यय से संबंधित नियमों को शिथिल करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 तथा 79 के अधीन याचिका	27 नवंबर, 08
147.	93/2008	14.8.08	पीजीसी आईएल	दक्षिण क्षेत्र में डीओसीओ से 31.3.2009 तक कैयगा 3 तथा 4 (2 x 235 मेगावाट) परियोजना के अधीन सहबद्ध बेजों तथा उपस्कर के साथ हिरियूर सब-स्टेशन पर 50 एमवीएआर रिएक्टर, नरेन्द्र (ख) नरेन्द्र देवनगिरी 400 केवी डी/सी पारेाण लाइन तथा 50 एमवीएआर बस रिएक्टर, मैसूर तथा (ग) दूसरा 315 एमवीए आटो ट्रांसफार्मर के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	30 सितंबर, 08
148.	94/2008	18.8.08	पीजीसी आईएल	दक्षिण क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक दक्षिण क्षेत्र ग्रिड के प्रणाली सुदृढ़ीकरण- IV के अधीन विभागिरी (ए पी ट्रांसको) स्थित 400 केवी डी/सी गजुवाका-विजयवाड़ा पारेषण लाइन के दोनों सर्किटों को लिलो तथा विजयवाड़ा (पावर ग्रिड) स्थित 400/200 केवी सब-स्टेशन का विस्तारण के अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	22 जनवरी, 08
149.	96/2008	1.9.08	पीजीसी आईएल	1.4.2008 से 31.3.2009 तक उत्तरी क्षेत्र में आरएपीपी 5 तथा 6 पारेषण प्रणाली के अधीन कंकरौली सब-स्टेशन पर सहबद्ध बेजों तथा दो नं. 220 केवी लाइन बेजों के साथ सहबेजों के साथ 400 केवी डी/सी आर एपीपी- कंकरोली पारेाण लाइन तथा 400/220 केवी 315 एमवीए	23 जनवरी, 09

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
150.	99/2008	8.9.08	पीजीसी आईएल	आईसीटी-II के अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण 1.10.2005 को प्रारंभ तथा 1.5.2006 को प्रारंभ शेष पारेषण प्रणाली में ताला-सिलीगुड़ी पारेाण प्रणाली के लिए 2007-08 के अधीन उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	29 जनवरी, 09
151.	101/2008	12.9.08	एनटीपीसी	याचिका सं. 29/2007 में तारीख 30.7.2006 के आदेश का पुनर्विलोकन-रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-I (2100 मेगावाट) के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन	15 अक्तूबर, 08
152.	103/2008	17.9.08	पीजीसी आईएल	सहबद्ध बेजों तथा उपस्करों के साथ कलिविंडापटू (मिलकोटियूर) स्थित 315 एमपीए आटो ट्रांसफार्मर तथा कलिविंडापटूण (मिलकोटियूर) स्थित एक 50 एमवीएआर के साथ कलिविंडापटू (मिलकोटयूर) स्थित कोलार - श्रीपेरूम्बूदूर (पावरग्रिड) 400 एस/सी का लिलो तथा कलिविंडापटू (मिलकोटयूर) पर दूसरा 315 एमवीए आटो ट्रांसफार्मर के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	24 नवंबर, 08
153.	106/2008	26.9.08	पीजीसी आईएल	2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-I के अधीन सहबद्ध बेजों के साथ लखनऊ सब-स्टेशन स्थित 80 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर (ii) 400 केवी एस/सी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	27 नवंबर, 08
154.	107/2008	30.9.08	एनटीपीसी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक कहलगांव स्टैज-II के यूनिट-I तथा II (2500 मेगावाट) के अनंतिम उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	30 दिसंबर, 08
155.	108/2008	6.10.08	जेएसएल लि.	केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	2 फरवरी, 09
156.	109/2008	7.10.08	आरआरवीपीएन एल	केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के सहमति पर आदेश पारित करने	3 फरवरी, 09

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				के लिए आरवीपीएनएल की निदेश देने के लिए याचिका - याचिका सं. 60/2006 में तारीख 27.8.2008 के आदेश का पुनर्विलोकन	
157.	110/2008	7.10.08	एसएलडीसी, जयपुर	केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 की सहमति पर आदेश पारित करने के लिए आरवीपीएनएल की निदेश देने के लिए याचिका - याचिका सं. 60/2006 में तारीख 27.8.2008 के आदेश का पुनर्विलोकन	3 फरवरी, 09
158.	111/2008	7.10.08	केआईएस पीएल	नालेज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम प्रा. लि., नई दिल्ली को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	18 दिसंबर, 08
159.	112/2008	8.10.08	पीजीसी आईएल	1.4.2008 तथा 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सिपत पारेषण प्रणाली के अधीन सियोनी तथा खांडवा सब-स्टेशन से सहबद्ध 400 केवी डी/सी सियोनी-खांडवा पारेषण लाइन, सियोनी सब-स्टेशन पर 80 एमवीएआर बस रिएक्टर, 400/220 केवी आईसीटी-II तथा 765/400 केवी आईसीटी-II तथा सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी डी/सी सरदार सरोवर नागडा पारेषण लाइन का लिलो तथा 3 x 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर तथा सहबद्ध बेजों के साथ, 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-I तथा 765 केवी सिपत सियोनी सीकेटी-II के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	11 दिसंबर, 08
160.	113/2008	10.10.08	पीजीसी आईएल	डीओसीओ से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए दक्षिण क्षेत्र में रामागुंडम स्टेज-III पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध बेजों तथा उपस्कर के साथ 400 केवी रामागुंडम हैदराबाद डी/सी लाइन, 400 केवी एस/सी हैदराबाद-करनूल-गूटी पारेषण लाइन, 400 केवी एस/सी खम्माम-नागार्जुन सागर लाइन तथा 400 केवी एस/सी गूटी-नील मंगला पारेषण लाइन के अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण	3 फरवरी, 09

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
161.	114/2008	16.10.08	एनएचपीसी	एनएचपीसी की नई परियोजनाओं में स्थानीय क्षेत्र विकास के बारे में हाइड्रो ऊर्जा नीति, 2008 के उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए याचिका	22 जनवरी, 09
162.	116/2008	16.10.08	टीवीटीएल	तिस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	14 मई, 09
163.	117/2008	30.10.08	एनआर एलडीसी	उत्तरी क्षेत्र के संघटकों द्वारा अधिक निकासी तथा पर्याप्त भार प्रबंधन को प्रभावित करके संपूर्ण उत्तर-पूर्वी पश्चिमी (नया) ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखना	7 जनवरी, 09
164.	118/2008	31.10.08	पीजीसी आईएल	1.4.2008 तथा 1.5.2008 से 31.3.2009 तक पश्चिमी क्षेत्र की सिपत-II पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी खांडवा-राजगढ़ सीकेटी-II, आईसीटी-II, ग्वालियर सब-स्टेशन तथा 765/400 केवी आईसीटी-III सियोनी सब-स्टेशन तथा सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी खांडवा-राजगढ़ सीकेटी, बीना सब-स्टेशन पर 63 एमवीएआर बस रिएक्टर के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	11 दिसंबर, 08
165.	119/2008	31.10.08	एमपीपीएल	मित्तल प्रोसर्स प्रा.लि. को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करना	12 फरवरी, 09
166.	122/2008	12.11.08	पीजीसी आईएल	दक्षिण क्षेत्र में, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कुदंबकुलम एटोमिक पावर परियोजना के साथ सहबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सहबद्ध बेजों तथा उपस्कर से सहबद्ध 1 x 315 एमवीए ट्रांसफार्मर तथा 1 x 63 एमवीएआर बस रिएक्टर के साथ तिरूनवेली पर मदुरै 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के दोनों सर्किटों के लिलो के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	16 दिसंबर, 08
167.	123/2008	12.11.08	पीजीसी आईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में तिस्ता (स्टेज-V) एचईपी के सहबद्ध पारेषण प्रणाली के साथ सहयुक्त	11 दिसंबर, 08

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				बेजों सहित बरीपाड़ा सब-स्टेशन पर 400 केवी डी/सी तिस्ता (स्टेज-V)- सिलीगुड़ी पारेषण लाइन तथा 315 एमवीए, 400/220 केवी, आईसीटी-II के सर्किट-II का अनंतिम पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	
168.	125/2008	12.11.08	पीजीसी आईएल	दक्षिण क्षेत्र में डीओसीओ से 31.3.2009 तक दक्षिण क्षेत्र ग्रिड के प्रणाली सुदृढ़ीकरण-V के अधीन खम्माम स्थित आईसीटी के सिवाय सभी नीचे आस्तियों के लिए (i) निल्लौर स्थित 80 एमवीएआर रिएक्टर (ख) (ग) गूटी स्थित 315 एमवीए आईसीटी, कोलार स्थित 3 x 167 एमवीए आईसीटी तथा सोमनहल्ली स्थित विद्यमान रिएक्टर के लिए स्विचिंग व्यवस्था के उपबंध (घ) गजुबाका स्थित 315 एमवीए आईसीटी (ड.) मुनीराबाद स्थित 315 एमवीए आईसीटी तथा (च) खम्माम स्थित 315 आईसीटी जिसमें डीओसीओ से 31.3.2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण भी सम्मिलित है, अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	16 मार्च, 09
169.	130/2008	12.11.08	पीजीसी आईएल	1.2.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में तिस्ता (स्टेज-V) से सहबद्ध 400 केवी डी/सी तिस्ता (स्टेज-V)-सिलीगुड़ी, पारेषण प्रणाली के सर्किट-1 के अंतिम पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	16 मार्च, 09
170.	137/2008	12.11.08	स्वः-प्रेरणा	ग्रिड अनुशासन को बनाए रखना - भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंधों का अनुपालन	16 मार्च, 09
171.	141/2008	14.11.08	पीजीसी आईएल	पूर्वी क्षेत्र में गजुबाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक की क्षमता के संवर्धन से सहबद्ध रिंगाली इंड पर विद्यमान 400 केवी एस/सी रिंगाली इंद्रावती पारेषण लाइन के 40% नियत सीरीज प्रतिकर के लिए 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान उपगत दूसरे अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण	31 मार्च, 09

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
172.	142/2008	14.11.08	पीजीसी	पूर्वी क्षेत्र में बरीपाड़ा स्थित नया 400/220/132केवी सब-स्टेशन की स्थापना तथा बरीपाड़ा पर कोलाघाट-रंगाली 400 केवी एस/सी लाइन के लिलो के लिए 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान उपगत दूसरे अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण	19 मार्च, 09
173.	145/2008	19.11.08	एनटीपीसी	डीओसीओ से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II के लिए अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन	27 जनवरी, 09
174.	147/2008	21.11.08	आरईटीएल	फाइल किए गए आवेदन की सहमति प्रदान करने में विलंब का कोई कारण बताए बिना केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के विनियम 8 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 तथा 40 तथा (ii) याचिका सं. 108/2007 में गुजरात फ्लोरो कैमिकल्स लि. बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि. लि. के मामले में अधिकथित विधि का उल्लंधन	22 जनवरी, 09
175.	149/2008	25.11.08	पीजीसी आईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2009 तक पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यू आर एसएस-I पारेषण प्रणाली के अधीन सियोनी खांडवा सीकेटी-I तथा II के लिए 40% फिक्सड सीरीज कंपशेसन (ii) 315 एमवीए 400/220 के वी बेज इटारसी से सहबद्ध तथा इटारसी (पीजी)-भोपाल (एमपीपीटीसी एल) सीकेटी-III, II के सहबद्ध 220 केवी बेज तथा (iii) 400 केवी डी/सी रायपुर सिपत पारेषण लाइन के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	9 जनवरी, 09
176.	150/2008	25.11.08	पीजीसी आईएल	2004-09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-III के अधीन (i) सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी जालंधर-लुधियाना पारेषण लाइन, सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी लुधियाना-मेलरकोटला पारेषण लाइन, 80 एमवीएआर बस रिएक्टर, 315 एमवीए, लुधियाना सब-स्टेशन	9 जनवरी, 09

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				(ii) 220 ललटान कलन I तथा II लाइन बेज, 220 केवी जगरान लाइन बेज, 315 एमवीए, 400/220/33 केवी आईसीटी-II, 400 केवी आईसीटी-II, मेलरकोटला पारेषण लाइन टाइ बेज, 400 केवी आईसीटी-I पटियाला पारेषण लाइन - कोलडाम-I टाइ से, 220 केवी धनदारी जैसे बे, 220 केवी ट्रांसफर बस कूपलर बेज, लुधियाना सब-स्टेशन स्थित सहबद्ध बेजों के साथ 220 केवी बस कूपलर के लिए डीओसीओ तक अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	
177.	151/2008	25.11.08	पीजीसी आईएल	1.8.2008 से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में आरएपीपी 5 तथा 6 पारेषण प्रणाली के अधीन कंकरोली सब-स्टेशन पर 315 एमवीए 400/220 केवीआईसीटी-I सहबद्ध बेजों के साथ तथा कंकरोली सब-स्टेशन पर ट्विन नं. 220 केवी लाइन बेज के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	9 जनवरी, 09
178.	152/2008	26.11.08	स्वः-प्रेरणा	ग्रिड अनुशासन को बनाए रखना-भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंधों का अनुपालन	13 फरवरी, 09
179.	153/2008	2.12.08	जीईएल	केविविआ (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	3 फरवरी, 09
180.	154/2008	2.12.08	जीएफएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142, 146 तथा 149 के अधीन याचिका	13 मार्च, 09
181.	157/2008	11.12.08	केपीपीएल	केविविआ (अंतर-राज्यिक व्यापार में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2009 के विनियम 35 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	13 मार्च, 09
182.	160/2008	19.12.08	पीजीसी आईएल	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के लिए बोगईगांव सब-स्टेशन पर टी आर पेट्रोलिंग के लिए विशेष सुरक्षा	18 फरवरी, 09

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				बल तथा त्रिपुरा राज्य राइफल्स के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति	
183.	161/2008	31.12.08	एनटीपीसी	याचिका सं. 32/2007 में तारीख 12.11.2008 के आदेश का पुनर्विलोकन - फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन के लिए 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय	26 मार्च, 09
184.	162/2008	31.12.08	एनएलसी	एनएलसी - टीपीएस-I विस्तारण (2 x 210 मेगावाट) तथा उसके क्षमता प्रभारों पर प्रभाव की बाबत 1.1.2007 वेतनमान पुनरीक्षण के लिए संदत्त अंतरिम राहत के कारण प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में वृद्धि	5 फरवरी, 09
185.	164/2008	31.12.08	एनएलसी	एनएलसी - टीपीएस-II स्टेज-I विस्तारण (3 x 210 मेगावाट) तथा एन एल सी-टी पी एस-II, स्टेज-II तथा उसके क्षमता प्रभारों पर प्रभाव की बाबत 1.1.2007 वेतनमान पुनरीक्षण के लिए संदत्त अंतरिम राहत के कारण प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में वृद्धि	5 फरवरी, 09
186.	165/2008	31.12.08	एनएलसी	एनएलसी - टीपीएस-I (600 मेगावाट) तथा उसके क्षमता प्रभारों पर प्रभाव की बाबत 1.1.2007 वेतनमान पुनरीक्षण के लिए संदत्त अंतरिम राहत के कारण प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में वृद्धि	5 फरवरी, 09
187.	169/2008	31.12.08	पीजीसी	डीओसीओ से 31.3.2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यू आर एस एस-III पारेषण प्रणाली के सहबद्ध बेजों के साथ 220 केवी डी/सी वापी-मगरवाड़ा लाइन तथा 220 केवी डी/सी वापी खरडापाड़ा लाइन के अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण	13 मार्च 09
188.	22/2009	28.1.09	पीजीसी	पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के लिए सलाकाटी तथा बोगईगांव सब-स्टेशनों के लिए विशेष सुरक्षा बलों के नियोजन के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें)	31 मार्च, 09

क्रम सं.	याचिका सं.	फाइल करने की तारीख	निम्नलिखित द्वारा फाइल	विषय	निपटान की तारीख
				विनियम 2004 "कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति तथा शिथिल करने की शक्ति" से संबंधित विनियम 12 तथा 13 के अधीन अनुमोदन	
189.	37/2009	24.2.09	सीपीपीएल	कैप स्टोन पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. को अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	16 मार्च, 09
190.	38/2009	24.2.09	टी तथा सी	तायल एण्ड कं. को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	16 मार्च, 09

(ख) केविविआ के समक्ष फाइल किए गए अंतर्वर्ती आवेदन

पिछले वर्ष (2007-08) से आगे लाए गए अंतर्वर्ती आवेदनों की संख्या	2008-09 की अवधि के दौरान प्राप्त अंतर्वर्ती आवेदन की संख्या	कुल	निपटाए गए	31.3.2009 को लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों की संख्या
6	**52**	**58**	**50**	**8**

उपाबंध-2

31.03.2009 को एनटीपीसी के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

सारणी 17

क्रम सं.	उत्पादन केंद्र का नाम	31.3.2009 को संस्थापित क्षमता	केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेन			
अ.	पिट हैड उत्पादन केंद्र		
1.	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज-I	1000.00	1.1.1991
2.	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज-II	1000.00	1.4.2006
3.	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	1.5.1988
4.	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-I	1260.00	1.2.1992
5.	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-II	1000.00	1.10.2000
6.	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज-III	1000.00	15.07.2007
7.	कोरबा एसटीपीएस	2100.00	1.6.1990
8.	सिपत स्टेज-II	1000.00	1.1.2009
9.	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-I और II	2100.00	1.4.1991
10.	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज-III	500.00	25.03.2005
11.	तलचर टीपीएस	460.00	1.7.1997
12.	तलचर एसटीपीएस स्टेज-I	1000.00	1.7.1997
13.	तलचर एसटीपीएस स्टेज-II	2000.00	1.8.2005
	उप योग	**16420.00**	

क्रम सं.	उत्पादन केंद्र का नाम	31.3.2009 को संस्थापित क्षमता	केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
ब.	**नॉन-पिट हैड उत्पादन केंद्र**		
1.	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज-I	420.00	13.2.1992 (तारीख को चार्ज लिया गया)
2.	एफजीयूटीपीपी स्टेज-II	420.00	1.1.2001
3.	एफजीयूटीपीपी स्टेज-III	210.00	1.01.2007
4.	एनसीटीपी दादरी	840.00	1.12.1995
5.	फरक्का एसटीपीएस	1600.00	1.7.1996
6.	टांडा टीपीएस	440.00	14.1.2000 (तारीख को चार्ज लिया गया)
7.	बदरपुर टीपीएस	705.00	1.4.1982
8.	कहलगाँव एसटीपीएस	840.00	1.8.1996
9.	कहलगाँव स्टेज-II	1000.00	20.12.2008
10.	सिम्हाद्री	1000.00	1.3.2003
	उप योग	**7475.00**	
	कुल-कोयला	**23895.00**	
एनटीपीसी के गैस/द्रव ईंधन आधारित स्टेान			
1.	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2.	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001
3.	अंता सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4.	औरैया जीपीएस	663.36	01.12.1990
5.	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6.	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7.	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
		4016.64	
	योग एनटीपीसी (कोयला+गैस)	**27911.64**	

उपाबंध-3

एनएलसी के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

सारणी 18

क्रम सं.	उत्पादन केंद्र का नाम	31.03.2009 को संस्थापित संख्या	केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख
1.	टीपीएस-I	600.00	21.02.1970
2.	टीपीएस-II (स्टेज-I)	630.00	23.04.1988
3.	टीपीएस-II (स्टेज-II)	840.00	09.04.1994
4.	टीपीएस-I (विस्तारण)	420.00	05.09.1993
5.	**कुल लिग्नाइट**	**2490.00**	

एनएलसी के टीपीएस स्टेज –I और II का 01.04.2004 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार

सारणी 19. एनएलसी के टीपीएस स्टेज –I का 01.04.2004 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार

विशिष्टियां	टीपीएस-II स्टेज-I				(रुपए लाख में)
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण पर ब्याज	0	0	0	0	0
अवक्षयण	825	864	983	1098	1098
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	0	0	0	0	0
रिटर्न ऑन ईक्विटी	1903	1835	1841	1800	1646
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	1723	1737	1754	1775	1784
ओ एंड एम व्यय	6552	6817	7088	7371	7667
कुल	**11002**	**11252**	**11666**	**12043**	**12196**

सारणी 20. एनएलसी के टीपीएस स्टेज –II का 01.04.2004 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार

विशिष्टियां	टीपीएस-II स्टेज-II				(रुपए लाख में)
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण पर ब्याज	0	0	0	0	0
अवक्षयण	1189	1205	1237	1259	1259
अवक्षयण के प्रति अग्रिम	0	0	0	0	0
रिटर्न ऑन ईक्विटी	4095	3965	3861	3728	3551
कार्यकरण पूंजी पर ब्याज	2393	2414	2438	2467	2486
ओ एंड एम व्यय	8736	9089	9450	9828	10223
कुल	**16413**	**16673**	**16985**	**17281**	**17519**

उपाबंध-5

31.03.2009 को डीवीसी के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

सारणी 21

केंद्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
बोकारो	805	अगस्त 1993
चन्द्रपुर टीपीएस	750	मार्च, 1979
दुर्गापुर टीपीएस	350	सितम्बर, 1982
मिझा टीपीएस (यूनिट 1, 2 तथा 3)	630	सितम्बर, 1999
मिझा टीपीएस यूनिट - 4	210	फरवरी, 2005
मिझा टीपीएस यूनिट 5 तथा 6	500	24.04.2009
कुल	3245	

उपाबंध-6

निपको के उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

सारणी 22

क्रम सं.	उत्पादन केंद्र का नाम	31.03.2009 को संस्थापित क्षमता	केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	अगरतला जीपीएस	84.00	01.08.1998
2.	असम जीपीएस	291.00	01.04.1999
	कुल	**375.00**	

उपाबंध-7

हाइड्रो उत्पादन केंद्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

सारणी 23

क्रम सं.	परियोजना का नाम/राज्य	आकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनएचपीसी उत्पादन केंद्र				
1.	बैरास्यूल, एच पी	तालाब	3 x 60 = 180	1981
2.	लोकटक, मणिपुर	भंडारण	3 x 35 = 105	1983
3.	सलाल, जम्मू-कमीर	नदी से चलने वाला	6 x115 = 690	1987
4.	टनकपुर, उत्तराखण्ड	नदी से चलने वाला	3 x 40 = 120	1992
5.	चमेरा-I, एच पी	तालाब	3 x 180 = 540	1994
6.	उरी-I, जम्मू-कमीर	नदी से चलने वाला	4 x 120 = 480	1997
7.	रंजीत, सिक्किम	तालाब	3 x 20 = 60	1999
8.	चमेरा-II, एचपी	तालाब	3 x 100 = 300	2003
9.	धौली गंगा-I, उत्तराखण्ड	तालाब	4 x 70 = 280	2005
10.	दुलहस्ती, जम्मू-कमीर	नदी से चलने वाला	3 x 130 = 390	2007
11.	तिस्ता-V , सिक्किम	तालाब	3 x 170 = 510	2008
एनएचपीसी के कुल 11 केन्द्र हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 3655 मेगावाट की है।				
एनएचडीसी उत्पादन केंद्र				
12.	इंदिरा सागर, म.प्र.	भंडारण	8 x 125 = 1000	2005
13.	औंकारेश्वर, म.प्र.	भंडारण	8 x 65 = 520	2007
एनएचडीसी के कुल दो केन्द्र हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 1520 मेगावाट की है।				
निपको उत्पादन केन्द्र				
14.	रंगानदी, नागालैंड	तालाब	3 x 135 = 405	2002
15.	कोपली स्टेज-I, असम	भंडारण	4 x 50 = 200	1997
16.	कोपली, स्टेज-II, असम	भंडारण	1 x 25 = 25	2004
17.	खानडांग, असम	भंडारण	2 x 25 = 50	1984
18.	डोयांग, नागालैंड	भंडारण	3 x 25 = 75	2000
निपको के 5 केन्द्र हैं तथा उनकी संस्थापित क्षमता 755 मेगावाट की है।				
एसजेवीएनएल उत्पादन केन्द्र				

क्रम सं.	परियोजना का नाम/राज्य	आकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
19.	नाफ्था झाकरी, उत्तराखण्ड	तालाब के साथ नदी से चलने वाला	6 x 250 = 1500	2004
एसजेवीएनएल का एक केन्द्र हैं तथा जिनकी संस्थापित क्षमता 1500 मेगावाट की है टीएचडीसी उत्पादन केंद्र				
20.	टिहरी, उत्तराखण्ड	भंडारण	4 x 250 = 1000	2007
टीएचडीसी का एक केन्द्र हैं तथा जिसकी संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट की है डीवीसी उत्पादन केंद्र				
21.	मेथान, झारखंड/डब्ल्यू बी	भंडारण	3 x 20 = 60	1958
22.	पंचेट, झारखंड/डब्ल्यू बी	भंडारण	2 x 40 = 80	1991
23.	तिलैया, झारखंड	भंडारण	2 x 2 = 4	1953
डीवीसी के कुल 3 केन्द्र हैं तथा जिनकी संस्थापित क्षमता 144 मेगावाट की है कुल संस्थापित क्षमता 8574 मेगावाट (23 केन्द्र)				

उपाबंध-8

केविविआ की परिधि के अधीन हाइड्रो केंद्रों का संमिश्रित टैरिफ

सारणी 24

एनएचपीसी उत्पादन कंपनी	केंद्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2008-09 के लिए एएफसी (रुपए लाख में)	संमिश्रित दर (रुपए/ केडब्ल्यूएच)
1.	चमेरा	540	19953	1.38
2.	बैरास्यूल	180	5271	0.77
3.	लोकतक	105	5004	1.28
4.	चमेरा-II	300	34737	2.66
5.	रंजीत	60	4860	1.59
6.	धौली गंगा	280	17638	1.79
7.	तिस्ता- ज *	510	36300	1.62
8.	दुलहस्ती *	390	83600	5.04
9.	स्याल	690	17674	0.66
10.	उरी	480	27426	1.22
11.	टनकपुर	94.2	4682	1.19
एनएचडीसी				
1.	इंदिरा सागर	1000	47784	2.44
2.	औंकारेवर	520	26327	2.28
टीएचडीसी				
1.	टिहरी स्टेज-I	1000	110826	3.50
एसजेवीएनएल				
1.	नाफ्था झाकरी	1500	131243	2.16
निपको				
1.	कोपली	200	5767	0.56
2.	खानडांग	50	1963	0.81
3.	कोपली स्टेज-II	25	1295	1.72
4.	डोयांग	75	5850	2.95
5.	रंगानदी	405	20341	1.55

* आंकड़े अनंतिम है क्योंकि उत्पादन कंपनी द्वारा अंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाएं फाइल की जानी हैं ।

संगोष्ठियां/सम्मेलन/आदान-प्रदान कार्यक्रम, जिसमें आयोग के अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने भाग लिया (भारत से बाहर)

सारणी 25

क्रम सं.	भेजे गए अधिकारियों का नाम तथा पदनाम	संगोठियों/सम्मेलन/कार्यक्रम का नाम तथा उसकी अवधि	वह देश जिसका दौरा किया गया
1.	डा. प्रमोद देव अध्यक्ष	25 से 27 जून 2008 के दौरान एशिया पैसेफिक पार्टनरशिप आन क्लीन डिवेलमेंट तथा क्लाइमेट-विद्युत विनियामक तथा बाजार विकास फोरम- फोरम सम्मेलन की पहली बैठक तथा स्टीरिंग समिति की दूसरी बैठक	कलुटारा, श्रीलंका
2.	श्री एम. सेतुरामलिंगम उप प्रमुख (वि.)	19 से 27.09.2008 तक ''नार्डिक पावर मार्किट अनुभव तथा भारत में सम्मिलित ऊर्जा बाजार के लिए उनकी सुसंगतता'' संबंधी कार्यशाला	नार्वे
3.	श्री अजय तेलगांवकर उप प्रमुख (इंजी.)	08.08.2008 को यूएसएआईडी द्वारा आयोजित ऊर्जा बाजार विकास कार्यक्रम	जर्मनी
4.	श्री के. बिस्वाल प्रमुख (वित्त)	2 मार्च से 6 मार्च, 2009 तक स्वच्छ विकास तथा जलवायु संबंधी एशिया पैसेफिक पार्टनरशिप (एपीपी) के अधीन पवन उत्पादन परियोजना	क्वीसलैंड, आस्ट्रेलिया

उपाबंध-10

ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिनमें आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया (भारत में)

सारणी 26

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यक्रम	तारीख	निम्नलिखित द्वारा संचालित
1.	श्री एस.सी. आनंद श्री देवेन्द्र सलूजा	भारत के हाइड्रो ऊर्जा सेक्टर में विभिन्न पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 - 30 अप्रैल 2008 नई दिल्ली	केंद्रीय सिंचाई तथा ऊर्जा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	श्री के. बिस्वाल प्रमुख (वित्त)	ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा लेखांकन तथा संपरीक्षा - रणनीति तथा तकनीकी" संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	19 - 21 मई 2008 हैदराबाद	केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद
3.	श्री सेतुरामलिंगम श्री देवेन्द्र सलूजा श्री ए.वी. शुक्ला	ई आर सी के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	30 जून - 5 जुलाई, 2008 आई आई टी कानपुर	आई आई टी, कानपुर
4.	श्री राजीव पुष्करणा	ऊर्जा क्षेत्र में अनुध्यात विकास के जटिल मूल्यांकन संबंधी कार्यशाला	20-22 जून 2008 पुरी, उड़ीसा	करेंट क्रिएटर्स, भुवनेवर, उड़ीसा
5.	श्री एस.के. चटर्जी डा. यू.आर. प्रसाद श्री सुकांत गुप्ता	"नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बाजार विकास हेतु विनियामक तथा नीति फ्रेमवर्क" संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	22-24 जुलाई 2008 नई दिल्ली	वर्ल्ड इंस्टिट्यूट आफ ससटेनेबल इनर्जी, पुणे
6.	श्री आलोक कुमार श्री अजय तेलगांवकर	"राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र सुधार संबंधी अनुभव की भागीदारी कार्यशाला" पचिमी बंगाल का अनुभव तथा वितरण सुधारों का स्टाक टेकिंग	24 जुलाई 2008 नई दिल्ली	विश्व बैंक, नई दिल्ली
7.	सुश्री नवनीता वर्मा	ऊर्जा क्षेत्र में आई टी पर सातवीं वार्षिक सम्मेलनः उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में अगला कदम	3-4 सितंबर 2008 नई दिल्ली	पावर लाइन, नई दिल्ली
8.	श्री एस.एन. कलिटा	विंड इंडिया 2008 - अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी	25-26 नवंबर, 2008, चेन्नई	वर्ल्ड इंस्टिट्यूट आफ ससटेनेबिल इनर्जी, पुणे
9.	श्री रामानुज डे, श्री वी. ए. सहीर	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी निष्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	26-29 नवम्बर 2008, मैसूर	मानव संसाधन प्रशासन तथा प्रशिक्षण केंद्र, मैसूर
10.	श्री आलोक कुमार श्री एस.सी. श्रीवास्तव	तीसरा नवीकरण ऊर्जा वित्त फोरम भारत	20-21 नवम्बर 2008, मुम्बई	यूरोमनी इनर्जी इवेंट लि., नई दिल्ली
11.	श्री एच टी गांधी	"भारत में ऊर्जा वितरण" संबंधी तीसरा वार्षिक सम्मेलन	27-28 नवम्बर 2008, नई दिल्ली	पावर लाइन, नई दिल्ली
12.	श्री एच टी गांधी श्री सुकांत गुप्ता	गोल्डन जुबली नेशनल कंवेशन	29-31 जनवरी 2009, पुणे	भारतीय लागत तथा संकर्म लेखा संस्थान, नई दिल्ली
13.	श्री एस.सी. श्रीवास्तव श्री हेमन्त पांडे	"लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आफ विंड इनर्जी इन टू दि ग्रिड" संबंधी कार्यशाला	20-21 फरवरी 2009, बंगलौर	पावर रिसर्च तथा डिवेलपमेंट कंसलटैंट्स प्रा. लि., बंगलौर

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारिवृंद के ई-मेल और दूरभाष नम्बर (31.03.2009 के अनुसार)

सारणी 27

नाम	पदनाम	फोन नं.	ई–मेल
डॉ. प्रमोद देव	अध्यक्ष	23753911	chairman@cercind.gov.in
आर. कृष्णामूर्ति	सदस्य	23753913	rkrishnamoorthy@cercind.gov.in
एस. जयरमन	सदस्य	23753914	sjayaraman@cercind.gov.in
वी.एस. वर्मा	सदस्य	23753912	vsverma@cercind.gov.in
आलोक कुमार	सचिव	23753915	alokkumar@nic.in
के.एस. ढींगरा	प्रमुख (विधि)	23753916	ksdhingra@cercind.gov.in
के. बिस्वाल	प्रमुख (वित्त)	23753918	k_biswal@hotmail.com
एस.सी बेरा	संयुक्त प्रमुख (वित्त)	23353503	scbera@cercind.gov.in
एस. सी. आनंद	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	23353503	scanand@cercind.gov.in
एस.सी. श्रीवास्तव	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	23353503	scshrivastava@cercind.gov.in
त्रिलोचन राउत	संयुक्त प्रमुख (विधि)	23353503	trout@cercind.gov.in
पी.के. अवस्थी	संयुक्त प्रमुख (वित्त)	23353503	pkawasthi@cercind.gov.in
एच.टी. गांधी	उप-प्रमुख (वित्त)	23353503	htgandhi@cercind.gov.in
एम. सेतुरामलिंगम	उप प्रमुख (विधि)	23353503	msethu@cercind.gov.in

नाम	पदनाम	फोन नं.	ई–मेल
एस.के. चटर्जी	उप प्रमुख (आर ए)	23753920	dcra@cercind.gov.in
एस.एन. कलिता	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	snkalita@cercind.gov.in
एच.के. पाण्डे	उप प्रमुख (इंजी.)	23353503	hkpandey@cercind.gov.in
राजीव पुष्करणा	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	rpushkarna@cercind.gov.in
देवेन्द्र सलूजा	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	dsaluja@cercind.gov.in
श्रीमती नवनीता वर्मा	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	nverma@cercind.gov.in
सुकांता गुप्ता	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	sgupta@cercind.gov.in
भरत गुप्ता	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	bgupta@cercind.gov.in
ए.वी. शुक्ला	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	avshukla@cercind.gov.in
बी.श्रीकुमार	सहायक प्रमुख (विधि)	23353503	bsreekumar@cercind.gov.in
यू.आर. प्रसाद	सहायक प्रमुख (अर्थशास्त्र)	23353503	urprasad@cercind.gov.in
सुमीत कुमार	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	sumeetk@cercind.gov.in
रामानुज डे	सहायक सचिव	23753921	asstsecy@cercind.gov.in
तारादत्त पंत	न्यायपीठ अधिकारी	23353503	tdpant@cercind.gov.in

संगठन चार्ट

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
(31.3.2009 को)

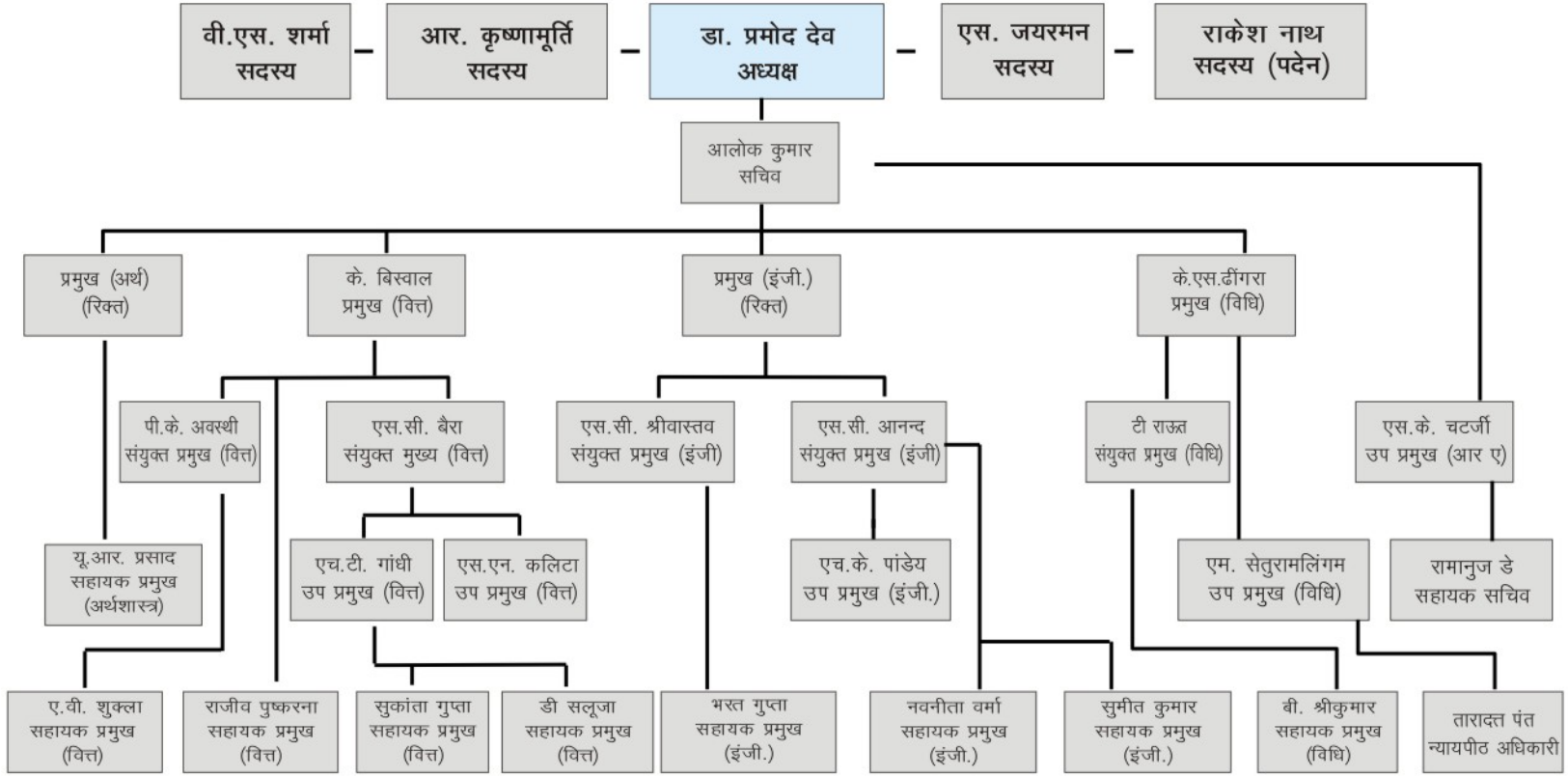

आकृति 12

के.वि.वि.आ.

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तीसरी तथा चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001

फोन नं.: +91-11-23353503, फैक्स: +91-11-23753923, वेबसाइट: www.cercind.gov.in

करण्ट एटवरटाइजिंग प्रा.लि. नई दिल्ली, फोन: 011-23634319 के द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित